न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश कठूमर, जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : उदय सिंह अलोरिया (R.J.S.)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या : 34 / 12 / 2023
(सी.आई.एस. नम्बर 12 / 2023)

प्रथम सूचना संख्या : 390 / 2022, पुलिस थाना खेरली, जिला अलवर

राजस्थान राज्य **बनाम** भगवान सहाय उर्फ कल्लू वगैरह

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता 1860

भाग–प्रथम

A

परिवादी	सोनू कुमार पुत्र पून्याराम, उम्र 21 साल, निवासी कंचनवास सालवाड़ी, पुलिस थाना खेरली, जिला अलवर
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, कठूमर
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. भगवान सहाय उर्फ कल्लू उम्र 32 साल (वर्तमान आयु 35 साल), पुत्र पन्ना लाल मीना, निवासी, कंचनवास सालवाड़ी, पुलिस थाना खेड़ली, जिला अलवर राज. **(हाल बंदी जिला कारागार अलवर)** 2. पन्ना लाल उम्र 65 साल (वर्तमान आयु 68 साल), पुत्र मूल्याराम, निवासी, कंचनवास सालवाड़ी, पुलिस थाना खेड़ली, जिला अलवर, राज.
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री महेंद्र सिंह राजपूत
विद्वान अपर लोक अभियोजक	श्री सुनील कुमार अवस्थी

B

अपराध की दिनांक	02.09.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	02.09.2022
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	20.12.2022
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	18.05.2023
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	06.07.2023
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	16.03.2026
निर्णय दिनांक	16.03.2026
दण्डादेश की दिनांक	16.03.2026

C
अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की रैंक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फा. जदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1	**भगवान सहाय उर्फ कल्लू**	**13.11.2022**	**–**	**अपराध अन्तर्गत धारा 323/34 302/34, 341 भारतीय दण्ड संहिता 1860**	**दोषसिद्ध अपराध धारा 323, 341, 304 भाग द्वितीय सपठित धारा 34 भा.दं. सं. 1860 एवं दोषमुक्त अपराध धारा 302 भा.दं. सं. 1860**	**दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 21,500 रुपये अदम अदायगी अर्थदंड अलग से कारावास**	**दिनांक 13.11.2022 से आज तक न्यायिक अभिरक्षा में**
2	**पन्ना लाल**	**05.10.2022**	**26.02.2024**	**उपरोक्त**	**उपरोक्त**	**उपरोक्त**	**1 साल 4 माह 21 दिन**

भाग द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची
अ–अभियोजन गवाहान

क्र.सं.	रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	पी.डब्ल्यू. 1	सोनू कुमार	परिवादी
2	पी.डब्ल्यू. 2	नत्थूराम	आहत, फर्द पंचनामा पून्याराम/नक्शा मौका/चोट प्रतिवेदन/सुपुर्दगी लाश
3	पी.डब्ल्यू. 3	श्रीमती गौरंती	आहत/फर्द नक्शा मौका/चोट प्रतिवेदन
4	पी.डब्ल्यू. 4	श्रीमती जगनी देवी	आहत/चोट प्रतिवेदन
5	पी.डब्ल्यू. 5	यादराम	फर्द पंचायतनामा लाश
6	पी.डब्ल्यू. 6	नेतराम	फर्द पंचायतनामा लाश
7	पी.डब्ल्यू. 7	छोटेलाल	फर्द पंचायतनामा लाश
8	पी.डब्ल्यू. 8	मुरारी	फर्द पंचायतनामा लाश
9	पी.डब्ल्यू. 9	हितेश	चक्षुदर्शी साक्षी
10	पी.डब्ल्यू. 10	श्रीमती कान्ता	चक्षुदर्शी साक्षी
11	पी.डब्ल्यू. 11	हरिओम	चक्षुदर्शी साक्षी
12	पी.डब्ल्यू. 12	डॉ. हीरेंद्र कुमार	चिकित्सकीय गवाह
13	पी.डब्ल्यू. 13	डॉ. अंकित जेटली	चिकित्सकीय गवाह
14	पी.डब्ल्यू. 14	रामदयाल	चक्षुदर्शी साक्षी
15	पी.डब्ल्यू. 15	सुबे सिंह	चक्षुदर्शी साक्षी
16	पी.डब्ल्यू. 16	हरिप्रसाद	चक्षुदर्शी साक्षी
17	पी.डब्ल्यू. 17	डॉ. विकास अग्रवाल	चिकित्सकीय गवाह
18	पी.डब्ल्यू. 18	डॉ. लखनलाल	चिकित्सकीय गवाह
19	पी.डब्ल्यू. 19	भगत सिंह	फर्द गिरफ्तारी/फर्द जब्ती/फर्द नक्शा मौका

20	पी.डब्ल्यू. 20	सुरेश चंद पुत्र भगवान सिंह	फर्द गिरफ्तारी / फर्द जब्ती / फर्द नक्शा मौका
21	पी.डब्ल्यू. 21	झम्मन सिंह	फर्द नक्शा मौका / मेडिकल बाबत् नोटिस / तहरीर मजरूब पून्याराम
22	पी.डब्ल्यू. 22	ओमदत्त	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम भगवानसहाय
23	पी.डब्ल्यू. 23	सुरेश चंद पुत्र रामस्वरूप	नक्शा मौका / फर्द जब्ती
24	पी.डब्ल्यू. 24	राजवीर सिंह	अनुसंधान अधिकारी
25	पी.डब्ल्यू. 25	राकेश कुमार	फर्द गिरफ्तारी / फर्द जब्ती / फर्द नक्शा मौका घटनास्थल / फर्द बरामदगी
26	पी.डब्ल्यू. 26	कुंवर सिंह	मालखाना ईंचार्ज
27	पी.डब्ल्यू. 27	महावीर प्रसाद	अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव गवाह

क.सं.	रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	डी. डब्ल्यू 1	भगवान सहाय उर्फ कल्लू	तहरीरी रिपोर्ट / चार्जशीट / चाक एफआईआर / नक्शा मौका / मेडिकल रिपोर्ट

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्श की सूची

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण	गवाह जिसके द्वारा दस्तावेज प्रमाणित / प्रदर्शित करवाया गया
1	प्रदर्श पी. 1	तहरीरी रिपोर्ट	पी.डब्ल्यू 1
2	प्रदर्श पी. 2	चॉक एफआईआर	पी.डब्ल्यू 1
3	प्रदर्श पी. 3	फर्द निरीक्षण नक्शा मौका घटनास्थल	पी.डब्ल्यू 1, 2, 3, 21
4	प्रदर्श पी. 4	चोट प्रतिवेदन नत्थू	पी.डब्ल्यू 2, 17
5	प्रदर्श पी. 5	फर्द पंचायतनामा मृतक पून्याराम	पी.डब्ल्यू 2, 5, 6, 7, 8, 24
6	प्रदर्श पी. 6	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतक पून्याराम	पी.डब्ल्यू 2, 24
7	प्रदर्श पी. 7	चोट प्रतिवेदन श्रीमती गौरंती	पी.डब्ल्यू 3
8	प्रदर्श पी. 8	बयान धारा 164 दं.प्र.सं. श्रीमती गौरंती	पी.डब्ल्यू 3
9	प्रदर्श पी. 9	चोट प्रतिवेदन श्रीमती जगनी	पी.डब्ल्यू 4, 17
10	प्रदर्श पी. 10	पुलिस बयान छोटेलाल	पी.डब्ल्यू 7

11	प्रदर्श पी. 11	पुलिस बयान हितेश कुमार	पी.डब्ल्यू 9
12	प्रदर्श पी. 12	पुलिस बयान श्रीमती कांता	पी.डब्ल्यू 10
13	प्रदर्श पी. 13	पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मृतक पून्याराम	पी.डब्ल्यू 12, 18, 24
14	प्रदर्श पी. 14	चोट प्रतिवेदन मृतक पून्याराम	पी.डब्ल्यू 13
15	प्रदर्श पी. 15	पुलिस बयान रामदयाल	पी.डब्ल्यू 14
16	प्रदर्श पी. 16	पुलिस बयान सुबेसिंह	पी.डब्ल्यू 15
17	प्रदर्श पी. 17	पुलिस बयान हरिप्रसाद	पी.डब्ल्यू 16
18	प्रदर्श पी. 18	एक्स–रे रिपोर्ट श्रीमती जगनी	पी.डब्ल्यू 17
19	प्रदर्श पी. 19	एक्स–रे रिपोर्ट नत्थूराम	पी.डब्ल्यू 17, 19
20	प्रदर्श पी. 20	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम पन्ना	पी.डब्ल्यू 19, 20, 24
21	प्रदर्श पी. 21	फर्द बरामदगी एक डंडा लकड़ी	पी.डब्ल्यू 20, 24
22	प्रदर्श पी. 22	फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल	पी.डब्ल्यू 19, 20, 24
23	प्रदर्श पी. 23	फर्द बरामदगी नक्शा मौका घटनास्थल	पी.डब्ल्यू 19, 20, 24
24	प्रदर्श पी. 24	नोटिस वास्ते चोट प्रतिवेदन सोनू कुमार	पी.डब्ल्यू 21
25	प्रदर्श पी. 25	नोटिस ट्रोमा सेंटर जयपुर	पी.डब्ल्यू 21
26	प्रदर्श पी. 26	फर्द गिरफ्तारी मुलजिम भगवान सहाय	पी.डब्ल्यू 22, 25, 27
27	प्रदर्श पी. 27	फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल	पी.डब्ल्यू 23, 27
28	प्रदर्श पी. 28	फर्द तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल	पी.डब्ल्यू 23, 25, 27
29	प्रदर्श पी. 29	फर्द बरामदगी एक लकड़ी	पी.डब्ल्यू 23, 25, 27
30	प्रदर्श पी. 30	फर्द ईत्तिला धारा 27 सा.अधि. मुलजिम पन्ना	पी.डब्ल्यू 24
31	प्रदर्श पी. 31ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू 26
32	प्रदर्श पी. 32ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	पी.डब्ल्यू 26
33	प्रदर्श पी. 33	फर्द ईत्तिला सा. अधि. मुलजिम भगवान	पी.डब्ल्यू 27, 27
34	प्रदर्श पी. 34	ट्रोमासेंटर रिपोर्ट्स की प्रति मृतक पून्याराम	पी.डब्ल्यू 27
35	प्रदर्श पी. 35	आपराधिक रिकॉर्ड मुलजिम भगवानसहाय	पी.डब्ल्यू 27
36	प्रदर्श पी. 36	मृतक की पीएमआर राय चाहने बाबत् पत्र	पी.डब्ल्यू 27

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण	गवाह जिसके द्वारा दस्तावेज प्रमाणित / प्रदर्शित करवाया गया
1	प्रदर्श डी. 1	पुलिस बयान सोनू कुमार	पी.डब्ल्यू 1
2	प्रदर्श डी. 1	टाईपशुदा तहरीरी रिपोर्ट पन्नालाल	डी.डब्ल्यू 1
3	प्रदर्श डी. 2	पुलिस बयान नत्थुराम	पी.डब्ल्यू 2
4	प्रदर्श डी. 2	आरोप पत्र एफआईआर सं. 391 / 22 थाना खेरली	डी.डब्ल्यू 1
5	प्रदर्श डी. 3	पुलिस बयान श्रीमती गौरंती	पी.डब्ल्यू 3
6	प्रदर्श डी. 3	चॉक एफआईआर सं. 391 / 22	डी.डब्ल्यू 1
7	प्रदर्श डी. 4	पुलिस बयान श्रीमती जगनी	पी.डब्ल्यू 4

8	प्रदर्श डी. 4	फर्द निरीक्षण नक्शा एवं घटनास्थल एफआईआर सं. 391 / 22	डी.डब्ल्यू 1
9	प्रदर्श डी. 5	चोट प्रतिवेदन पन्नालाल	डी.डब्ल्यू 1
10	प्रदर्श डी. 6	एक्स–रे रिपोर्ट पन्ना	डी.डब्ल्यू 1

स–न्यायालय प्रदर्श

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण
––	––	––

द–भौतिक वस्तुएं

क.सं.	प्रदर्श नम्बर	विवरण	गवाह जिसके द्वारा आर्टिकल प्रमाणित / प्रदर्शित करवाया गया
1	आर्टिकल ए–1	लकड़ी का डंडा	पी.डब्ल्यू 24
2	आर्टिकल ए–2	बांस की लाठी	पी.डब्ल्यू 27

–:<u>निर्णय</u>:–

दिनांक :– 16.03.2026

1. संक्षेप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.09.2022 को परिवादी सोनू कुमार पी. डब्ल्यू 1 ने एक **तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 1** पुलिस थाना खेड़ली पर इस आशय की दी, कि प्रार्थी ग्राम कंचनवास थाना खेरली का रहने वाला है। प्रार्थी की भाभी गौरंती देवी दोपहर 2.30–3.00 बजे खेतों से घर आ रही थी तो भगवानसहाय पुत्र पन्नाराम, पन्नाराम पुत्र मूलाराम, अनीता पत्नी भगवानसहाय ने अपने घर के आगे रोक लिया और उसके साथ लात थप्पड़ों से मारपीट की। भगवानसहाय ने प्रार्थी की भाभी को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसकी लूगड़ी सिर से हट गई और बेअदब हो गई। प्रार्थी की भाभी ने हल्ला मचाया तो प्रार्थी का पिता पून्याराम पुत्र मूलाराम, नत्थूराम पुत्र पून्याराम, जगनीदेवी पत्नी पून्याराम जब बचाने आई तो उक्त सभी मुलजिमान ने प्रार्थी के पिता, भाई व मां के साथ लाठी फर्सी के साथ मारपीट की। प्रार्थी के पिता पून्याराम के भगवानसहाय ने धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से चोट मारी, जिससे प्रार्थी के पिता के सिर में चोट आई है, जिन्हें ईलाज के लिए अलवर रेफर किया गया। प्रार्थी के भाई नत्थूराम के पन्नालाल ने लाठी की मारी, जिससे उसके दोनों हाथों की अंगुली में चोट आई तथा प्रार्थी के भाई को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसकी पीठ में चोट आई और प्रार्थी की मां जगनीदेवी के अनीता ने डंडे की अंगुली में मारी जिससे उसके चोट आई।

प्रार्थी खेरली कोचिंग में पढ़ रहा था, फोन आने पर घटना के बारे में पता चला। प्रार्थी को भगवानसहाय ने धमकी दी कि *''अगर तूने रिपोर्ट कराई तो परिवार को जान से खत्म कर देंगे''*.....इत्यादि।

2. उक्त तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना खेरली में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 390 / 2022 अन्तर्गत धारा 323, 341, 354, 506 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता 1860 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया, बाद अनुसंधान थानाधिकारी पुलिस थाना खेरली की ओर से न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेरलीमंडी, में जरिए सहायक लोक अभियोजक अभियुक्तगण भग. वानसहाय उर्फ कल्लू व पन्नालाल के विरुद्ध अपराध धारा 323, 341, 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता 1860 में अपराध बाबत् आरोप–पत्र पेश किया। प्रकरण सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट खेरली द्वारा बाद प्रसंज्ञान प्रकरण सुनवाई हेतु इस न्यायालय को कमिट किया गया।

3. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण भगवानसहाय उर्फ कल्लू व पन्नालाल को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 लगायत 3 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये एवं पृष्ठ संख्या 3 लगायत 4 भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात एवं पृष्ठ संख्या 5 भाग द्वितीय में वर्णित भौतिक वस्तुएं साक्ष्य में प्रदर्शित करवाई गई।

5. साक्ष्य अभियोजन के पूर्ण होने पर अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें उन्होंने कथन किया है उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, जिस पर साक्ष्य सफाई का अवसर दिया गया अपनी सफाई में अभियुक्त भगवानसहाय उर्फ कल्लू डी. डब्ल्यू के रूप में परीक्षित हुआ है तथा भाग द्वितीय में वर्णित प्रदर्श डी 1 लगायत डी 6 कुल 10 दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित कराए, सहवन से प्रदर्श डी 1 लगायत 4 दो–दो बार प्रदर्शित हो गए।

6. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय को निम्न बिन्दु पर विचारण करना है किः—

1. *क्या अभियुक्तगण भगवानसहाय उर्फ कल्लू व पन्नालाल ने साथ मिलकर दोनों के सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 02.09.2022 को समय दोपहर करीब 2.30—3.00 सरहद मौजा कंचनवास सालवाड़ी में परिवादी की भाभी गौरंती देवी, माता—पिता तथा भाई के साथ स्वेच्छया कुंद हथियारों से मारपीट कर उनके साधारण उपहतियां कारित कीं और उन्हें किसी निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर उनका स्वैच्छया सदोष अवरोध कारित किया?*

2. *यह कि क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी के पिता पून्याराम की मृत्यु कारित करने के आशय से उसके सिर पर धारदार हथियार से वार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी हत्या कारित हुई?*

3. *यदि हां, तो इसकी उचित सजा क्या होगी ?*

(U/s Sec. 341, 323, 302/ 34 IPC 1860)

7. बहस के दौरान अभियोजन पक्ष का तर्क है कि यह प्रकरण अभियोजन की सीधी साक्ष्य पर आधारित है प्रकरण के आहतगण एवं चश्मदीद गवाहान घटना के समस्त तथ्यों की पुष्टि कर व अभियोजन कथानक को पूर्णतः प्रमाणित करते हैं। जिन पर अविश्वास का कोई कारण नहीं है। केवल कुछ गवाहान जो अभियुक्तगण से हितबद्ध हैं वे पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, लेकिन उनकी साक्ष्य से अभियोजन कहानी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। अभियोजन की ओर से पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से भी अभियोजन कहानी पूर्णतया प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जावे।

8. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क दिया है कि इस प्रकरण में अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। परिवादी की भाभी गौरंती जब खेत से आ रही थी उस समय एक स्कूल बस उसके पास से गुजरी थी, बस से किसी बच्चे ने एक रबड़ का टुकड़ा गौरंती पर फेंक दिया, गौरंती ने गलतफहमीवश समझा कि यह रबड़ का टुकड़ा भगवानसहाय के परिवार में से किसी ने फेंका है, जिस पर गौरंती, पून्याराम, नत्थू व जगनी हाथों में लाठी, टांचिया आदि

हथियार लेकर अभियुक्तगण के घर पर झगड़ा करने गए व उन्होंने जाते ही अभियुक्त पन्नालाल के लाठी की मारी, जिससे पन्नालाल के हाथ की अंगुलियां टूट गई। जिसकी रिपोर्ट अभियुक्त पन्नालाल द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस ने परिवादी के भाई नत्थूराम, भाभी गौरंती मां जगनी के खिलाफ अपराध धारा 323, 341, 325 / 34 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र पेश किया है। आहतगण के साथ किसी ने मारपीट नहीं की। पून्याराम एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो उबड़–खाबड़ सड़क पर ठोकर खाकर नीचे गिर गया जिससे उसके चोटें आई थी। बाद में ईलाज के दौरान ऑपरेशन में हुई जटिलताओं एवं ऑपरेशन के असफल हो जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। पुन्याराम के साथ किसी भी व्यक्ति ने मारपीट नहीं की। घटना का परिवादी सुनी सुनाई साक्ष्य देता है वह घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। अन्य गवाह गौरंती, जगनी देवी व नत्थूराम हितबद्ध गवाहान हैं, वे केवल अपने खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे से बचने के लिए रंजिशवश झूठे बयान देते हैं। परिवादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारदार हथियार से मारपीट करना बताया है परंतु न्यायालय में परीक्षित होने पर यह गवाह कुंद हथियार लाठी से मारपीट करना बताता है। इसी प्रकार सभी आहतगण भी अपने बयानों में सुधार करते हुए लाठी से मारपीट करना बताते हैं, जबकि पुलिस बयानों में वे फर्सी से मारपीट करने का कथन करते हैं, इससे उनकी साक्ष्य अविश्वसनीय हो जाती है। गवाह हरिओम आहतगण का रिश्तेदार है, जो हितबद्धता के चलते मिथ्या कथन कर रहा है, जबकि वह मौके पर उपस्थित नहीं था। शेष सभी स्वतंत्र चश्मदीद गवाहान जो घटनास्थल के पड़ौसी भी हैं, पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। वे घटना की लैशमात्र भी ताईद नहीं करते। अन्य गवाह अनुसंधान कार्रवाई के दौरान बनाए गए औपचारिक गवाहान हैं, जिनसे घटना के तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है। अनुसंधान अधिकारीगण एवं स्वतंत्र गवाहान की साक्ष्य से स्पष्ट है कि परिवादी पक्ष अग्रेसिव पक्ष था। जो अपराध की तैयारी पश्चात् झगड़ा करने अभियुक्तगण के घर पर गया था। अभियुक्तगण का पून्याराम की मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था, ना ही उनके पास उसकी मृत्यु का कोई मोटिव था। इसलिए अभियोजन का यह प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अंत में अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया। अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए :– 1. 2025 (2) Cr.L.R.

(Raj.) 870 State of Rajasthan Vs. Kishan Singh & Ors.

2. 2025 Cr.L.R. (SC) 1379 Govind Vs. State of Haryana

9. उभय पक्षकारान की ओर से पत्रावली में पेश की गई साक्ष्य का अवलोकन करें तो प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण गवाह पी.डब्ल्यू 1 सोनू कुमार मीणा है जिसने सशपथ बयान दिया है कि दिनांक 02.09.2022 को समय करीब ढाई–तीन बजे की बात है। उसकी भाभी गौरंती देवी खेतों पर से आ रही थी तो रास्ते में भगवान सहाय, पन्नालाल अनीता, उनके घर के आगे रोक लिया तथा इसके साथ लात–घूंसों से मारपीट की। उसकी भाभी जमीन पर गिर गई जिससे वह बेअदब हो गई। तब उसने हल्ला मचाया तो उसके पिता पूनियाराम, उसका भाई नत्थूराम व मां जगनीदेवी बचाने आई तो तीनों मुल्जिमों ने लाठी व डण्डों से हमला कर दिया भगवानसहाय ने उसके पिता के सिर में लाठी की मारी। हत्या करने के आशय से और छाती में मारी। जिससे वह नीचे गिर गया और उसकी मां के अनीता ने डण्डों से मारा जिससे उसके सीधे हाथ की अंगुली कुचल गई और उसके भाई नत्थूराम के पन्ना ने लाठी से मारा जिससे उसकी दायें हाथ की अंगुली तथा बायें हाथ की अंगुली ओर सिर में चोट आई। वह घटना के समय कोचिंग में था। इस घटना के बारे में जानकारी उसे उसके भाई ने मोबाईल के द्वारा दी थी। उसके भाई और भाभी पिताजी को पकडकर खेरली अस्पताल लाया गया और उसने थाने में सूचना दी। थाने से एक कानि. आया जिसने पिताजी का मेडिकल कराया ज्यादा स्थिति खराब होने के कारण वह बोल नहीं पा रहा था जिससे डॉक्टरों ने खेरली से अलवर के लिये रैफर कर दिया था। अलवर जांच के दौरान गंभीर स्थिति पाये जाने के कारण उसे जयपुर रैफर कर दिया गया। 03.09.2022 को ट्रोमा अस्पताल में भर्ती कराया। जिससे हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और हैड इन्जरी होने के बाद 14.09. 2022 तक भर्ती रहा। 14.09.2022 को शाम को करीब पांच बजे वहां से डिस्चार्ज कर दिया तब भी वह बोलने की स्थिति में नहीं था। घर लाया गया और 20.09.2022 को सुबह पांच बजे उसकी मृत्यु हो गई जिसकी सूचना पुलिस थाना खेरली को दी गई और पुलिस द्वारा लाश को अस्पताल लाया गया। जिसका पोस्टमार्टम किया गया। करीब ग्यारह बजे लाश को नत्थू और नेतराम सुपुर्द कर दिया गया। लाश पूनियाराम का गांव में ले जाकर अन्तिम संस्कार किया गया। उसने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसकी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श

पी–1 है, पुलिस कार्यवाही, चाक एफआईआर प्रदर्श पी–2 है, दिनांक 15.9.2022 को सोनू, नत्थू और गौरंती के सामने पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 3 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

10. इस गवाह से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि झगड़े के समय वह कोचिंग में खेरली था। वह झगड़े के स्थान पर नहीं गया। उसके पिताजी को गांव सालवाड़ी से खेरली लेकर आए थे। उसके भाई व भाभी पिताजी को खेरली लेकर आए थे। एफआईआर उसने उसके भाई तथा मां के पूछकर कहने पर लिखवाई थी। उसकी मां व भाई ने उसे जैसे उसने रिपोर्ट में लिखवाया है यही घटना बताई थी। थाने के सामने एक आदमी बैठता है उससे रिपोर्ट लिखवाई थी। जब उसने रिपोर्ट लिखवाई थी, तब उसकी मां व भाई नहीं सुन रहे थे। उसने झगड़ा नहीं देखा। उसकी मां व भाई ने जैसे बताया वैसे लिखवाई थी। चोटें लाठी से आई थी धारदार हथियार से नहीं आई। धारदार हथियार से चोट मारना उसकी मां, भाई व भाभी ने बताया था। उसने मृतक पून्याराम के शरीर पर चोटें देखी थीं। एक सिर व एक छाती में। ये दोनों चोटें हथियार की नहीं, लाठी की थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में भगवान सहाय द्वारा मृतक पूनियाराम के धारदार हथियार से चोटें आना उसने लिखाया है। धारदार हथियार फर्सी थी। जो भगवानसहाय ने मारी थी और किसी के पास हथियार नहीं था। दोनों चोटें उसके पिताजी के भगवानसहाय ने मारी थी। भगवान पून्याराम की मृत्यु धारदार हथियार की चोट से नहीं हुई, बल्कि लाठी से हुई थी। पूनियाराम के दो चोटों के अलावा अन्य कोई चोट नहीं थी। पूनियाराम को भगवानसहाय के अलावा किसी ने नहीं मारा। नत्थूराम के कुल 3 चोटें आई थीं। ये चोटें पन्नालाल ने मारी थी। नत्थूराम का हाथ नहीं कटा था। अंगुली कुचल गई थी। नत्थू को केवल पन्नालाल ने ही मारा था। सुखलाल उस समय खेत में नयार लेने गया था। यह कहना गलत है कि उसकी भाभी गौरंती जब खेत में जा रही थी, तब किसी बच्चे ने पीछे से प्लास्टिक का टुकड़ा फेंक हो और उस बात को लेकर झगड़ा हुआ हो। यह कहना गलत है कि बच्चों के झगड़े को लेकर उसके पिता, भाई व भाभी भगवानसहाय के मकान पर गए हों और वहां जाकर झगड़ा किया हो। उनके व भगवानसहाय के बीच पहले से कोई मुकदमा नहीं चल रहा था। उसके पुलिस में बयान हुए थे उसमें उसने भगवानसहाय व पन्नालाल की

तरफ पैसे बाकी होने की रंजिश वाली बात बताई थी, लेकिन उन्होंने नहीं लिखी। पैसे की रंजिश होने की बात उसने एफआईआर में नहीं लिखाई। पूनियाराम व पन्नालाल दोनों खास भाई हैं। उसके भाभी और भगवानसहाय की पत्नी दोनों बहने हैं, परंतु चार पांच साल से बोलते नहीं हैं। यह कहना गलत है कि मृतक पून्याराम के सिर में फोड़ा हो रहा हो और उसके गिर जाने से सिर में चोट आ गई हो। जिससे मृत्यु हो तथा पून्यिाराम के फोडा में चोट आने की वजह से रंजिश होने के कारण पन्नालाल व भगवानसहाय के खिलाफ यह मुकदमा कराया हो। यह कहना गलत है कि पूनियाराम के सिर में धारदार हथियार की चोट आई हो और जिससे उसकी मृत्यु हुई हो तथा उसने एफआईआर में धारदार हथियार की बात गलत लिखाई है। यह बात सही है कि एफआईआर में धारदार हथियार से चोट आने की बात लिखाई थी, लेकिन पूनियाराम के चोट लाठी से आई थी।

11. गवाह पी. डब्ल्यू 2 नत्थूराम ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 02.09.2022 के दोपहर करीब ढाई तीन बजे की बात है। उसकी पत्नी गौरंती खेतों पर से आ रही थी तब उसकी पत्नी को घर के आगे भगवान सहाय, पन्नालाल अनीता तीनों ने रोक लिया। उन्होंने लात–घूंसा व थप्पडों से मारपीट की। भगवान सहाय ने उसकी पत्नी को नीचे गिरा दिया। उसकी लूगड़ी सिर से हट गई और बेअदब हो गई। जब उसकी पत्नी चिल्लाई तब वह, उसके पिताजी पून्याराम, मां जगनीदेवी को बचाने गए तो भगवान सहाय ने उसके पिताजी के सिर में लाठी की चोट मारी, पन्नाराम ने उसके लाठी की सिर में मारी, उसने हाथ से बचाव किया, जिससे उसके सीधे हाथ की अंगुली में चोट आ गई। उसकी मां के अनीता ने डंडे से मारी, जिससे उसके बाएं हाथ की अंगुली में चोट आई थी। उसकी पत्नी गौरंती के एक चोट गर्दन के पीछे, एक चोट कमर के नीचे पन्ना ने व अनीता दोनों ने चोट मारी। उसके पिताजी पुन्याराम को खेडली थाने पर लेकर गए थे फिर वहां से अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने हालत गंभीर बताई और अलवर रेफर कर दिया। अलवर ढाई तीन घंटे रुके और सीटी स्केन की रिपोर्ट को देखकर जयपुर रेफर कर दिया। तीन तारीख को सुबह जयपुर अस्पताल में एडमिट कर दिया। यहां ईलाज करवाया। पिताजी को खेडली से ही गंभीर थी। 20 तारीख को उसके पिताजी की मृत्यु हो गई 13 तारीख को उसका और उसके छोटे भाई सोनू के बयान एसएमएस अस्पताल में

हुए थे। उसके शरीर पर आई चोटों का मेडिकल 16 तारीख को हुआ था, उसके अलावा उसकी मां जगनीदेवी, पत्नी गौरंती के चोटें आई। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था। उस समय उसके अलावा उसका भाई सोनू, उसकी पत्नी गौरंती भी मौजूद थे। पुलिस ने उसके पिताजी का पंचनामा बनाया था। पंचनामा के समय छोटेलाल, मुरारी, नेतराम, यादराम और वह उपस्थित थे। पंचनामा प्रदर्श पी–05 है जिस पर से बी उसके हस्ताक्षर है। मृतक पुन्याराम की लाश गवाह नंतराम व मुरारीलाल के सामने उसे सुपुर्द की। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–06 है जिस पर ए से बी मर हस्ताक्षर है। उसके पिताजी की पोस्टमार्टम हुआ था। उसके पिताजी की मृत्यु सिर में चोट लगने के कारण हुई थी।

12. इस गवाह से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि थाने पर वह उसकी घरवाली, भाई सोनू पिता को लेकर गए थे। यह बात सही है कि जब झगड़ा हुआ तब उसका भाई सोनू मौके पर मौजूद नहीं था। यह बात सही है कि सोनू को, उसने उसकी मां व पत्नी तीनों ने ही घटना के बारे में बताया था। रिपोर्ट उनके थाने से जाने के बाद करीब नो बजे सोनू ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट उसने नहीं पढ़ी। घटना के 27–28 दिन बाद बयान हुए थे। उसने पुलिस को उसके पिता के सिर पर लाठी की चोट मारना बताया, फर्सी से चोट मारना नहीं बताया। पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का ए से बी भाग ''मेरे पिता व मां के.....मारपीट की'' में फर्सी शब्द पुलिस को नहीं बताया व सी से डी भाग ''धारदार हथियार'' शब्द पुलिस को नहीं बताया। यह बात सही है कि उसने पुलिस में बयान होने से पहले ही उसके पिता का मेडिकल हो गया था। यह बात सही है कि मेडिकल होने के के बाद उन्होंने उनके बयानों में लाठी की चोट बतायी थी क्योंकि उन्हें पहले से पता था। चार पांच साल से उनके व पन्नालाल के परिवार में बोलचाल नहीं थे, पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद था। उनके पन्नालाल की तरफ 60000–70000 रूपये थे। चार पांच साल पहले पिलाई के पैसे नहीं दिए। पुलिस को उन्होंने पैसे को लेकर जो विवाद दिया था, उसके बारे में बताया था। उसके भाई को उसने पै. सों के विवाद के बारे में एफआईआर दर्ज करने से पहले नहीं बताया। झगड़ा उनका उस समय पैसे के विवाद को लेकर नहीं हुआ था। यह कहना गलत है कि स्कूल की बस में से किसी बच्चे ने उतरकर उसकी पत्नी गौरंती के पीछे

कोई रबड़ का टुकड़ा फेंक दिया हो और उसके कारण वे पन्नालाल के घर उलाहना देने गए हों, फिर फिर झगड़ा हुआ हो। उसके पिता 14 तारीख को घर आ गए थे। घटना 2 तारीख की थी, 16 तारीख को बयान हुए। पुलिस 16 तारीख को आई थी। उस दिन उसकी मां व उसकी घरवाली के बयान हुए। उसके बयान जयपुर में हुए थे। उसने पुलिस बयान 13 तारीख को हुए थे। 14 तारीख के बाद पुलिस गांव में आई थी, तो उससे मुलजिमों के बारे में पूछताछ की थी। उसके चोट पन्नालाल ने मारी थी। लाठी से मारी थी। खोपड़ी में लाठी से बचने के लिए उसने हाथ उपर किए तब उसके चोट आई। सिर पर चोट आई थी। उसके सिर में खून नहीं निकला। हाथ के अंगूठा व छोटी अंगुली फट गई व खून आ गया। उसने उसकी अंगुलियों की चोट खेड़ली नहीं दिखाई, जयपुर चला गया। उसके टांके नहीं आए, पट्टी बांध ली थी। खेड़ली में मेडिकल के दिन उसने सिर की चोट के बारे में बताया था। उसका एक्सरे हुआ जिसमें फ्रेक्चर नहीं आया। यह कहना गलत है कि झूठा मुकदमा होने के कारण ही उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस बयानों में फर्सी से चोट मारना लिखाया हो। यह कहना गलत है कि उन्होंनें मुलजिमान पक्ष के साथ मारपीट की हो।

13. गवाह पी.डब्ल्यू 3 श्रीमती गौरंती ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 02.09.22 को दोपहर 2.30–3.00 बजे की बात है। उस समय वह खेतों पर से आ रही थी। रास्ते में सड़क पर भगवान सहाय, पन्नालाल और अनीता तीनों ने उसे घेर लिया और उसके साथ लात घूंसो और थप्पडों से पिटाई की और उसके कपड़े इधर उधर हो गए थे और लूगड़ी सिर से उतर गयी थी। फिर उसने शोर मचाया तो थोडी दूर उनका घर है तो वहां से उसके घरवाले ने सुना और उसका पति नत्थूराम और ससुर पून्याराम और सास जगनी देवी उसे बचाने उसके घर से भागे। जब वे आये तो पन्नालाल, भगवान सहाय और अनीता लाठी डंडे ले आये तब उन्होंने उनकी भी पिटाई की। भगवान सहाय ने पुन्याराम के लाठी से सिर में मारी और छाती में और पन्नालाल ने नत्थूराम के सिर व हाथ में लाठी से मारा और अनीता ने उसकी सास के व उसके डंडे से मारा। फिर वे उनके ससुर को लेकर खेडली पहुंचे तो वहां पुलिस वालों ने कहा कि तुम हॉस्पिटल चलो हम आ रहे हैं। फिर वहां उन्होंने अस्पताल में उसके ससुर को दिखाया तो वहां उन्हें गहरी चोट बतायी और वहां उन्हें

अलवर के लिये रेफर कर दिया। फिर वह और उसके पति उनको लेकर तुरंत अलवर गये तो अलवर में अस्पताल में ससुर को आधा घंटा रखा उसके बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। फिर सुबह 3 तारीख को जयपुर पहुंचे और उनको भर्ती कराया। उनके जाने के बाद उन्होंने सोनू को फोन पर बताया था और वह उनको खेडली में मिले थे तब उन्होने रिपोर्ट लिखवायी। फिर 14 तारीख को ससुर की अस्पताल से छुट्टी कर दी और 7 दिन की दवाइयां दे दी थी और कहा कि 7 दिन बाद उन्हे लेकर आना, लेकिन वो 7 दिन से पहले 20.09.22 को ही उनकी मृत्यु हो गयी। पुलिस ने उसके सामने 15.09.22 को घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था। जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। उसकी चोटों का मेडिकल 16 तारीख को हुआ था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 7 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी के बयान हुए थे, जो प्रदर्श पी 8 है। जिस पर ऐ से बी गवाह के हस्ताक्षर हैं।

14. इस गवाह से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करती है कि गवाह पढ़ी लिखी है। उसके पुलिस में बयान हुये थे। सोनू ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी सोनू मौके पर मौजूद नहीं था। यह कहना गलत है कि उसने उसके देवर सोनू को उसके ससुर पून्याराम सास और पति के साथ लाठी फर्सी से मारपीट करने की बात नहीं बतायी। उसने देवर सोनू को उसके ससुर पून्याराम के भगवान सहाय द्वारा धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से चोट मारना नहीं बताया, बल्कि लाठी से बताया था। उसने मृतक ससुर पुन्याराम के चोटें देखी थी, दो चोटें थी सिर व छाती पर। यह बात सही है कि सिर की चोट में टांके आये थे। उसके देवर सोनू ने यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 में फर्सी से चोट मारना बताया जो गलत है और झूठी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके व उसके ससुर और पति सास के साथ लाठी व फर्सी से मारपीट करना नहीं बताया बल्कि लाठी से मारपीट करना बताया। लाठी से मारने की बात सही है फर्सी से मारने वाली बात गलत है। उसके देवर द्वारा एफआईआर फर्सी व धारदार हथियार से मेरे ससुर भगवान सहाय के साथ मारना झूठा बताया है। धारदार हथियार से मारना झूठा नहीं है, गलत है। उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान हुये थे। उसने 164 सीआरपीसी प्रदर्श पी 8 के बयानों में उसके ससुर पर भगवान सहाय ने पीछे से फर्सी से सिर पर वार करना नहीं

लिखाया। 164 सीआरपीसी के बयान में फर्सी वाली बात गलत है। 164 सीआरपीसी प्रदर्श पी 8 का ए से बी भाग में फर्सी शब्द गलत लिखा है बाकी बातें सही है। यह बात सही है कि उसकी लूगडी सडक पर गिर गयी थी। पन्नालाल, पून्याराम का बड़ा भाई है। उसके पति की उम्र 27 साल है और उसके पति को पन्नालाल ने मारा। उसके शरीर में खून नहीं निकला अंदर मार लगी थी व उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। गवाह 15 दिन बाद आयी थी तब उसका मेडिकल हुआ था। उस समय मेरी चोट सही हो गयी थी। गवाह ने मुलजिम पन्नालाल के मकान के सामने ग्रेवल सडक पर झगड़ा होना बताया है। अगर पुलिस ने झगडे में 3 नंबर स्थान पर झगड़ा होना नहीं बताया है तो नक्शा गलत है। उनके गांव में बच्चों को लेकर स्कूल की बस नहीं आती है। यह कहना गलत है वह घर पर थी और बच्चे उतरकर बस से अपने घर जा रहे हो और कल्लू के बच्चों ने रबड का टूक उठाकर उसके पीछे फेंक दिया हो, इसको लेकर वह अपने बच्चों के पीछे कल्लू के घर गयी हो और बच्चों की बात को लेकर कल्लू और गौरंती में आपस में कहासुनी हुयी हो और इसको लेकर झगड़ा हुआ हो यह गलत है। उसके ससुर को 14 को लेकर आये थे और उस समय उसका ससुर होश में नहीं था। फिर उन्होंने उसको 14.09.23 को खेडली अस्पताल नहीं दिखाया। यह बात सही है कि उनके व मुलिजमान के बीच पुरानी दुश्मनी थी। झगड़ा बच्चों की बात को लेकर नहीं हुआ पुरानी रंजिश को लेकर हुआ था। उसने पुरानी रंजिश की बात पुलिस को बतायी थी। उसे ध्यान नहीं है कि उसने पुरानी रंजिश के कारण झगड़ा होना बयानों में मजिस्ट्रेट के सामने बतायी थी या नहीं बतायी थी। पुरानी रंजिश 60–70 हजार रूपयों को लेकर थी ये वाली बात उसने पुलिस को बतायी या नहीं बतायी उसे ध्यान नहीं हैं। गवाह ने बयान 164 सीआरपीसी प्रदर्श पी 8 पढ़कर बताया कि बयानों में 60–70 हजार रु वाली बात नहीं लिखायी थी। 60–70 हजार रूपयों को लेकर पहले भी कई बार मारपीट हो चुकी है। हमने पूर्व में हुये लडाई झगडे की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी, क्योंकि रिश्तेदारों ने मना कर दिया था। अब ससुर जब जान से खत्म हो चुका है तो हमने रिपोर्ट दर्ज करवायी है। उसके पास 60–70 हजार रूपयों की लिखाई पढ़ाई नहीं है ये पिलाई के पैसे है जिनको ये नहीं दे रहे है। पन्नालाल के खेतों में बोरिंग लगी हुयी है जो अब है पहले नहीं थी। अब जो बोरिंग हैं वो 2–3 तीन साल पहले

लगाई है रूपये 4–5 साल पुराने हैं। उनका बीच बचाव कराने वाले हितेश हरिओम और छोटेलाल आदि थे। हितेश उसका जेठ का लड़का है, हरिओम उसका देवर है। छोटेलाल मेरा ससुर लगता है। नक्शे में इन लोगों के मकान नहीं दिखाये है मकान पास में ही हैं। यह कहना गलत है कि झगड़ा स्थल पर पन्नालाल का मकान नहीं हो। सडक के एक तरफ पन्नालाल का मकान है और एक तरफ खाली खेत है। एक्स स्थान के सामने खाली खेत है पीपल के पेड के पास झगड़ा हुआ था रोड पर। वे जयपुर से 14 तारीख को आये थे। रिपोर्ट 2 तारीख को दर्ज करायी थी। नक्शा मौका 15 को बनाया था। उसके पति के खिलाफ खेडली में मुकदमा नहीं चल रहा। उसके ससुर और सास और देवर के खिलाफ खेडली में मुकदमा नहीं चल रहा। यह बात सही है यदि एफआईआर में सोनू ने फर्सी से मारना लिखाया हो यह बात गलत है।

15. गवाह पी.डब्ल्यू 4 श्रीमती जगनी देवी ने सशपथ साक्ष्य दी है कि 1.5 साल पहले की बात है समय करीब 2:30 बजे की बात है। उसकी बहु गौरंती खेत पर से आ रही थी, रास्ते में उसे कल्लू उर्फ भगवान सहाय ने घेर लिया। भगवान सहाय, पन्ना, अनीता ने उसके पति के लाठी से सिर में मारी। नत्थूराम को पन्ना ने लाठी से मारा। उसे अनीता ने बांये हाथ में डण्डे की मारी थी, जिससे उसकी अंगुली टूट गई। उनकी मारपीट के बाद हितेश, हरियोम ने उन्हें बचाया। ईलाज के लिये उसके बहु व बेटे खेडली अस्पताल लेकर गये थे। खेडली से अलवर व अलवर से जयपुर अस्पताल भेज दिया था। उस समय उसका पति बोलने की स्थिति में नहीं था। उसका बेटा सोनू कोचिंग पढ रहा था उसे फोन करके सूचना दी। उस समय पून्याराम की हालत गम्भीर थी। उसका पति 16 दिन एस.एम.एस. जयपुर में भर्ती रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने घर भेज दिया था, उसके 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके शरीर पर आई चोटों का मेडिकल हुआ था जो प्रदर्श पी–9 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

16. इस गवाह से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करती है कि झगडे के समय सोनू मौजूद नहीं था। यह झूठी बात है उसने सोनु को झगडे की बात नहीं बताई। सोनू ने रिपोर्ट झूठी नहीं कराई सही कराई। यह बात सही है कि जो उसने, पुत्रवधु गौरंती व पुत्र नत्थूराम ने जो बात सोनू को बात बताई वही बात थाना में रिपोर्ट लिखाई और वह घर पर

थी। उसने सोनू को कोई बात नहीं बताई क्योंकि वह घर पर थी। उससे पुलिस ने कोई पुछताछ नहीं की। उसके व हाथ में चोट आई थी और कहीं नहीं लगी थी। उसका डॉक्टरी मुआयना पून्याराम की मृत्यु के बाद हुआ था तारीख का उसे ध्यान नहीं कितनी तारीख को हुआ था। वह चोट लगने से बेहोश हो कर गिर गई। जाने उसे होश आया या नहीं आया उसे पता नहीं और बेहोश हो जाने के कारण उसे पता नहीं क्या हुआ था। उसके 70 हजार रूपये थे 5–6 साल पुराने थे तब से बोला चाली नहीं थी। वहां पर झगडे के समय घोड्या, सुखलाल व सुआ नहीं था। फिर कहा कि इनके मकान तो हैं। वह हितेश छोटेलाल को जानती है सुबेसिंह व हरप्रसाद को नहीं जानती। झगडे के समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था केवल वे ही थे। सोनू ने प्रथम सूचना रिपोर्ट मे भगवान सहाय ने फर्सी से मारना गलत लिखाया है लाठी से मारा था। पुलिस बयान प्रदर्श डी–4 में ए से बी भाग में फर्सी शब्द गलत लिखा है, सी से डी भाग में धारदार हथियार से चोट मारना गलत लिखा है। पन्नालाल उसका जेठ लगता है पन्नालाल उसका देवर नहीं लगता। फर्सी किसी के भी हाथ में नहीं थी। उसके जाते ही मौके पर पहुंचते ही लाठी मार दी। उसके लाठी लगते ही बेहोश हो गई। यह कहना गलत है कि उसका पति जैसे ही मौके पर गया और ठोकर खाकर गिर गया और चोट आ गई हो। यह कहना गलत है कि एसएमएस अस्पताल से सही होकर आ गया हो और हमने दवा सही वक्त पर नहीं दी हो। यह कहना गलत है कि उसके लडके व बहु के खिलाफ मुकदमा खेडली में चल रहा है और उन्होंने भगवानसहाय के साथ मारपीट की हो।

17. गवाहान पी.डब्ल्यू 5 यादराम, पी.डब्ल्यू 6 नेतराम व पी.डब्ल्यू 8 मुरारी ने लगभग समान रूप से सशपथ साक्ष्य दी है कि पुलिस ने मृतक पून्याराम का उनके सामने फर्द पंचायतनामा बनाया था। जो प्रदर्श पी 5 है। जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं।

18. गवाह पी.डब्ल्यू 5 जिरह में स्वीकार करता है कि पंचायतनामा पढ़कर सुनाया था, लेकिन क्या सुनाया उसे याद नहीं है, उसने पढ़ा भी था लेकिन उसे याद नहीं है, उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिए थे। आज पंचायतनामा के बारे में कुछ नहीं बता सकता।

19. गवाह पी.डब्ल्यू 6 नेतराम जिरह में स्वीकार करता है कि पंचायतनामा में क्या लिखा था उसे पता नहीं है। पून्याराम का लड़का उसे बुलाकर ले गया था। उसने हस्ताक्षर पून्याराम के लड़के के कहने से नहीं, पुलिस के कहने पर किए थे।

20. गवाह पी.डब्ल्यू 8 जिरह में स्वीकार करता है कि पंचायतनामा में क्या लिखा, उसे याद नहीं है। उसने बिना पढ़े पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर किए थे।

21. गवाह पी. डब्ल्यू 7 छोटेलाल ने साक्ष्य दी है कि 1.5–2 साल पहले की बात है। 10–11 बजे की बात है। लड़ाई–झगड़ा का उसे पता नहीं है। मृतक की लाश दी थी, किसने किसके मारी उसे पता नहीं है। वह लड़ाई झगड़े की सुनकर मौके पर नहीं गया व बीच बचाव नहीं कराया। किसी के चोट आई हो तो उसे पता नहीं है। पुलिस ने गवाह के सामने मृतक पून्याराम का फर्द पंचायतनामा बनाया था जो प्रदर्श पी 05 है। जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

22. अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह स्वीकार करता है कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए। गवाह पुलिस बयान प्रदर्श पी 10 का ए से बी भाग *''मैं लड़ाई झगड़ा.....हुई है''* पुलिस को लिखाने से इंकार करता है।

23. गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि पुलिस ने पंचायतनामा में क्या लिखा उसे पता नहीं। पुलिस ने कहा तो उसने अंगूठा लगा दिया। अंगूठा उसने थाने पर लगाया था।

24. गवाह पी.डब्ल्यू 9 हितेश ने न्यायालय में परीक्षित होने पर सशपथ कथन किया कि कितनी तारीख व कितने बजे की बात है, उसे याद नहीं है। उस दिन उसने लड़ाई की सुनी थी कि बच्चों में रबर का गेंद फेंकने पर लडाई झगड़ा हो गया। किसी के कोई चोट आई हो तो उसे पता नहीं। अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करने से इस गवाह को अपर लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 11 का ए से बी भाग *''दिनांक 02.09.2022.....मारपीट की थी''* व सी से डी भाग ''पून्याराम व उसके.....तीनों ही थे'' लिखाने से इंकार करता है। यह कहना गलत है कि पून्याराम के व उसके परिवार वालों

के साथ मारपीट करने में पन्नालाल व उसका लड़का भगवानसहाय व उसकी पत्नी अनीता हो। यह कहना गलत है कि पून्याराम की चोट लगने से मौत हुई हो। यह कहना गलत है कि मुलजिमान को बचाने के लिए वह झूठे बयान दे रहा हो।

25. गवाह पी. डब्ल्यू 10 श्रीमती कांता ने सशपथ साक्ष्य दी है कि 02.09.2022 की बात है करीबन 2–3 बजे की बात है। वह घर पर थी। उस दिन बच्चों की बस आई थी तो उनमें से किसी बच्चे ने रबर का टूक फेंक कर मारा जो गौरंती के लगा। फिर गौरंती देवी भगवान सहाय के घर गई। फिर दोनों में झगड़ा हो गया। फिर गौरंती वापिस अपने घर वापिस अपने घर आई, वहां से अपने पति, सास और ससुर को बुलाकर ले गई। फिर क्या हुआ उसे पता नहीं वह घर पर थी। अपर लोक अभियोजक द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 12 का ए से बी भाग *''इनके आपस में.....मौजूद था''* व सी से डी भाग *''मारपीट करने में.....झगड़ा हुआ था''* लिखाने से इंकार करती है।

26. गवाह जिरह में स्वीकार करती है कि पुलिस में उसके बयान नहीं हुए। पुलिस बयान प्रदर्श पी 12 का ऐ से बी व सी से डी भाग पुलिस को नहीं दिया। यह कहना गलत है कि मुलजिमान को बचाने के लिए झूठे बयान दे रही हो।

27. गवाह पी. डब्ल्यू 11 हरिओम मीना ने सशपथ साक्ष्य दी है कि 7 सितंबर को दोपहर 2.30–3.00 बजे की बात है। सुनीता खेत से आ रही थी। उनका आपसी कोई पिलाई का झगड़ा था। भगवान सहाय की पत्नी ने उसे गाली दी। आपस में गाली गलौच हुआ। उसके बाद सुनीता को सड़क पर डाल दिया वो चिल्लाई तो नत्थूराम व पून्याराम वहां पहुंचे, झगड़ा और बढ़ गया। भगवान सहाय ने पुन्याराम के सिर में लाठी मार दी। वहीं पन्नालाल ने नत्थूराम के बाएं हाथ पर डंडे मारे। पून्याराम के सिर में चोट आने से बहुत ज्यादा खून बहने लगा, जगनी के भी मारपीट की उसका भी हाथ–पैर डंडे से कुचल दिए। सुनीता के सिर पर लूगड़ी हटा कर भगवान सहाय ने दो डंडे उसके भी मारे। नत्थूराम पुन्याराम को लेकर अस्पताल आ गया।

28. अब इस गवाह से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि पून्याराम उसका मौसा लगता है। उसका मकान पन्नालाल के मकान से लगभग 7–8 मकान दूर है। वह दिल्ली पढ़ता है और उस दिन गांव में था। उसके अलावा हरकेश था और कोई नहीं था। हरकेश का मकान पन्नालाल के मकान के पास है। हरकेश के पिता का नाम बुद्धाराम मीणा हैं पून्याराम को नत्थूराम खेड़ली लेकर गया था। उसे पता नहीं है कि सुनीता व जगनी कितनी देर बाद गए क्योंकि वह आ गया था। उसने पून्याराम के शरीर पर कितनी चोट आई गिना नहीं। भगवानसहाय ने पून्याराम को लाठी मारी। पन्नालाल ने नत्थूराम के लाठी मारी। सुनीता के भगवानसहाय ने कितनी लाठी मारी उसे पता नहीं। जगनी देवी के भगवानसहाय ने तीन चार लाठी मारी। ये सभी चोटें उसने देखी थी। भगवानसहाय द्वारा जगनी देवी के दो चोटें दायें हाथ पर और एक पीठ पर, एक लाठी पैर में और उसे पता नहीं। उसने पून्याराम के भगवानसहाय के लाठी मारी, उसने गिनी नहीं। चोट उसने देखी थी और चोटें उसने नहीं देखी थी, क्योंकि कपड़े उसने नहीं हटाए थे। सुनीता के भगवानसहाय ने तीन चार लाठी मारी थी। सुनीता गिर गई थी। सुनीता के किस हिस्से में लगी उसने नहीं देखा। सुनीता के पीठ पर लाठी मारने से फ्रेक्चर नहीं आया। सुनीता के कौन से पैर पर सूजन आई उसे पता नहीं। यह कहना गलत है कि पून्याराम, नत्थूराम व उसकी पत्नी सुनीता, जगनी देवी हाथों में डंडा लेकर पन्नालाल के घर पर झगड़ा करने गए हो। उसके पुलिस में बयान हुए थे। पुलिस बयान में उसने पून्याराम व पन्नालाल के आपस में छोटे बच्चों की बात को लेकर झगड़ा होने की बात नहीं लिखाई। नत्थूराम की चोटों में खून निकल रहा था। यह बात सही है कि झगड़े के समय हरकेश के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। यह कहना गलत है कि पून्याराम घर से भागकर आने पर पत्थर से गिर गया हो और उसके चोटें आई हों।

29. गवाह पी.डब्ल्यू 12 डॉ. हीरेंद्र कुमार शर्मा ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 20.09.2022 को एसएसमओ के पद पर सीएचसी खेड़ली पर तैनात था। उस दिन पुलिस तहरीर व थाना खेड़ली पर गठित मेडिकल बोर्ड ने उन्होंने पुन्याराम पुत्र मूलाराम उम्र 70 साल निवासी कंचनबास का पोस्टमार्टम किया। शरीर कमजोर व लीन था। गर्दन पर कोई फंदे का निशान नहीं था। दोनों आंखों की पुतलियां फैली हुई एवं फिक्स थीं। पूरे शरीर पर पोस्टमार्टम

अकड़न आई हुई थी। फैफड़ों की झिल्लियां कांगेस्टेड थी। सांस नली एवं ट्रेकिया कांगेस्टेड थी एवं ट्रेकिया में होल प्रेसेंट था। दोनों फेफड़े हेल्दी एवं कांगेस्टेड थे। हृदय एवं हृदय की दीवारें, पेट की दीवार, पेट की झिल्लियां, मुंह एवं खाने की नली, लीवर, तिल्ली, किडनी, पेशाब की थैली हेल्दी एवं कांगेस्टेड थे। पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत खाली थे।

30. सिर की इंजरी निम्न प्रकार हैः— सिर के बांयी तरफ ऑपरेशन के बाद टांके लगे हुए थे। जो कि सिर के फटल रिजन से लेकर अस्थीपटल भाग तक थे जो कि राईट कान के उपर से राईट टेम्पोटल भाग में गुहरे हुए थे। टांकों की लंबाई लगभग 30 सेमी थी। ऑपरेशन के बाद के टांके दायें पेरेंटल भाग में भी स्थित थे जो कि लगभग 12 सेमी लंबाई तक में थे। ऑपरेशन के बाद के टांकों के निशान राईट टेम्पोटल भाग में स्थित थे जो कि लगभग 10 सेमी लंबे थे। सिर को खोलने पर काले रंग का रक्त का थक्का सिर के फंटो पैराइटल भाग में स्थित था। ब्लड का ब्रेन के राइट पैराइटल लोब में गहरा कलेक्शन था जो कि सबड्यूरल हेमोटोमा था। ब्रेन का टिश्यू सूजा हुआ था। स्कल के दांयी तरफ क्रेनियोटोमी की गई थी जिसमें ब्लड भरा हुआ था। बहुत सारे हवा के फोकल ब्रेन टिश्यू में थे। सिर के राईट पैराइटल बोन में फ्रैक्चर था जिसमें एसडीएच में था। ट्रीटमेंट नोटस एसएमएस अस्पताल जयपुर के हिसाब से राईट फ्रंटल पैराइटल हेमेटोमा के लिए ऑपरेटिव प्रोसिजर किया। जिसमें डीकप्रेसिव फ्रेनियोटोमी के साथ सक्शन एंड ईवेल्यूएशन ऑफ एसडीएच किया गया एवं ईडीएच किया गया। इसके साथ ड्यूराप्लास्टी एंड पेरीक्रेनियल क्लोच किया गया। सांस नली में ट्रेकियोस्टोमी होल प्रेसेंट था। खाने की नली लगी हुई थी। फोलिज कैथेटल लगा हुआ था। ब्रेन टिस्यू जो कि राइट फ्रंटो पैराइटल रीजन के नीचे था वो ईटीमेटस था एवं सूजन थी, फील्ड जो कि काले रंग के खून से भरा था। ब्लड में बहुत सारे एयर बोब्ल्स थे। रायः— बाद पूरी बॉडी के एक्जामिनेशन एवं ट्रीटमेंट्स नोटस व पूरे मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार पून्याराम की मौत का कारण हेड इंजरी के कांपलिकेशन जो कि उपर लिखा गया है। उपरोक्त वर्णित हेड इंजरी के कोम्पलिकेशन के कारण मौत हुई है। मृत्यु 24 घंटों की अंदर हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। सी से डी मेडिकल रिपोर्ट है।

31. गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि यह बात सही है कि मृतक का ट्रीटमेंट रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध हैं पोस्टमार्टम के वक्त मृतक के सिर की सर्जरी हो चुकी थी। इसलिए चोट के साईज के बारे में कहना संभव नहीं है। यह बात सही है कि मृतक की सर्जरी सिर के दायीं तरफ कान के पास की गई थी। ब्लड का कलर चोट के 7 दिन बाद ब्लैक हो जाता है। सर्जरी के दौरान एवं बाद में जो कॉम्पलिकेशन आए उनसे मृतक की मृत्यु होना संभावित है, लेकिन मृतक की मृत्यु हेड इंजरी के बाद जो कॉम्पलीकेशनस हुए उससे हुई थी।

32. गवाह पी.डब्ल्यू 13 डॉ. अंकित जेटली ने अपने सशपथ बयानों में बताया है कि वह दिनांक 02.09.2022 को समय शाम 6 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरली चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात था। तभी पुलिस प्रतिवेदन खेड़ली पर उसने पुन्याराम पुत्र मूल्याराम उम्र 70 साल निवासी सालवाड़ी के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल किया। चोट नं. 1 कटा भरा घाव 3 गुणा 2 सेमी का उपरी मसल तक सिर के फ्रंटल पैराइटल हिस्से पर था। जिसका ओपिनियन रिजर्व कर एक्स–रे एडवाइज किया गया। चोट नं. 2 दर्द व टेंडरनेस छाती पर थी जिसका ओपिनियन रिजर्व कर एक्स–रे एडवाईज किया गया। चोट सं. 3 शरीर में दर्द कोई बाहरी चोट नहीं। इन चोटों की अवधि 6 घंटों के भीतर की है। पुन्याराम की मेडिकल रिपोर्ट का कोई भी ओपिनियन नहीं दिया गया। पुन्याराम का एमएलसी प्रदर्श पी 14 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर एवं सी से डी मजरूब के हस्ताक्षर हैं।

33. गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि यह बात सही है कि मजरूब की चोट आंख के उपर सामने व पैराइटल हिस्से पर आई थी। ये चोट ठोकर खाकर गिरने पड़ने व ठोस धरातल पर गिरने पड़ने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

34. गवाह पी.डब्ल्यू 14 रामदयाल ने न्यायालय में परीक्षित होने पर सशपथ बयान दिया कि कितनी तारीख व कितने बजे की बात है, उसे पता नहीं है। किस किस के बीच झगड़ा हुआ उसे पता नहीं है। उसने किसी के चोट व लड़ाई झगड़ा होते हुए नहीं देखा। यह गवाह अभियोजन कहानी की लैशमात्र भी ताईद नहीं करता है। अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करने से इस गवाह को अपर लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। अपर लोक

अभियोजक की जिरह में गवाह ने अपना पुलिस बयान प्रदर्श पी 15 का ए से बी भाग *''पन्ना व पून्या.....झगड़ा हुआ था''* सुनकर कहा कि ऐसा बयान उसने नहीं लिखाया। गवाह आगे स्वीकार करता है कि यह कहना गलत है कि दोनों भाईयों के घरवालों में आपस में कहासुनी हुयी हो। यह कहना गलत है कि कहासुनी में आपस में घरवालों में दोनों पक्षों में मारपीट व लडाई झगड़ा हुआ हो। यह कहना गलत है कि पून्याराम के सिर पर गंभीर चोट आयी हो और उसके 20–22 दिन बाद मृत्यु हो गयी हो। यह कहना गलत है कि वह मुलिजमान को बचाने के लिये झूठा बयान दे रहा हो।

35. गवाह पी.डब्ल्यू 15 सुबे सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है कि कितनी तारीख व कितने बजे की बात है, उसे पता नहीं है। किस किस के बीच झगड़ा हुआ उसे पता नहीं है। उसने किसी के चोट व लड़ाई झगड़ा होते हुए नहीं देखा। अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करने से इस गवाह को अपर लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह ने अपना पुलिस बयान प्रदर्श पी 16 का ए से बी भाग *''दिन में करीब.....नहीं हुई थी''* सुनकर कहा कि ऐसा बयान उसने पुलिस को नहीं लिखाया। यह कहना गलत है कि दोनों भाईयों के घरवालों में आपस में कहासुनी हुयी हो। यह कहना गलत है कि कहासुनी में आपस में घरवालों में दोनों पक्षों में मारपीट व लडाई झगड़ा हुआ हो। यह कहना गलत है कि पून्याराम के सिर पर गंभीर चोट आयी हो और उसके 20–22 दिन बाद मृत्यु हो गयी हो। यह कहना गलत है कि वह मुलिजमान को बचाने के लिये झूठा बयान दे रहा हो।

36. गवाह पी.डब्ल्यू 16 हरिप्रसाद ने सशपथ साक्ष्य दी है कि कितनी तारीख व कितने बजे की बात है, उसे पता नहीं है। उसने किसी के चोट व लड़ाई झगड़ा होते हुए नहीं देखा। किस किसके बीच में कहासुनी हुई, उसे पता नहीं है। उसने दोनों पक्षों में किसी के भी मारपीट होते हुए नेही देखी। मारपीट में किसके कहां चोट आई उसे पता नहीं है। अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करने से इस गवाह को अपर लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी 17 का ए से बी भाग *''मैं हमारे गांव.....नहीं हुई थी''* सुनकर कहा कि ऐसा बयान उसने पुलिस को नहीं लिखाया। यह कहना गलत है कि दोनों

भाईयों के घरवालों में आपस में कहासुनी हुयी हो। यह कहना गलत है कि कहासुनी में आपस में घरवालों में दोनों पक्षों में मारपीट व लडाई झगड़ा हुआ हो। यह कहना गलत है कि पून्याराम के सिर पर गंभीर चोट आयी हो और उसके 20–22 दिन बाद मृत्यु हो गयी हो। यह कहना गलत है कि वह मुलिजमान को बचाने के लिये झूठा बयान दे रहा हो।

37. गवाह पी.डब्ल्यू 17 डॉ. विकास अग्रवाल व गवाह पी.डब्ल्यू 18 डॉ. लखनलाल ने लगभग समान रूप से सशपथ साक्ष्य दी है कि वे दिनांक 20.09.2022 को एम ओ के पद पर सी एच सी खेरली में कार्यरत थे। उस दिन पुलिस तहरीर थाना खेरली पर गठित मेडिकल बोर्ड में वे व डॉ. हरेन्द्र शर्मा सदस्य थे। उन्होंने पुन्याराम पुत्र मूलाराम उम्र 70 साल निवासी कंचनबास (मृतक) का पोस्टमॉर्टम किया। उसका शरीर कमजोर व लीन था व गर्दन पर कोई फंदे का निशान नहीं था। दोनों आँखों की पुतलिया फूली हुई थी एवं फिक्स थी। पूरे शरीर पर पोस्टमॉर्टम अकडन आयी हुई थी। फेंफड़ों की झिल्लियां कंजस्टर्ड थी सांस नली एवं ट्रैकिया कंजस्टेड थी एवं ट्रैकिया में होल उपस्थित था। दोनों फेंफडे हैल्दी एवं कंजस्टेड थे। हृदय एवं हृदय की दीवारें हैल्दी एवं कंजस्टेड थी। पेट की दीवारें एवं पेट की झिल्लियां हैल्दी एवं कंजस्टेड थीं, मुंह एवं खाने की नली हैल्दी एवं कंजस्टेड थी। पेड, छोटी आंत बड़ी आंत खाली थी। लीवर, तिल्ली, किडनी एवं पेशाब की थैली हैल्दी एवं कंजस्टेड थी। सिर पर आयी चोटें निम्न प्रकार थी :– सिर के बांये तरफ ऑपरेशन के बाद के टांके लगे हुए थे। जो कि सिर के फ्रंटल रीजन से लेकर ऑक्सीपिटल भाग तक थे जो कि सीधे कान के उपर से सीधे टेंपोरल भाग गुजरे हुए थे। टांकों की लम्बाई लगभग 30 सेमी थी। ऑपरेशन के बाद के टांके दायें पैराइटल भाग में स्थित थे। जो कि लगभग 12 सेमी लंबाई के थे। ऑपरेशन के बाद के टांकों के निशान राईट टेंपोरल भाग में स्थित थें जो कि लगभग 10 सेमी लंबे थे। सिर को खोलने पर काले रंग का थक्का सिर के फ्रंटो पैराईटल भाग में स्थित था। ब्लड का ब्रेन के राईट पैराईटल लोब में गहरा कलैक्शन था, जो कि सवडयूरल हिमोटोमा था। ब्रेन का टिश्यू सूजा हुआ था। स्कल के दांयी तरफ क्रेनियोटोमी की गई थी जिसमें ब्लड भरा हुआ था। बहुत सारे हवा के फोकाई ब्रेन टिश्यू में थे। सिर के राईट पैराईटल बोन में फ्रेक्चर था। जिसमें एस डी एच था। ट्रिटमेंट नोटस एस एम एस अस्पताल

जयपुर के हिसाब से राईट फंटल पेराइटल हिमोटोमा के लिए ऑपरेशन किया गया था। जिसमें डिप्रेसिव केनोटोमी के साथ सक्सन एवं इवेक्यूलेशन ऑफ एस डी एच एवं ई डी एच किया गया। इसके साथ ड्यूरा प्लास्टी पैरीकेनियल कंच किया गया। सांस नली में ट्रैकियॉस्टोमी में होल उपस्थित था। खाने की नली लगी हुई थी। फोलिज कैथेटर लगा हुआ था। ब्रेन टिश्यू जो राईट फ्रटोपैराइटल रीजन के नीचे था। उसमें सूजन थी एवं फील्ड जो कि काले रंग के खून से भरा था। खून में बहुत सारे एयर बबल थे।

38. बोर्ड की राय के अनुसार बाद पूरी बोडी के परीक्षण एवं ट्रीटमेंट नोटस व पूरे मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार पून्याराम की मृत्यु का कारण पोस्ट ओपरेटिव हैड इंजरी कॉम्पलीकेशन है। मृत्यु 24 घंटे के अंदर हुई है। पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 है जिस पर ई से एफ गवाह डॉ. विकास अग्रवाल व जी से एच डॉ. लखनलाल के हस्ताक्षर हैं एवं सी से डी मेडिकल बोर्ड की राय है।

39. गवाह पी.डब्ल्यू 17 डॉ. विकास अग्रवाल ने आगे सशपथ कथन किया कि उसके द्वारा दिनांक 16.09.2022 को पुलिस तहरीर खेडली के पुलिस प्रतिवेदन संख्या 3086 पर मजरूबा गौरंती पत्नि नत्थूराम उम्र 30 साल जाति मीना निवासी सालबाडी की शरीर की आयी चोटों का मेडिकल मुआयना निम्नानुसार है– चोट नं. 1– उसने लैफ्ट पैराईटल एरिया पर दर्द जाहिर किया था। चोट नं. 2–उसने गर्दन के सीधी साईड में दर्द जाहिर किया था। चोट नं. 3 उसने राईट प्लंबर में दर्द जाहिर किया था। उपरोक्त सभी चोटें दिखाई नहीं दे रही थी।

40. मजरूबा के नाक के सीधे साईड पर काले तिल था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी मजरूबा के हस्ताक्षर है व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन पुलिस प्रतिवेदन पर गवाह द्वारा मजरूबा जगनी पत्नि पून्याराम के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया गया था जिसकी चोटें निम्नानुसार हैः– चोट नं. 1 – फटा हुआ लैफ्ट इंडक्स फिंगर एक सेमी गुणा एक सेमी था। हथियार भोंटा था गर्दन पर उल्टे साईड में काले तिल का निशान था। जिस चोट का एक्स–रे ऑफ लैफट हैंड कर ओपिनियन रिजर्व रखा गया था एवं बाद एक्स–रे की रिपोर्ट में कोई अस्थि भंग नही था और चोट की प्रकति साधारण थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 09 है जिस पर एक्स

स्थान पर मजरूबा की निशानी एवं ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी राय है। उसी दिन पुलिस प्रतिवेदन पर उसके द्वारा नत्थू राम पुत्र पून्याराम का मेडिकल मुआयना किया गया जिसकी चोटें निम्नानुसार है :– चोट नं. 1– राईट पैराईटल एरिया में दर्द जाहिर किया था। जो कि दिखाई नहीं दे रहा था। चोट नं. 2– नीलगू चोट सीधे अगूठे पर एक सेमी गुणा एक सेमी, सीधे रिंग फिंगर पर एक सेमी गुणा एक सेमी, राईट लिटिल फिंगर एक सेमी गुणा एक सेमी मजरूब का पहचान चिन्ह सीधे फोर आर्म पर काले तिल का निशान था। चोट नं. 2 का एक्स–रे एडवाईज कर ओपिनियन रिजर्व रखी गई। बाद एक्स–रे रिपोर्ट चोट नं. 2 की साधारण प्रकृति व भोंटे हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी मजरूब नत्थूराम के हस्ताक्षर व सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। एक्स–रे रिपोर्ट क्रमशः प्रदर्श पी 18 एवं 19 है जिन फर्दो पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी उसकी राय है।

41. गवाह पी.डब्ल्यू 17 डॉ. विकास अग्रवाल से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि गौरंती, जगनी, नत्थूराम के शरीर पर आयी चोटें गिरने पडने से आ सकती है। इन तीनों की चोटें स्वकारित हो सकती है और यह भी सही है कि तीनों की चोटें शरीर के पहुंच वाले भाग पर है। यह बात सही है कि जगनी की चोट कोई दो भारी वस्तुओं के बीच में दबने से आ सकती है। यह कहना गलत है कि क्रिनिओटोमी किसी आदमी के शरीर पर पुरानी चोट हो उसके लिए की जाती हो, बल्कि सिर में खून के थक्के को निकालने के लिए की जाती है। यह कहना सही है कि मृतक पून्याराम की मृत्यु ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद उनके मस्तिस्क में हुऐ कॉम्पलीकेशन के कारण हुई थी। प्रदर्श पी 14 में डॉक्टर अंकित जेटली जी द्वारा मृतक पून्याराम की चोट प्रतिवेदन पर चोट संख्या 1 सिर के बांयी तरफ चोट बतायी गई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार खून का थक्का सिर के दांयी तरफ उपस्थित था। मृतक पून्याराम के सिर के सर्जरी सिर के दोनों तरफ की गई थी। मृतक पून्याराम का मेडिकल पोस्टमॉर्टम दिनांक 20.09.2022 को किया गया था। उस दिन उसके साथ मेडिकल बोर्ड सदस्य में डॉ हरेन्द्र शर्मा जी डॉ लखनलाल जी थे। पोस्टमार्टम पुलिस तहरीर के बाद मेडिकल बोर्ड गठित होने के बाद किया गया था परन्तु वह नहीं बता सकता कि पुलिस तहरीर

हॉस्पीटल में आने से एंव पोस्टमार्टम स्टार्ट करने में कितना समय व्यतीत हुआ था। मृतक पून्याराम की डेड बॉडी की हाईट का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। मृतक पून्याराम के शरीर पर सिर पर ऑपरेशन के बाद एवं गर्दन पर ट्रेकियोस्ट्रोमी प्रोसिजर के बाद की इंजरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिखाई गई। मृतक पून्याराम के सिर पर ऑपरेशन के निशान दोनों तरफ थे। मृतक पून्याराम के गर्दन पर केवल ट्रेकियोस्ट्रोमी प्रोसिजर के बाद की इंजरी के निशान थे। मृतक पून्याराम की बॉडी को अस्पताल में कौन लेकर आया था यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित नहीं हैं। मृतक पून्याराम के पोस्टमार्टम करते समय उम्र 70 साल थी। वह बता सकता है कि मृतक पून्याराम की मृत्यु का कारण ऑपरेशन के समय या ऑपेरशन के बाद के कॉम्पलीकेशन की वजह से हुई है। उसने मृतक पून्याराम का चोट प्रतिवेदन नहीं किया है उसके द्वारा दिनांक 20.09.2022 को मृतक पून्याराम का पोस्टमार्टम किया गया था। उसके द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि मृतक पून्याराम की मृत्यु 24 घंटे के अंदर हुई थी। मृतक पून्याराम के सगे संबंधियों का ब्यौरा पुलिस पंचानामें में दर्शाया गया था जो मेडिकल बोर्ड मेंबर को पुलिस द्वारा दिया गया था। यह कहना गलत है कि वह झूठे बयान दे रहा हो।

42. गवाह पी.डब्ल्यू 18 डॉ. लखनलाल जिरह में स्वीकार करता है कि यह कहना गलत है कि क्रिनिओटोमी किसी आदमी के शरीर पर पुरानी चोट हो उसके लिए की जाती हो, बल्कि सिर में खून के थक्के को निकालने के लिए की जाती है। यह कहना सही है कि मृतक पून्याराम की मृत्यु ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद उनके मस्तिस्क में हुऐ कॉम्पलीकेशन के कारण हुई थी। प्रदर्श पी 14 में डॉक्टर अंकित जेटली द्वारा मृतक पून्याराम की चोट प्रतिवेदन पर चोट संख्या 1 सिर के बांयी तरफ चोट बतायी गई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार खून का थक्का सिर के दांयी तरफ उपस्थित था। मृतक पून्याराम के सिर के सर्जरी सिर के दोनों तरफ की गई थी। मेडिकल बोर्ड में गवाह, डॉ हरेन्द्र शर्मा, डॉ विकास अग्रवाल थे। पोस्ट मार्टम के समय डेड बॉडी को उनके पास पुलिस लेकर आती है। मृतक पून्याराम के साथ उनके परिवारजन आये थे। जिनके नाम नत्थूराम व सोनू है जिन्होंने बॉडी को पहचाना था। मृतक के शरीर की लंबाई नहीं नापी थी। मृतक पून्याराम के शरीर पर

आई चोटें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित है। मृतक पून्याराम की मृत्यु लगभग 24 घंटे के अंदर हुई थी। डेड बॉडी का कलर पोस्टमार्टम में अंकित नहीं किया गया। पोस्टमार्टम के समय मृतक पून्याराम के मेजर चोट सिर में थी। मृतक पून्याराम के सिर के दायी तरफ टांके लगे हुए थे। मृतक पून्याराम के दांयी तरफ 30 सेमी, 12 सेमी, 10 सेमी टांके लगे हुए थे। मृतक पून्याराम के टांके दांयी कान के उपर लगे हुए थे घाव नही था। मृतक पून्याराम की डेड बॉडी में पोस्टमार्टम करते समय बॉडी अकडी हुई थी। मृतक पून्याराम की उम्र 70 साल थी। उसने मृतक का केवल पोस्टमार्टम ही किया था उसकी मृत्यु कैसे हुई यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित है। यह कहना गलत है कि पून्याराम के गिरने पडने से व दीवार में टकराने से आ सकती है। वह मृतक पून्याराम के पहले से कोई दिमाग का ट्यूमर हो तो नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि वह झूठे बयान दे रहा हो।

43. पी. डब्ल्यू 19 भगतसिंह व गवाह पी.डब्ल्यू 20 सुरेशचंद पुत्र भगवान सिंह ने लगभग समान रूप से साक्ष्य दी है कि गवाह दिनांक 05.10.2022 को पुलिस थाना खेरली पर कॉनि. के पद तैनात थे। उस दिन आई ओ राजवीर सिंह ने मुकदमा नं. 390 / 22 धारा 323, 302, 341, 34 आईपीसी में उनके के सामने मुलजिम पन्ना को गिरफ्तार किया था। जिसकी फर्द गिरफ्तार प्रदर्श पी 20 है। दिनांक 06.10.2022 को आई ओ राजवीर ने उनके सामने गिरफ्तारशुदा मुलजिम पन्ना ने मुताबिक इत्तिला 27 एविडेंस अपने घर छप्पर में मारपीट घटना में काम में लिया गया एक पुराना इस्तमाली डंडा लाकर पेश किया। जिसको मौके जब्त कर मार्का ए से अंकित किया गया। जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 21 है। उसी दिन आई ओ राजवीर सिंह ने उनके सामने मुलजिम पन्ना की निशादेही से तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल कसीद किया गया जो प्रदर्श पी 22 है। उसी दिन आई ओ राजवीर सिंह ने उसके व कॉनि. सुरेश के सामने मुलजिम पन्ना की निशादेही से बरामदगी स्थल नक्शा मौका कसीद किया गयाा। जो प्रदर्श पी 23 है। उक्त सभी फर्दात पर ए से बी गवाह पी.डब्ल्यू 19 भगतसिंह, ई से एफ गवाह पी.डब्ल्यू 20 सुरेशचंद पुत्र भगवान सिंह व सी से डी मुलजिम पन्ना के हस्ताक्षर है।

44. गवाह पी.डब्ल्यू 19 भगतसिंह से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि पन्ना लाल को 5:30 पीएम पर गिरफ्तार किया

गया था। मुलजिम को थाने पर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार के समय मुलजिम पन्नालाल ने कोनसे कपडे पहन रखे था व क्या कपडों का क्या कलर था आज उसे ध्यान नही है। डंडे की लम्बाई चार फिट बाईस सेमी. थी। डंडे को मुलजिम के घर के उत्तर दिशा में बने छप्पर में से बरामद कराया था। छप्पर का गेट पूर्व दिशा में था। डंडा बरामद के समय वह व कॉनि. सुरेश व आई ओ राजवीर सिह व मुलजिम पन्ना थे। पन्ना लाल के घर पर लोग–बाग इकट्ठे हुऐ हो तो आज उसे ध्यान नही है। नक्शा मौका के उत्तर में भूडिया का मकान है। पूर्व, पश्चिम, व दक्षिण में किस किस के मकान थे आज उसे ध्यान नही है। घटनास्थल नक्शा मौका 09:40 ए एम पर बनाया था। बरामदगी नक्शा मौका के उत्तर मे पन्नालाल, सुआलाल के खेत है। आई ओ ने मुलजिम पन्नालाल के खेत की जमाबंदी ली हो तो उसे ध्यान नही है। पश्चिम में सुआलाल का घर है। पूर्व में नीचे के साईड पहाड है। दक्षिण में क्या है आज उसे ध्यान नही है। नक्शा मौका बनाते समय अन्य स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नही हैं। नक्शा मौका बनाते समय लोग–बाग इकटठे हुऐ हो तो आज उसे ध्यान नही है। डंडे पर चिटचेपा मौके पर मार्का ए अंकित किया गया। इस समय उसे ध्यान नहीं है कि चिटचेपा पर क्या शील थी।

45. गवाह पी.डब्ल्यू 20 सुरेशचंद पुत्र भगवान सिंह जिरह में स्वीकार करता है कि पन्ना लाल को 5:30 पीएम पर गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम पन्नालाल ने गिरफ्तारी के समय धोती कुर्ता पहन रखा था। मुलजिम को थाने पर ही गिरफ्तार किया था। डंडा को मुलजिम के छप्पर से किस दिशा से बरामद किया था, डंडे पर क्या चिट लगायी, डंडे की गोल आकृति कितने इंच की थी आज उसे ध्यान नही है। बरामदगी स्थल पर काफी भीड हो जाती है कोई भी हस्ताक्षर करने को तैयार नही था। बरामदगी स्थल के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में किसका मकान है आज उसे ध्यान नही है। एक दिशा में पहाड है, लेकिन आज उसे दिशा ध्यान नही है। घटनास्थल नक्शा मौका दिनांक 06.10.2022 को 09:40 ए एम पर बनाया था। घटनास्थल के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में किसका मकान है आज उसे ध्यान नही है। यह कहना गलत है कि उसने नक्शा मौका पर साईन थाने पर किये हो व मौके पर न गया हो।

46. गवाह पी.डब्ल्यू 21 झम्मन सिंह ने सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 02.09.2022 को पुलिस थाना खेरली पर हैड कानि के पद पर कार्यरत

था। उस दिन उसे प्र.सं. 390 / 22 की एफआईआर अनुसंधान हेतु थानाधिकारी द्वारा दी गई जिसको थानाधिकारी ने अक्षरः दर्ज कर अनुसंधान हेतु उसको पत्रावली सुपुर्द की गई थी। दौराने अनुसंधान गवाह सोनू कुमार, नत्थूकुमार, श्रीमति गौरंती श्रीमति जगनीदेवी के घारा 161 सीआरपीसी के बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गए। दिनांक 15.09.22 को उसके द्वारा गवाहान एवं मुस्तगीस की मौजदगी में घटना स्थल का नक्शा मौका मर्तिब किया गया, जो प्रदर्श पी 3 है एवं इसकी हालात पुस्त पर भी जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा सोनू कुमार को मजरूबान का मेडिकल कराने बाबत् नोटिस दिया गया, जो प्रदर्श पी 24 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, सी से डी सोनू कुमार के हस्ताक्षर हैं व ई से एफ उसकी सहमति है। उसकी द्वारा दिनांक 13.09.2022 एम.ओ. साहब को दोमा सेन्टर एस.एम.एस. जयपुर मजरूब पून्याराम के बयान देने की स्थिति चाहने बाबत् दी गई एक तहरीर प्रदर्श पी 25 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके बाद धारा 302 जुड़ने के बाद अग्रिम अनुसंधान हेतु पत्रावली एस.एच.ओ. साहब खेडली को सुपुर्द की हैं।

47. इस गवाह से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि यह बात सही है कि उसने सोनू कुमार के बयान उसी प्रकार लिखे, जैसा कि उसने बताए थे। पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 का ए से बी भाग ''सोनू कुमार ने मेरे पिता.....चोट आई है'', सही लिखाया है। यह बात सही है कि सोनू कुमार के बयानों में सोनू कुमार द्वारा झगड़ा होने बाबत् कोई पुराना, पैसे का लेना देना या पुरानी रंजिश होना नहीं बताया है। यह बात सही है कि उसके द्वारा लिये गए बयानों में सोनू कुमार द्वारा मुलजिम भगवानसहाय के घर के सामने रास्ते में आकर झगड़ा करना बताया है। यह बात सही है कि उसके बयान लिये जाने के वक्त तक मृतक पून्याराम जिन्दा था जो एसएमएस हॉस्पीटल में भर्ती था। यह बात सही है कि गवाह सोनू कुमार द्वारा उसे बयानों में यह बात भी बताई थी कि मेरे पिता व भाई के साथ सभी ने लाठी फर्सी से मारपीट की थी। यह कहना गलत है कि उसने आहतगण की चोटों को नहीं देखा हो। फिर कहा कि यह बात सही है कि उसने सोनू कुमार के बयान लिये जाने के वक्त अन्य आहतगण की चोटें नहीं देखी थी। उसी दिन उसने नत्थू, गौरंती, जगनीदेवी के बयान भी उनके कथनानुसार लिये थे। बयान नत्थूराम प्रदर्श डी 2 का ए से बी भाग उसके कहे अनुसार ही दर्ज किया था तथा गवाह

गौरंती पत्नि नत्थूराम के बयान प्रदर्श डी 3 का ए से बी भाग व जगनीदेवी प्रदर्श डी 4 का ए से बी भाग व सी से डी भाग उनके कहे अनुसार दर्ज किया है। यह बात सही है कि उपरोक्त सभी गवाहान द्वारा पुरानी रंजिश या पैसे का लेना देना होने वाली बात अपने बयानों में नहीं बताई है। यह बात सही है कि पन्नालाल का मकान पहाड की तलहटी में बना हुआ है। यह बात सही है कि वहां पर उँची–नीची जमीन है। यह बात सही है कि उँची नीची जमीन होने के कारण कोई भी व्यक्ति गिर सकता है। यह कहना गलत है कि वहां पर काफी पत्थर पडे हुए हों। यह बात सही है कि नत्थू, जगनीदेवी व पून्याराम, गौरंती की आवाज सुनकर पन्नालाल के मकान के सामने आए और वहां पर झगड़ा हुआ था। यह कहना सही है कि नक्शा मौका पर उसने अडौसी पड़ौसी के हस्ताक्षर नहीं कराए थे।

48. गवाह पी. डब्ल्यू 22 ओमदत्त ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 13.11.2022 को पुलिस थाना खेडली पर कानि के पद पर तैनात था। उस दिन एसएचओ महावीर प्रसाद ने गवाह व राकेश कानि के सामने मुलजिम भगवानसहाय उर्फ कल्लू को प्र.सं. 390 / 22, धारा 323, 341, 302, 34 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित मानते हुए गिरफ्तार किया गया, जिसकी तलाशी उसके द्वारा लिवाई गई तो मुलजिम के पास पहने हुए कपडों के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं मिली। फर्द गिरफ्तार प्रदर्श पी 26 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है सी से डी मुलजिम भगवानसहाय के हस्ताक्षर हैं। एक्स स्थान पर मुलजिम भगवानसहाय की फोटो चस्पा है।

49. गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि मुलजिम भगवानसहाय को 09:30 पी.एम. पर गिरफ्तार किया था। मुलजिम को थाने परिसर में गिरफ्तार किया था। मुलजिम स्वयं चलकर थाने पर आया था। उसके सामने तो केवल यही मुलजिम गिरफ्तार हुआ था। यह बात सही है कि मुलजिम के पिता का नाम अभी उसे ध्यान नहीं है। फिर कहा कि मुलजिम के गांव का नाम सालवाडी है। मुलजिम ने वक्त तलाशी नीले रंग का पेंट, सफेद शर्ट छापेमार पहन रखे थे। सफेद शर्ट पर छापे किस रंग थे, आज उसे याद नहीं है। मुलजिम की लम्बाई 5 फुट 6 इंच करीब थी। मुलजिम की नाप नहीं की थी।

50. गवाह पी.डब्ल्यू 23 सुरेशचंद पुत्र रामस्वरूप ने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 02.09.2022 को पुलिस थाना खेरली पर वह और राकेश नं. 2303

कानि. के पद पर पदस्थापित थे। दिनांक 14.11.22 को एसएचओ साहब ने उसके व कानि. राकेश कुमार को मुलजिम भगवानसहाय की निशादेही से बरामदगीस्थल का नक्शा मौका कैंप कंचनवास में बनवाया था जो प्रदर्श पी 27 है। दिनांक 14.11.22 को समय 9.10 एएम पर एसएचओ साहब ने उसके व कानि. राकेश कुमार के सामने गिरफ्तारशुदा मुलजिम भगवानसहाय की निशादेही से तस्दीक घटनास्थल नक्शा मौका बनाया गया जो प्रदर्श पी 28 है एवं उसी दिन मुलजिम भगवानसहाय ने 27 एविडेंस की इत्तिला दी और पुलिस जाब्ता के साथ आगे आगे चलकर अपने घर के कमरे में से एक कोने में मारपीट घटना में काम में ली गई एक लाठी लाकर आईओ साहब को पेश की जिसको मौके पर जब्त कर फर्द जब्ती बनाई गई। जो प्रदर्श पी 29 है। जिन पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम भगवानसहाय के हस्ताक्षर हैं।

51. गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि भगवानसहाय से उसके सामने लाठी की बरामदगी की थी। भगवानसहाय के घर का दरवाजा व रास्ता किस दिशा में उसे ध्यान नहीं है। मुलजिम के घर पर आस पड़ौस के लोग खड़े थे परिवार का कोई सदस्य नहीं था। भगवानसहाय के घर का दरवाजा खुला मिला था। लाठी में कितनी गाठें थी आज ध्यान नहीं हैं लाठी की लंबाई 5 फीट 3 ईंच थी। मुलजिम भगवानसहाय को वे थाने से लेकर नहीं गए। वह उन्हें घर पर मिला था। जिस समय लाठी जब्त की उस समय वहां स्वतंत्र गवाह नहीं था। मुलजिम भगवानसहाय को वे थाने से लेकर नहीं गए थे वह उन्हें कंचनवास–सालवाडी में मिला था। उसकी निशानदेही से तस्दीक घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था। वे थाने से कितने बजे गए समय ध्यान नहीं है। भगवानसहाय के सिवाय वहां पर और कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। प्रदर्श पी 27 व 28 में घटनास्थल व बरामदगीस्थल पर किस किसके मकान बने हुए हैं उसे पता नहीं है।

52. गवाह पी. डब्ल्यू 24 राजवीर सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 20.09.2022 को पुलिस थाना खेरली पर थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नम्बर 390 / 22 धारा 323, 341, 354, 504, 34, 302 आईपीसी की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान दिनांक 20.09.2022 को सीएचसी खेरली पर मृतक पून्याराम का पंचान नत्थुराम, छोटेलाल, यादराम, नेतराम, मुरारीलाल के सामने पंचायतनामा उसके द्वारा तैयार

किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पंचान के द्वारा पंचनामे में अपनी राय मृतक की मौत लडाई के दौरान सिर में चोट आने से होना बताया था। फर्द पंचायतनामा प्रदर्श पी 05 है जिस पर ऐ से बी, सी से डी, ई से एफ, जी से एच गवाहान पंचान के व एक्स स्थान पर गवाह छोटेलाल की अंगूठा निशानी व आई से जे उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मृतक पून्याराम की लाश बाद पंचायतनामा व पोस्टमॉर्टम के बाद गवाह नेतराम, बनबारी के समक्ष मृतक पून्याराम की लाश उसके लडके नत्थूराम को अंतिम दाह संस्कार हेतु सुपुर्द की गई। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 06 है जिस पर ऐ से बी लाश प्राप्तकर्ता व सी से डी व ई से एफ गंवाहन के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मृतक पून्याराम का मेडिकल बोर्ड सीएचसी खेरली से पोस्टमॉर्टम कराया जाकर पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई जो प्रदर्श पी 13 है। उसके द्वारा दिनांक 23.09.2022 को गवाह हरिओम, हितेश कुमार, छोटेलाल के बयान कहेअनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 05.10.2022 को उसके द्वारा गवाह सुरेश कुमार कॉनि. व भगत सिंह कॉनि. के सामने मुलजिम पन्ना को मुकदमे में अपराध धारा 323, 341, 34, 302 आईपीसी में प्रमाणित पाये जाने पर मुलजिम को गिरफ्तार किया गया जिसकी फर्द गिरफ्तार प्रदर्श, पी 20 है जिस पर सी से डी मुलजिम पन्ना के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन मुलजिम पन्ना द्वारा स्वेच्छापूर्वक ईत्तिला दी कि मैंने जिस डंडा से मेरे भाई पून्याराम व उसके परिवावालों के साथ मारपीट की थी उस डंडा को मैने मेरे घर पर छिपा कर रखा है उस डंडा को व जिस जगह हमारे झगड़ा हुआ था उस जगह को मैं चलकर बता सकता हूं जो फर्द तैयार की गई फर्द ईत्तिला 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी 30 है जिस पर ऐ से बी मुलजिम पन्ना व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 06.10.2022 को उसके द्वारा गवाहान सुरेश व भगत सिंह कॉनि के सामने मुताबिक ईत्तिला मुलजिम पन्नालाल घटना में प्रयुक्त लकडी का डंडा बरामद कराया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया जिस पर चिट चिपकाकर मार्का ए अंकित किया गया था जिसकी फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 21 है जिस पर ऐ से बी व ई से एफ गवाहन के तथा सी से डी मुलजिम पन्ना के एंव जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन उसके द्वारा गवाहान की मौजूदगी में मुलजिम पन्नालाल की दिशादेही से बरामदगी स्थल नक्शा मौका बनाया गया जो प्रदर्श पी 23 है

जिस पर सी से डी मुलजिम पन्नालाल के एंव जी से एच उसके हस्ताक्षर है। जिसकी हालात मौका पुष्ट पर अंकित है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन उसके द्वारा गवाहान की मौजूदगी में गिरफ्तारशुदा मुलजिम पन्ना की निशादेही पर तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल का नक्शा मौका कसीद किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी 22 है जिस पर सी से डी मुलजिम पन्ना के एंव जी से एच उसके हस्ताक्षर है। तस्दीक घटनास्थल के हालात पुस्त पर अंकित है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसके बाद उसका स्थानान्तरण हो जाने पर पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु महावीर प्रसाद थानाधिकारी को सुपुर्द कर दी गई।

53. इस गवाह से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि वह घटनास्थल पर गया तो पत्रावली साथ लेकर गया था। यह बात सही है कि पत्रावली पर घटनास्थल का नक्शा मौका पूर्व से भी बना हुआ था। यह बात सही है कि झगड़ा पन्नालाल के मकान के सामने रास्ते में हुआ था। गवाह ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 22 देखकर बताया कि इस नक्से में आस पास परिवादी का मकान नहीं दर्शाया गया है। गवाह ने कहा कि झगड़ा छोटे बच्चों की बातों को लेकर हुआ था। गवाह से प्रश्न पूछने पर कि आपने दौराने अनुसंधान गवाह छोटेलाल, हितेश, हरिओम के बयान लिये और इन तीनो गवाहो ने आपको यह बताया था कि रास्ते से निकलते हुए मजरूबान के साथ मारपीट की थी। गवाह ने उत्तर दिया कि गवाह छोटेलाल, हितेश, हरिओम ने अपने बयानों में रास्ते से निकलते हुए मजरूबान के साथ मारपीट होना नहीं बताया, बल्कि पूर्व के अनुसंधान से ये बात आई है कि रास्ते से गुजरते मजरूबान के साथ मारपीट हुई है। उसके द्वारा अंकित किये गये बयानों में गवाहान ने रास्ते से गुजरते हुए मजरूबान के साथ मारपीट होना नही बताया था। यह कहना सही है कि मुलजिम पन्नालाल ग्रामीण भाषा व हिन्दी भाषा बोलता है। यह कहना गलत है कि पन्नालाल ने ग्रामीण भाषा में 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला दी थी। यह कहना गलत है कि जिस दिन मुलजिम पन्ना ने 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला दी उस समय हवालात में अन्य बंदी थे। दिनांक 05.10.2022 को समय 08:30 पी एम पर ईत्तिला दी थी। यह कहना गलत है कि उसी दिन अभियुक्त को लेकर वह बरामगदगी स्थल पर गया हो अगले दिन दिनांक 06.10.2022 को सुबह मुलजिम को साथ

लेकर घटना स्थल लेकर गया था। यह बात सही है कि जिस स्थान की ईत्तिला दी थी वहां आस पास मकान बने हुए है। यह कहना सही है कि अडोसी पडोसियो को नोटिस नहीं दिया, क्योंकि उस दिन अडौसी पड़ौसी मोजूद नहीं थे इस कारण नोटिस नही दिया जा सका और पुलिस के गवाहों के सामने कार्यवाही शुरू की गई। उसने बरामदगीस्थल का नक्शा मौका बनाते समय अडोसी पड़ौसी मौजूद नहीं होने से उनसे पूछताछ नहीं की मुलजिम के बताये अनुसार व वहां उपस्थित बच्चों के बताये अनुसार नक्शा मौका तैयार किया था। अडोसी पड़ौसी मोके पर नहीं मिले जिसका नोट डायरी में लगाया था या नहीं यह उसे इस समय याद नहीं है। जिस स्थल से मुलजिम ने घटना में प्रयुक्त डंडा पेश किया था उस स्थान के अडोसी पड़ौसी के घरों का अंकन नक्शा मौका में है। मुलजिम ने जो डंडा बरामद कराया था उसमें कितने गांठ कितनी थी उसे पता नही है। डंडे की लम्बाई 04 फीट 22 सेंटीमीटर थी डंडे की मोटाई कितनी थी यह मुझे पता नही। डंडे का तोल नहीं किया गया था। जो डंडा उसके द्वारा बरामद किया गया था उस पर चिट चिपकाकर मार्का ए अंकित किया गया था। मृतक पून्याराम का पोस्टमॉर्टम दिनांक 20.09.2022 को कराया था। उसे मृतक की मृत्यु की सूचना उनके परिजन ने दी थी। सूचना देने वाले मृतक के परिवार वाले थे। मृतक पून्याराम को जयपुर से ईलाज कराकर मृत्यु से कितने दिन पूर्व घर लेकर आये थे इसके बारे में उसे जानकारी नही है। मृतक को उसके परिवाजन तबीयत खराब हो जाने के कारण उसके परिजन खेरली हॉस्पीटल लेकर आये थे। मृतक को खेरली अस्पताल उसके परिजन किस वाहन या साधन से लेकर आये ये उसे पता नहीं। मृतक पून्याराम के शरीर पर गंले में नली लगी हुई थी सिर में पट्टियां लगी हुई थी और जगह जगह बेंडेड लगी हुई थी। मृतक पून्याराम के मोर्चरी घर में सिर पर लाल पट्टी बंधी हुई थी जिस कारण उसके सिर में लगे हुए टांके नहीं देख पाये। मृतक की लाश का पोस्टमॉर्टम कराया जाकर लाश परिजनों को सौंप दी गई थी। मृतक पून्याराम की मृत्यु ग्राम सालवाड़ी में हुई थी, या अस्पताल पहुंचने के बाद हुई थी, यह आज उसे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने गवाहों के बयान उसकी मर्जी से लिखे हों।

54. पुनः परीक्षण करने पर गवाह ने कथन किया कि उसके द्वारा प्रकरण में वारदात में प्रयुक्त एक लकडी का डंडा आर्टिकल ए 1 है जिस पर कागज

की एक चिट चस्पा है जिस पर ऐ से बी मुलजिम पन्नालाल के व सी से डी व ई से एफ गवाहान के एवं जी से एच गवाह के हस्ताक्षर है। जिस पर मार्का ए अंकित है। उक्त प्रकरण में जब्तशुदा माल मालखाना में जमा कराया गया था जो मालखाना रजिस्टर के मद संख्या 664 में दर्ज है। असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 31 है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 31ए है। जिस पर मालखाना इंचार्ज के ए से बी हस्ताक्षर है।

55. पुनः प्रति परीक्षण में गवाह ने स्वीकार किया कि यह कहना सही है कि जब्तशुदा लकडी को उसने किसी थैली में शील नहीं किया था, बल्कि चिट चिपकाया था। जब्तशुदा लकडी के डंडे को गवाह ने देखकर बताया आज डंडे पर खून के निशान नही है। जो उसने आर्टिकल ए–01 पर गवाह अंकित किये है उनके नाम सुरेश व भगत सिंह है। उक्त आर्टिकल ए–01 की चोट से मृतक की मृत्यु होना संभव है। यह बात सही है कि एफ.आई.आर में लाठी व फर्सी दोनो से मारपीट होना अंकित किया है और प्रार्थी के पिता पून्याराम के भगवानसहाय द्वारा सिर में फर्सी से मारना अंकित किया है।

56. गवाह पी.डब्ल्यू 25 राकेश कुमार ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 13.11.2022 को थाना खेडली पर कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नंबर 390 / 22 में आईओ महावीर प्रसाद एसआई एसएचओ ने मुलजिम भगवानसहाय उर्फ कल्लू पुत्र पन्नालाल उम्र 32 साल निवासी कंचनवास सालवाडी को उसके समक्ष गिरफ्तार किया गया था जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 26 है। दिनांक 14.11.2022 को फर्द बरामदगी एक पुरानी इस्तेमाली लाठी को मुलजिम भगवानसहाय की निशादेही से कमरे के कोने में से निकालकर पेश की जिसकी आईओ ने फर्द जप्ती बनाई थी जो प्रदर्श पी 29 है। उसी दिन फर्द बरामदगी स्थल का नक्शा मौका आईओ ने उसके समक्ष बनाया था जो प्रदर्श पी 27 है। उसी दिन आईओ ने उसके सामने मुलजिम की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 28 है। जिन सभी पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं।

57. गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि मुलजिम की निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था उससे पूर्व घटनास्थल का नक्शा मौका पत्रावली में नहीं था। गवाह ने पत्रावली देखकर बताया कि पत्रावली पर दिनांक 14.11.2022 को मुलजिम की निशादेही से बनाये गये घटनास्थल नक्शा मौके से

पूर्व ही दिनांक 15.09.2022 प्रदर्श पी 03 आईओ द्वारा पत्रावली पर मौजूद है। लाठी जो बरामद की थी उस लाठी पर उसने खून लगा हुआ देखा या नहीं यह याद नहीं है। गवाह ने फर्द जप्ती प्रदर्श पी 29 पढ़कर कहा कि फर्द जप्ती में लाठी पर खून का निशान लगा हुआ होना अंकित नहीं है। लाठी बरामदगी मार्का बी पर जो सील लगाई थी उस पर क्या मार्का अंकित था वह नहीं बता सकता। गवाह ने फर्द जप्ती प्रदर्श पी 29 को देखकर कहा कि आईओ के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 14.10.2022 को काटकर दिनांक 14.11.2022 किया। वे थाने से कितने बजे रवाना हुये समय का याद नहीं है। रपट रवानगी डाली थी। गवाह ने देखकर कहा कि पत्रावली पर रपट रवानगी नहीं है। यह बात सही है कि जब वे मुलजिम को लेकर घर गये तो घर पर अन्य लोग भी मौजूद थे। आईओ ने भगवान सहाय के घरवाले जो मौके पर मौजूद थे उनको कोई नोटिस दिया हो तो उसे याद नहीं है। गवाह ने कहा कि नक्शा मौका बरामदगी थाने पर बैठकर बनाया हो तो उसे याद नहीं, क्योंकि घ ाटना को काफी समय हो गया है। यह कहना गलत है कि सारी कार्यवाही थाने पर बैठकर बनाई हो। गवाह ने नक्शा मौका तस्दीक देखकर बताया कि मुलजिम पन्नालाल के खेत के सामने झगड़ा हुआ था। गवाह ने नक्शा मौका देखकर बताया कि खेत पन्नालाल व मकान पन्नालाल के बीच आम रास्ते में है। गवाह ने नक्शा मौका देखकर बताया कि नक्शे में परिवादी पून्याराम का मकान आस पास नहीं है। यह बात सही है कि नक्शा मौका में परिवादी चलकर के आया है और आरोपी के मकान के सामने झगड़ा हुआ है।

58. गवाह पी. डब्ल्यू 26 कुंवरसिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 06.10.2022 को थाना खेडली पर एचएम मालखाना के पद पर कार्यस्त था। उस दिन मुकदमा नंबर 390 / 2022 में आईओ द्वारा जप्तशुदा एक पुराना लकडी का डण्डा जिस पर चिट चेपा मार्का ए अंकित था मन एचसी को प्राप्त हुआ जिसका इन्द्राज मालखाना रजि. के मद नंबर 664 पर किया गया। उक्त प्रकरण में एक पुरानी इस्तमाली लाठी आईओ द्वारा जिस पर चिट चेपा मार्का बी अंकित था प्राप्त हुई जिसे मालखाना रजि. के मद संख्या 705 पर इन्द्राज किया गया। असल मालखाना रजि. प्रदर्श पी 31 है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 31ए है। असल मालखाना रजि. प्रदर्श पी 32 है। जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं जो शामिल पत्रावली है। जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 32ए है।

59. गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि उसे जो डण्डा पेश किया गया था उस पर मुलजिम के नाम की चिट लगी हुई थी और कुछ लिखा हो तो उसे याद नहीं है। उसने मद संख्या 664 एवं 705 में जप्तशुदा डण्डा व लाठी में चिट पर क्या लिखा था उसे याद नहीं है और उन पर खून लगा हुआ था या नहीं उसे याद नहीं है।

60. गवाह पी.डब्ल्यू 27 महावीर प्रसाद ने सशपथ साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 12.10.2022 को पुलिस थाना खेरली पर थानाधिकारी के पद पर तैनात था। कार्यग्रहण के दौरान चार्ज में मुकदमा नंबर 310/2022 की पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु मन थानाधिकारी को प्राप्त हुई थी। उसके द्वारा उक्त प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान करते हुए स्वतंत्र गवाहान कान्ता देवी, रामदयाल, सुबेसिंह, हरप्रसाद के उनके कथनानुसार बयान लेखबद्ध किये। मुलजिम भगवान सहाय उर्फ कल्लू पुत्र पन्नालाल को बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी–26 है जिस पर सी से डी मुलजिम भगवान सहाय के व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। दौराने अनुसंधान गिरफ्तारशुदा मुलजिम भगवान सहाय उर्फ कल्लू के द्वारा स्वेच्छा से इत्तिला दी कि जिस लाठी से उसके द्वारा पून्याराम के सिर पर चोट मारी थी, वह मेरे घर में बने कमरे में छिपाकर रख रखी है, जिसको मैं चलकर बरामद करा सकता हूं तथा जिस स्थान पर हमारे बीच झगड़ा हुआ था उस स्थान को भी मैं चलकर बता सकता हूं। फर्द इत्तिला दफा 27 साक्ष्य अधिनियम उसके द्वारा तैयार की गई जो प्रदर्श पी–33 है जिस पर ए से बी उसके एवं सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। मुलजिम की मुताबिक इत्तिला 27 साक्ष्य अधिनियम के मुलजिम की निशांदेही से ग्राम कंचनबास में स्थित उसके स्वयं के घर में बने कमरे में से घटना में प्रयुक्त एक लाठी मुलजिम भगवान सहाय के द्वारा पेश कर कथन किया गया कि उक्त लाठी से मेरे द्वारा पून्याराम के सिर में चोट मारी थी जिस पर उक्त लाठी को बतौर वजह सबूत मेरे द्वारा जब्त कर चिट चस्पा किया गया। फर्द जब्ती प्रदर्श पी–29 है जिस पर सी से डी मुलजिम के एवं जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। उसके उपरान्त भगवानसहाय उर्फ कल्लू की निशांदेही से जब्तशुदा लाठी की बरामदगीस्थल का नक्शा मौका बरामदगीस्थल मूर्तिब किया गया जो प्रदर्श पी–27 है जिस पर सी से डी मुलजिम के एवं जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। हालात पुश्त पर भी जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। उसके बाद गवाह द्वारा

मुलजिम भगवानसहाय उर्फ कल्लू की निशांदेही से जिस स्थान पर लडाई झगड़ा हुआ था उसका नजरी निरीक्षण कर तस्दीक घटनास्थल नक्शा मौका कसीद किया गया जो प्रदर्श पी–28 है जिस पर सी से डी मुलजिम के एवं जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। जिसकी हालात पुश्त पर भी जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। पून्याराम के इलाज संबंधी कागजात लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये जो प्रदर्श पी–34 है। मुलजिम का आपराधिक रिकॉर्ड लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी–35 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। बांस की लाठी आर्टिकल ए–2 है जिस पर चिट चस्पा है जिस चिट चस्पा पर मार्का बी अंकित है। जिस पर ई से एफ मुलजिम भगवान सहाय के व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। बाद अनुसंधान पुलिस अधीक्षक अलवर से आदेश प्राप्त किया जाकर मुलजिम भगवानसहाय उर्फ कल्लू पुत्र पन्नालाल जाति मीना निवासी कंचनबास पुलिस थाना खेरली व मुलजिम पन्नालाल पुत्र मूल्याराम निवासी कंचनबास के विरूद्ध धारा 323, 341, 302, 34 आईपीसी में चार्जशीट नंबर 525 / 2022 दिनांक 30.11.2022 पेश न्यायालय की गई। जिस चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा सीएचसी खेरली पर मृतक पून्याराम की पीएमआर में राय चाहने बाबत् दिया गया नोटिस प्रदर्श पी–36 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

61. गवाह से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि यह कहना सही है कि उसके द्वारा बयान 161 सीआरपीसी श्रीमती कान्ता ने अपने बयानों में यह बात बताई थी कि स्कूल के बच्चे बस में से उतरकर अपने घर जा रहे थे। कल्लू के बच्चों ने कोई रबड़ का टूक उठाकर गौरंती की तरफ फेंक दिया। इसको लेकर गौरंती बच्चों के पीछे पीछे उनके घर गई तो बच्चों की बात को लेकर कल्लू व गौरंती में आपस में कहासुनी हो गई। यह भी सही है कि गवाह सुबे सिंह, हरप्रसाद व रामदयाल ने भी अपने बयानों में यह बात बताई थी कि बच्चों को लेकर आपस में कहासुनी हो गई थी। यह कहना सही है कि छोटेलाल पुत्र रामसहाय के बयानों में भी बच्चों की बात पर लेकर झगड़ा होना बताया था। यह कहना भी सही है कि हरिओम पुत्र जगदीश ने भी अपने बयानों में बताया था कि दोनों पक्षों में बच्चों को लेकर लडाई झगड़ा हुआ था। यह बात सही है कि उसने अपनी चार्जशीट में यह बात नहीं लिखी है कि दोनों पक्षों में बच्चों की बात को लेकर लडाई झगड़ा हुआ हो।

दिनांक 14.11.2022 को बरामदगीस्थल भगवानसहाय का मैंने नक्शा मौका बनाया था। यह सही है कि प्रदर्श पी 27 में उसने भगवानसहाय के मकान के बगल में छप्पर व लेट्रिन दर्शाए हैं। यह बात भी सही है कि दिनांक 14.11.2022 को ही मैंने भगवानसहाय की निशादेही से तस्दीक नक्शा मौका घटनास्थल बनाया था। यह भी सही है कि तस्दीक नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 28 में उसने भगवान सहाय के कमरों के बगल में न तो छप्पर दर्शाया है और ना ही लेट्रिन दर्शायी है। ये दोनों एक ही तारीख में बनाए थे। यह भी सही है कि प्रदर्श पी–27 को 09.00 बजे बनाया है और पी–28 को 09.10 बजे बनाया है। दोनों ही नक्शे सही हैं। जिस स्थान का नक्शा मौका तैयार किया गया है उसी स्थान विशेष का सभी चीजें दर्शायी गई हैं। यह बात भी सही है कि पत्रावली पर पूर्व आईओ झम्मन सिंह द्वारा दिनांक 15.09.2022 को बनाया गया घटना स्थल का नक्शा मौका लगा हुआ था। यह सही है कि झम्मन सिंह द्वारा बनाए गए नक्शा में भी लेटिन बाथरूम दर्शाये गये हैं। यह कहना गलत है कि झम्मन सिंह द्वारा बनाए गए नक्शा मौका व मेरे द्वारा बनाया गया तस्दीक घटनास्थल का नक्शा मौका दोनों अलग अलग हों, बल्कि दोनों ही सही हैं। यह कहना गलत है कि उसने जब तस्दीक नक्शा मौका घटना स्थल बनाया तब उस समय लेटिन बाथरूम व छप्पर मौजूद ना हों। यह कहना गलत है कि लेटिन बाथरूम नहीं दर्शाने वाला तस्दीक नक्शा मौका घटना स्थल गलत हो बल्कि दोनों ही नक्शा मौका सही हैं। यह सही है कि घटना स्थल के पास मुस्तगीस पून्याराम का मकान नहीं है इसलिये उन्होंने घटना स्थल के नक्शा मौका में नहीं दर्शाया है। यह कहना भी सही है कि मुस्तगीस पून्याराम, नत्थू, गौरंती व जगनी अपने घर से चलकर मुलजिम के घर पर आए और यहां आकर इन्होंने झगड़ा किया। यह बात सही है कि बरामदशुदा लाठी पर कोई खून वर्ग के निशान नहीं थे। जिस जगह घटना घटी उस जगह से उसके व पूर्व आईओ द्वारा कोई खून आलुदा मिट्टी वगै. जब्त नहीं की। उसके अनुसंधान में यह बात आई थी कि झगड़ा बच्चों की बात को लेकर हुआ था।

62. अभियुक्तगण की ओर से साक्ष्य सफाई में अभियुक्त भगवानसाहय उर्फ कल्लू को परीक्षित कराया गया है। भगवान सहाय डी. डब्ल्यू 1 ने सशपथ बयान दिया है दिनांक 02.09.2022 की बात है। समय करीब 02:00–02:30 पीएम की बात है। घर में सो रहा था। घर पर वह व उसके पिता पन्नालाल

थे। उस समय बच्चों ने रबड़ का टुकड़ा फेंक दिया था उस बात को लेकर नत्थू पुत्र पून्याराम, पून्या पुत्र मूल्याराम, जगनी पत्नी पून्याराम, गौरंती पत्नी नत्थीलाल आये जिसमें नत्थू के हाथ में टांचिया, पून्याराम पर लाठी व औरतों के हाथ में लाठी डण्डे थे। उन्होनें आते ही उनके दरवाजे में मारा वे सो रहे थे। जैसे ही वे जागे तो उसके पिता बाहर निकले तो नत्थू ने टांचिया की मारी जिससे उसके पिता की बांये हाथ की दो अंगुलियां टूट गई। अनीता उस समय खेतों पर चारा लेने गई थी, घर पर वे दोनों व बच्चे थे। इन लोगों उनके घर पर आकर झगड़ा किया था। इनका मकान उनके मकान से दो मकान दूर है। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श डी 01 है। चार्जशीट प्रदर्श डी 02 है। चाक एफआईआर प्रदर्श डी 03 है। नक्शा मौका प्रदर्श डी 04 है जिस पर ए से गवाह के हस्ताक्षर हैं। मेडिकल रिपोर्ट पन्नालाल प्रदर्श डी 05 है। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श डी 06 है।

63. अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाह स्वीकार करता है कि प्रदर्श डी 01 में अनीता उस समय खेतों पर चारा लेने गई थी व घर पर वे दोनों व बच्चे थे यह बात नहीं लिखी है। उसके पिता के उल्टे टांचिया से चोट मारी थी उसके कोई चोट नहीं मारी थी। उसने अपना मेडिकल नहीं कराया था उसके भी चोट आई थी। यह बात सही है कि प्रदर्श डी 01 में यह नहीं लिखाया कि उन्हें बचाने के लिये कौन कौन आया था। उसके पिता के एक ही चोट आई थी जिसका मेडिकल कराया था बाकी की चोटों का मेडिकल नहीं कराया था। चार्जशीट धारा 323, 341, 325, 34 आईपीसी में पेश हुई थी।

64. उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है।

65. बहस के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त समस्त साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिखाते समय स्मरण रखा गया। पत्रावली पर आई साक्ष्य के संदर्भ में न्यायालय का विवेचन, विश्लेषण एवं निष्कर्ष इस प्रकार है कि प्रथम विचारणीय बिंदु में न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करना है कि ***"क्या अभियुक्तगण भगवानसहाय उर्फ कल्लू व पन्नालाल ने साथ मिलकर दोनों के सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 02.09.2022 को समय दोपहर करीब 2.30–3.00 सरहद मौजा कंचनवास सालवाड़ी में परिवादी की भाभी गौरंती देवी, माता–पिता तथा भाई के साथ स्वेच्छयाकुंद हथियारों से मारपीट***

कर उनके स्वैच्छया साधारण उपहतियां कारित की और उन्हें किसी निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर उनका स्वैच्छया सदोष अवरोध कारित किया?"

66. इस बिंदु बाबत अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य को देखें तो गवाह पी. डब्ल्यू 1 सोनू कुमार ने बयान दिया कि दिनांक 02.09.2022 को समय करीब ढाई–तीन बजे की बात है। उसकी भाभी गौरंती देवी खेतों पर से आ रही थी तो रास्ते में भगवान सहाय, पन्नालाल अनीता, उनके घर के आगे रोक लिया तथा इसके साथ लात–घूंसों से मारपीट की। उसकी भाभी जमीन पर गिर गई जिससे वह बेअदब हो गई। तब उसने हल्ला मचाया तो उसके पिता पूनियाराम उसके भाई नत्थूराम मां जगनीदेवी बचाने आई तो तीनों मुल्जिमों ने लाठी व डण्डों से हमला कर दिया भगवानसहाय ने उसके पिता के सिर में लाठी की मारी। हत्या करने के आशय से और छाती में मारी। जिससे वह नीचे गिर गया और उसकी मां के अनीता ने डण्डों से मारा जिससे उसके सीधे हाथ की अंगुली कुचल गई और उसके भाई नत्थूराम के पन्ना ने लाठी से मारा जिससे उसकी दायें हाथ की अंगुली तथा बायें हाथ की अंगुली ओर सिर में चोट आई। वह घटना के समय कोचिंग में था। इस घटना के बारे में जानकारी उसे उसके भाई ने मोबाईल के द्वारा दी थी। उसके भाई भाभी और पिताजी को खेरली अस्पताल लाए थे उसने थाने पर सूचना दी थी, पिताजी की ज्यादा हालत खराब होने से वह बोल नहीं पा रहे थे, जिसे डॉक्टरों ने अलवर रैफर कर दिया। अलवर जांच के दौरान गंभीर स्थिति पाए जाने के कारण जयपुर रैफर कर दिया। 03.09.22 को ट्रोमा अस्पताल में भर्ती कराया, हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 14.09.22 तक भर्ती रहा, 14.09.22 को डिस्चार्ज कर दिया, तब भी वह बोलने की स्थिति में नहीं थे। घर लाए गए और दिनांक 20.09.22 को सुबह 5 बजे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने लाश का पंचनामा करके लाश उन्हें सुपुर्द की थी, उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जो प्रदर्श पी 1 है, चॉक एफआईआर प्रदर्श पी 2 है, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 है। सभी पर उसके हस्ताक्षर हैं।

67. इस प्रकार यह गवाह अपने द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट की ताईद में न्यायालय में कथन करता है, परंतु यह गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह घटना के समय कोचिंग में था, इस घटना की जानकारी उसे उसके भाई द्वारा मोबाईल पर दी गई थी। इससे स्पष्ट है कि परिवादी सोनू कुमार

उक्त घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। इसके अतिरिक्त यह गवाह अभियुक्तगण पन्नालाल व भगवानसहाय उर्फ कल्लू के अतिरिक्त अनीता द्वारा भी उसकी मां के साथ मारपीट करना बताता है, परंतु अनीता प्रकरण में अभियुक्ता नहीं है।

68. इस गवाह से की गई जिरह को देखें तो यह गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि यह कहना सही है कि झगड़े के समय वह कोचिंग में खेरली था। वह झगड़े के स्थान पर नहीं गया। उसके पिताजी को गांव सालवाड़ी से खेरली लेकर आए थे। एफआईआर उसने उसके भाई तथा मां के पूछकर कहने पर लिखवाई थी। इससे भी स्पष्ट होता है कि यह गवाह घटना की सुनी सुनाई साक्ष्य दे रहा है।

69. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि इस गवाह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में उसके पिता के साथ लाठी–फर्सी से मारपीट करना बताया है, वहीं यह गवाह मुख्य परीक्षा में भगवानसहाय द्वारा उसके पिता के सिर में लाठी मारना बताता है। ऐसे में यह गवाह वारदात में प्रयुक्त हथियार बाबत बयानों में अलग कथन करता है। इस बाबत गवाह की साक्ष्य को सूक्ष्मता से देखें तो गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि भगवानसहाय ने उसके पिता के सिर में लाठी मारी थी। यह गवाह मुख्य परीक्षा में फर्सी से मारने का कोई कथन नहीं करता है इसके अतिरिक्त गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि चोटें लाठी से आई थीं, धारदार हथियार से नहीं आई। धारदार हथियार से चोट मारना मां, भाभी और भाई ने बताया था। उसने मृतक पून्याराम के शरीर पर चोटें देखी थीं। एक सिर व एक छाती में। ये दोनों चोटें हथियार की नहीं, लाठी की थी। दोनों चोटें उसके पिताजी के भगवानसहाय ने मारी थी। नत्थूराम के कुल 3 चोटें आई थीं। इस प्रकार यह गवाह न्यायालय में अपने द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट की ताईद करता है, परंतु गवाह की साक्ष्य से स्पष्ट है कि यह गवाह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था, बल्कि यह घटना की सुनी सुनाई साक्ष्य देता है। साथ ही यह गवाह प्रथम सूचना रिपोर्ट से अपने कथनों में थोड़ा सुधार करते हुए अभियुक्तगण के पास फर्सी और लाठी के स्थान पर केवल लाठी होना बताता है, परंतु गवाह सुसंगत समय पर उसके भाई नत्थू, भाभी गौरंती, मां जगनी और पिता पून्याराम के मारपीट से साधारण चोटें आने और पून्याराम के सिर में आई चोट की वजह से गंभीर स्थिति होने से ईलाज हेतु अलवर एवं

जयपुर रैफर किए जाने एवं दिनांक 20.09.2022 को पून्याराम की मृत्यु हो जाने की साक्ष्य देता है। जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा दर्ज कराई गई थी।

70. अभियोजन कहानी के अनुसार झगड़ा परिवादी सोनू की भाभी आहता गौरंती के उस समय हुआ था जब वह खेत से घर आ रही थी और उसके चिल्लाने पर उसे बचाने गौरंती के पति नत्थूराम, सास जगनी, ससुर पून्याराम दौड़कर मौके पर गए थे तब अभियुक्तगण ने उक्त सभी के साथ मारपीट की थी। उक्त गवाहान घटना के आहतगण के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुए हैं। गवाह गौरंती पी. डब्ल्यू 3 ने अपने बयानों में बताया है कि दिनांक 02.09.22 को दोपहर 2.30–3.00 बजे की बात है। उस समय वह खेतों पर से आ रही थी। रास्ते में सड़क पर भगवान सहाय, पन्नालाल और अनीता तीनों ने उसे घेर लिया और उसके साथ लात घूसो और थप्पडों से पिटाई की और उसके कपड़े इधर उधर हो गए थे और लूगड़ी सिर से उतर गयी थी। फिर उसने शोर मचाया तो थोडी दूर उनका घर है तो वहां से उसके घरवाले ने सुना और उसका पति नत्थूराम और ससुर पून्याराम और सास जगनी देवी उसे बचाने उसके घर से भागे। जब वे आये तो पन्नालाल, भगवान सहाय और अनीता लाठी डंडे ले आये तब उन्होंने उनकी भी पिटाई की। भगवान सहाय ने पुन्याराम के लाठी से सिर में मारी और छाती में और पन्नालाल ने नत्थूराम के सिर व हाथ में लाठी से मारा और अनीता ने उसकी सास के व उसके डंडे से मारा। फिर वे उनके ससुर को लेकर खेडली पहुंचे तो वहां पुलिस वालों ने कहा कि तुम हॉस्पिटल चलों हम आ रहे है। फिर वहां उन्होंने अस्पताल में उसके ससुर को दिखाया तो वहां उन्हें गहरी चोट बतायी और वहां उन्हें अलवर के लिये रेफर कर दिया। फिर वह और उसके पति उनको लेकर तुरंत अलवर गये तो अलवर में अस्पताल में ससुर को आधा घंटा रखा उसके बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया। फिर सुबह 3 तारीख को जयपुर पहुंचे और उनको भर्ती कराया। उनके जाने के बाद उन्होंने सोनू को फोन पर बताया था और वह उनको खेडली में मिले थे तब उन्होने रिपोर्ट लिखवायी। फिर 14 तारीख को ससुर की अस्पताल से छुटटी कर दी और 7 दिन की दवाइयां दे दी थी और कहा कि 7 दिन बाद उन्हे लेकर आना, लेकिन वो 7 दिन से पहले 20.09.22 को ही उनकी मृत्यु हो गयी। पुलिस ने उसके सामने 15.09.22 को घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था। जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर ई से एफ

उसके हस्ताक्षर है। उसकी चोटों का मेडिकल हुआ था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 7 है। उसके न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी के बयान हुए थे, जो प्रदर्श पी 8 है। सभी पर ऐ से बी गवाह के हस्ताक्षर हैं।

71. इस प्रकार यह गवाह अभियोजन कहानी की ताईद में कथन करती है। इस गवाह की जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करती है कि सोनू ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी सोनू मौके पर मौजूद नहीं था। उसने देवर सोनू को उसके ससुर पून्याराम के भगवान सहाय द्वारा धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से चोट मारना नहीं बताया बल्कि लाठी से बताया था। उसने मृतक ससुर पुन्याराम के चोटें देखी थी, दो चोटें थी सिर व छाती पर। यह बात सही है कि सिर की चोटें में टांके आये थे। उसके देवर सोनू ने यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 में फर्सी से चोट मारना बताया जो गलत व झूठा बताया है। धारदार हथियार से मारना झूठा नहीं है, गलत है।

72. इस प्रकार यह गवाह जिरह में केवल अभियुक्तगण द्वारा फर्सी से मारपीट नहीं करना स्वीकार करती है, परंतु मौके पर कोई घटना घटित न हुई हो या यह गवाह न्यायालय में मिथ्या कथन कर रही हो ऐसा कोई तथ्य इस गवाह की जिरह से उत्पन्न नहीं हुआ है। यह गवाह भी परिवादी की तरह अभियुक्तगण के साथ अनीता द्वारा भी मारपीट करना बताती है, जो प्रकरण में मुलजिमा नहीं है, परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनीता द्वारा घटना कारित करना बताया गया है ऐसे में अनीता का नाम बताए जाने से गवाह की साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं होती है।

73. इस प्रकार यह गवाह सुसंगत समय पर अभियुक्तगण भगवान सहाय व व पन्नलाल द्वारा उसके, उसकी सास जगनी, पति नत्थूराम व ससुर पून्याराम के साथ लाठी से मारपीट करने की साक्ष्य देती है, जिससे उन सभी के चोटें आई व उक्त चोटों से पून्याराम की दिनांक 20.09.2022 को मृत्यु हो गई।

74. आहत पी.डब्ल्यू 2 नत्थूराम ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 02.09.2022 के दोपहर करीब ढाई तीन बजे की बात है। उसकी पत्नी गौरंती खेतों पर से आ रही थी तब उसकी पत्नी को घर के आगे भगवान सहाय, पन्नालाल अनीता तीनों ने रोक लिया। उन्होंने लात–घूसों व थप्पडों से मारपीट की। भगवान सहाय ने उसकी पत्नी को नीचे गिरा दिया। उसकी लूगडी सिर से हट गई और वह बेअदब हो गई। जब उसकी पत्नी चिल्लाई तब वह, उसके पिताजी

पून्याराम, मां जगनीदेवी को बचाने गए तो भगवान सहाय ने उसके पिताजी के सिर में लाठी की चोट मारी, पन्नाराम ने उसके लाठी की सिर में मारी, उसने हाथ से बचाव किया, जिससे उसके सीधे हाथ की अंगुली में चोट आ गई। उसकी मां के अनीता ने डंडे से मारी, जिससे उसके बाएं हाथ की अंगुली में चोट आई थी। उसकी पत्नी गौरंती के एक चोट गर्दन के पीछे, एक चोट कमर के नीचे पन्ना ने व अनीता दोनों ने चोट मारी। उसके पिताजी पुन्याराम को खेडली थाने पर लेकर गए थे फिर वहां से अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने हालत गंभीर बताई और अलवर रेफर कर दिया। अलवर ढाई तीन घंटे रुके और सीटी स्केन की रिपोर्ट को देखकर जयपुर रेफर कर दिया। तीन तारीख को सुबह जयपुर अस्पताल में एडमिट कर दिया। यहां ईलाज करवाया। पिताजी की हालत खेडली से ही गंभीर थी। 20 तारीख को उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके शरीर पर आई चोटों का मेडिकल 16 तारीख को हुआ था, उसके अलावा उसकी मां जगनीदेवी, पत्नी गौरंती के चोटें आई। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था। उस समय उसके अलावा उसका भाई सोनू, उसकी पत्नी गौरंती भी मौजूद थे। पुलिस ने उसके पिताजी का पंचनामा बनाया था। पंचनामा के समय छोटेलाल, मुरारी, नेतराम, यादराम और वह उपस्थित थे। पंचनामा प्रदर्श पी–05 है मृतक पुन्याराम की लाश गवाह नंतराम व मुरारीलाल के सामने उसे सुपुर्द की। फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी–06 है। उसके पिताजी की पोस्टमार्टम हुआ था। उसके पिताजी की मृत्यु सिर में चोर लगने के कारण हुई थी।

75. इस गवाह से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि यह बात सही है कि जब झगड़ा हुआ तब उसका भाई सोनू मौके पर मौजूद नहीं था। सोनू को उसने, उसकी मां व पत्नी तीनों ने घटना के बारे में बताया था। यह बात सही है कि उसने पुलिस को उसके पिता के सिर पर लाठी की चोट मारना बताया, फर्सी से चोट मारना नहीं बताया। पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 का ए से बी भाग *''मेरे पिता व मां के.....मारपीट की''* में फर्सी शब्द पुलिस को नहीं बताया व सी से डी भाग *''धारदार हथियार''* शब्द पुलिस को नहीं बताया। यह बात सही है कि उसने पुलिस में बयान होने से पहले ही उसके पिता का मेडिकल हो गया था। यह बात सही है कि मेडिकल होने के के बाद उन्होंने उनके बयानों में लाठी की चोट बतायी थी, क्योंकि हमें पहले से

पता था। यह कहना सही है कि चार पांच साल से उनके व पन्नालाल के परिवार में बोलचाल नहीं थे, पैसे के लेनदेन को लेकर विवाद था। उनके पन्नालाल की तरफ 60,000–70,000 रूपये थे। चार पांच साल पहले पिलाई के पैसे नहीं दिए।

76. इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य का जिरह से कोई खंडन नहीं हुआ है। मौके पर कोई घटना कारित नहीं हुई हो या यह गवाह न्यायालय में किसी कारण से मिथ्या कथन कर रहा हो ऐसा स्पष्ट नहीं होता है। यह गवाह भी इस बाबत साक्ष्य देता है कि दिनांक 02.09.2022 को अभियुक्तगण ने उसकी पत्नी गौरंती को रास्ते से जाती हुई को रोक लिया था और उसके साथ मारपीट की तथा जब उसकी पत्नी चिल्लाई तो मौके पर वह, उसकी मां जगनी व उसके पिता पून्याराम दौड़कर गए थे। भगवान सहाय ने उसके पिता के सिर में लाठी की चोट मारी, पन्नाराम ने उसके लाठी की सिर में मारी, जिससे उसके सीधे हाथ की अंगुली में चोट आ गई। गौरंती के एक चोट गर्दन के पीछे व एक चोट कमर के नीचे आई। फिर उन्होंने उसके पिता पून्याराम का अलवर व जयपुर में ईलाज कराया, दिनांक 14.09.2022 को उसके पिता को अस्पताल से छुट्टी मिली घर आने के बाद दिनांक 20.09.22 को उसके पिता की मृत्यु हो गई।

77. इसी प्रकार आहता श्रीमती जगनी पी.डब्ल्यू 4 ने सशपथ साक्ष्य दी है कि बयानों से 1.5 साल पहले की बात है समय करीब 2:30 बजे की बात है। उसकी बहु गौरंती खेत पर से आ रही थी, रास्ते में उसे कल्लू उर्फ भगवान सहाय ने घेर लिया। भगवान सहाय, पन्ना, अनीता ने उसके पति के लाठी से सिर में मारी। नत्थूराम को पन्ना ने लाठी से मारा। उसे अनीता ने बांये हाथ में डण्डे की मारी थी, जिससे उसकी अंगुली टूट गई। उनकी मारपीट के बाद हितेश हरिओम ने उन्हें बचाया। ईलाज के लिये उसके बहु व बेटे खेडली अस्पताल लेकर गये थे। खेडली से अलवर व अलवर से जयपुर अस्पताल भेज दिया था। उस समय उसके पति बोलने की स्थिति में नहीं था। उसका बेटा सोनू कोचिंग पढ रहा था उसे फोन करके सूचना दी। उस समय पून्याराम की हालत गम्भीर थी। उसका पति 16 दिन एस.एम.एस. जयपुर में भर्ती रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने घर भेज दिया था, उसके 4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके शरीर पर आई चोटों का मेडिकल हुआ था जो प्रदर्श पी–9 है।

78. अब गवाह से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करती है कि झगडे के समय सोनू मौजूद नहीं था। उसने सोनु को कोई बात नहीं बताई। उसके अंगुली व हाथ में चोट आई थी और कहीं नहीं लगी थी। सोनू ने प्रथम सूचना रिपोर्ट मे भगवान सहाय ने फर्सी से मारना गलत लिखाया है लाठी से मारा था। पुलिस बयान प्रदर्श डी–4 में ए से बी भाग में फर्सी शब्द गलत लिखा है, सी से डी भाग में धारदार हथियार से चोट मारना गलत लिखा है। इस प्रकार उक्त गवाह सुसंगत समय पर गौरंती के साथ अभियुक्तगण भगवान सहाय व पन्नालाल व अनीता द्वारा गौरंती को रास्ते मे रोकने और उसके साथ मारपीट करने व गौरंती के चिल्लाने पर नत्थू, पून्याराम व उसके मौके पर जाने और उनके साथ मारपीट करना, जिसमें उन सभी के चोटें आना और दिनांक 20.09.2022 को पून्याराम की मृत्यु हो जाने की साक्ष्य देती है।

79. उक्त गवाहान से की गई जिरह से स्पष्ट है कि परिवादी सोनू कुमार मौके पर मौजूद नहीं था। इसके अतिरिक्त गवाहान स्वीकार करते हैं कि उन्होंने फर्सी से मारना नहीं बताया था केवल लाठी से मारना बताया था। ऐसे में गवाहान की साक्ष्य में मुख्य रूप से विरोधाभास अभियुक्तगण द्वारा वारदात में फर्सी की जगह लाठी का प्रयुक्त होना न्यायालय के समक्ष आता है, क्योंकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में फर्सी व लाठी प्रयुक्त होना परिवादी ने अंकित किया है, परंतु सभी गवाह न्यायालय में लाठी से मारपीट करना बताते हैं।

80. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण ने न्यायिक दृष्टांत 2025(2) Cr.L.R. (Raj.) 870 State of Rajasthan Vs. Kishan Singh & Ors. पेश कर निवेदन किया है कि गवाहान के बयानों में हथियार को लेकर गंभीर विरोधाभास है– इसलिए गवाहान की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। उनकी ओर से पेश उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि *''दण्ड संहिता, 1860–धारा 148, 320, 302 / 149 व 323–दोषमुक्ति अपील–अभियुक्त प्रत्यर्थीयों के विरूद्ध आरोप है कि उन्होंने परिवादी पर हमला किया तथा उसके हाथ पर लाठी से वार और सिर पर पत्थर से प्रहार अभियोजन साक्षीयों के कथनों में सारभूत विरोधाभास है विशेष कर प्रयुक्त किये गये हथियार, हमलावर की पहचान व घटना के सही स्थान के बारे में – अभियोजन फोरेंसिक साक्ष्य को बरामदसुदा हथियारों से जोड़ने में असफल रहा*

अभियोजन की कहानी विश्वसनीय नहीं पायी गयी निर्णीत, विचारण न्यायालय अभियुक्त प्रत्यर्थीगण को दोषमुक्त करने में न्यायसंगत था।''

81. उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्स प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा नहीं होते हैं। क्योंकि, उक्त प्रकरण में वारदात में प्रयुक्त हथियार के अतिरिक्त अभियुक्तगण की पहचान व घटनास्थल की सही पहचान आदि को लेकर भी विरोधाभास था इसलिए उक्त निर्णय से अभियुक्तगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

82. घटना में प्रयुक्त हथियार के अतिरिक्त उपरोक्त सभी गवाह अभियुक्तगण पन्नालाल व भगवानसहाय के अलावा आहतगण के साथ अनीता द्वारा लाठी से मारपीट करना बताते है, लेकिन अनीता प्रकरण में अभियुक्ता नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में गौरंती के बेअदब होना बताया गया है, लेकिन पुलिस ने धारा 354 भारतीय दंड संहिता 1860 का अपराध प्रमाणित नहीं माना है। परिवादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में मौके पर अनीता द्वारा घटना कारित करना बताया है, ऐसे में अनीता का नाम घटना कारित करने वाले के रूप में बताने से गवाहान की साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं होती है। मौके पर कोई झगड़ा न हुआ हो या गवाहान झूठे कथन कर रहे हों, ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं आता है। ऐसे में केवलमात्र वारदात में प्रयुक्त हथियार बाबत गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास गवाहान की संपूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बनाता है।

83. अभियोजन की ओर से घटना के चश्मदीद गवाहान बताकर गवाह पी. डब्ल्यू 7 छोटेलाल, पी.डब्ल्यू 9 हितेश, पी.डब्ल्यू 10 श्रीमती कांता, पी.डब्ल्यू 11 हरिओम, पी.डब्ल्यू 14 रामदयाल, पी.डब्ल्यू 15 सुबेसिंह व पी.डब्ल्यू 16 हरिप्रसाद को न्यायालय में पेश किया गया है। जिसमें से गवाह पी.डब्ल्यू 11 हरिओम को छोड़कर सभी गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं।

84. गवाह पी.डब्ल्यू 11 हरिओम ने सशपथ साक्ष्य दी है कि 7 सितंबर को दोपहर 2.30–3.00 बजे की बात है। सुनीता खेत से आ रही थी। उनका आपसी कोई पिलाई का झगड़ा था। भगवान सहाय की पत्नी ने उसे गाली दी। आपस में गाली गलौच हुआ। उसके बाद सुनीता को सड़क पर डाल दिया वो चिल्लाई तो नत्थूराम व पून्याराम वहां पहुंचे, झगड़ा और बढ़ गया। भगवानसहाय ने पुन्याराम के सिर में लाठी मार दी। वहीं पन्नालाल ने नत्थूराम के बाएं हाथ पर डंडे मारे। पून्याराम के सिर में चोट आने से बहुत ज्यादा खून

बहने लगा, जगनी के भी मारपीट की उसका भी हाथ–पैर डंडे से कुचल दिए। सुनीता के सिर पर लूगड़ी हटा कर भगवान सहाय ने दो डंडे उसके भी मारे। नत्थूराम पुन्याराम को लेकर अस्पताल आ गया।

85. इस गवाह से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि उसका मकान पन्नालाल के मकान से लगभग 7–8 मकान दूर है। वह दिल्ली पढ़ता है और उस दिन गांव में था। उसके अलावा हरकेश था और कोई नहीं था। उसे पता नहीं है कि सुनीता व जगनी कितनी देर बाद गए क्योंकि वह आ गया था। उसने पून्याराम के शरीर पर कितनी चोट आई गिना नहीं। भगवानसहाय द्वारा जगनी देवी के दो चोटें दायें हाथ पर और एक पीठ पर, एक लाठी पैर में और उसे पता नहीं। उसने पुन्याराम के भगवान सहाय के लाठी मारी उसने गिनी नहीं। सुनीता के भगवानसहाय ने तीन चार लाठी मारी थी। सुनीता गिर गई थी। गिरने के बाद लाठी मारी थी। सुनीता के कौनसे पैर पर सूजन आई उसे पता नहीं है। फ्रेकचर नहीं आया था। यह कहना गलत है कि पून्याराम, नत्थूराम व उसकी पत्नी सुनीता, जगनी देवी हाथों में डंडा लेकर पन्नालाल के घर पर झगड़ा करने गए हो।

86. इस प्रकार यह गवाह जिरह में अडिग रहा है और यह गवाह आहतगण की साक्ष्य की पुष्टि करते हुए सुसंगत समय पर भगवानसहाय द्वारा पून्याराम के सिर में लाठी मारना, पन्नालाल द्वारा नत्थू के बाएं हाथ पर डंडा मारना, जगनी के मारपीट में हाथ पैर डंडे से कुचल देना सुनीता के डंडे मारना बताता है। यह गवाह आहता का नाम सुनीता बताता है, जबकि आहता गौरंती है। सुनीता व गौरंती दोनों बहने हैं। सुनीता अभियुक्त भगवानसहाय की पत्नी है। जबकि गौरंती नत्थू की पत्नी है ऐसे में दर्शित होता है कि गवाह केवल जीभ फिसलने की वजह से गौरंती की जगह सुनीता का नाम ले रहा है। इस प्रकार यह गवाह अभियोजन कहानी की पुष्टि करता है।

87. अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 7 छोटेलाल, पी.डब्ल्यू 9 हितेश, पी.डब्ल्यू 14 रामदयाल, पी.डब्ल्यू 15 सुबे सिंह व पी.डब्ल्यू 16 हरिप्रसाद अभियोजन कहानी की लैशमात्र भी ताईद नहीं करते हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा गवाहान को पक्षद्रोही घोषित किया गया है अपर लोक अभियोजक की जिरह में गवाहान क्रमशः अपना पुलिस बयान प्रदर्श पी 10, 11, 15, 16 व 17 पुलिस को लिखाने से

इंकार करते हैं। उक्त गवाहान की साक्ष्य से अभियोजन कहानी को कोई मदद प्राप्त नहीं होती है।

88. गवाह पी.डब्ल्यू 10 श्रीमती कांता की साक्ष्य को देखें तो इस गवाह ने न्यायालय में परीक्षित होने पर सशपथ साक्ष्य दी है कि 02.09.2022 की बात है करीबन 2–3 बजे की बात है। वह घर पर थी। उस दिन बच्चों की बस आई थी तो उनमें से किसी बच्चे ने रबर का टूक फेंक कर मारा जो गौरंती के लगा। फिर गौरंती देवी भगवान सहाय के घर गई। फिर दोनों में झगड़ा हो गया। फिर गौरंती वापिस अपने घर वापिस अपने घर आई, वहां से अपने पति, सास और ससुर को बुलाकर ले गई। फिर क्या हुआ उसे पता नहीं वह घर पर थी। यह गवाह भी पक्षद्रोही घोषित हुई है, परंतु यह गवाह सुसंगत समय पर भगवानसहाय के घर के बाहर गौरंती पर रबड़ फेंक देने की बात को लेकर झगड़ा होने की साक्ष्य देती है। यह गवाह भी पक्षद्रोही करार दी गई है। अपर लोक अभियोजक की जिरह में यह गवाह पुलिस बयान प्रदर्श पी 12 का ए से बी व सी से डी भाग लिखाने से इंकार करती है। इस गवाह से केवल सुसंगत समय पर दोनों पक्षों में झगड़ा होने का तथ्य सामने आता है।

89. अभियोजन की ओर से आहतगण के शरीर पर आई चोटों का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाले चिकित्सा अधिकारीगण को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। गवाह पी.डब्ल्यू 13 डॉ. अंकित जेटली ने अपने सशपथ बयानों में बताया है कि वह दिनांक 02.09.2022 को समय 6 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरली चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन पुलिस प्रतिवेदन खेड़ली पर उसने पुन्याराम पुत्र मूल्याराम के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल किया। जिसके शरीर पर चोट नं. 1 कटा भरा घाव 3 गुणा 2 सेमी का उपरी मसल तक सिर के फ्रंटल पैराईटल हिस्से पर था। जिसका ओपिनियन रिजर्व कर एक्स–रे एडवाईज किया गया। चोट नं. 2 दर्द व टेंडरनेस छाती पर थी जिसका ओपिनियन रिजर्व कर एक्स–रे एडवाईज किया गया। चोट सं. 3 शरीर में दर्द कोई बाहरी चोट नहीं। इन चोटों की अवधि 6 घंटों के भीतर की है। पुन्याराम की मेडिकल रिपोर्ट का कोई भी ओपिनियन नहीं दिया गया। पुन्याराम का एमएलसी प्रदर्श पी 14 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर एवं सी से डी मजरूब के हस्ताक्षर हैं।

90. इस गवाह से की गई जिरह में गवाह स्वीकार करता है कि मजरूब के चोट आंख के उपर सामने व पैराइटल हिस्से पर आई थी जो ठोकर खाकर गिरने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, परंतु इस गवाह की जिरह की स्वीकारोक्ति से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मजरूब पून्याराम ठोकर खाकर गिरा हो। गवाह सुसंगत समय पर आहत पून्याराम के सिर के फ्रंटल हिस्से व छाती पर चोट होने की पुष्टि करता है।

91. इसी प्रकार इस बिंदु पर गवाह पी.डब्ल्यू 17 डॉ. विकास अग्रवाल ने सशपथ साक्ष्य दी है कि सीएचसी खेरली पर एमओ के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 16.09.2022 को पुलिस तहरीर खेडली के पुलिस प्रतिवेदन संख्या 3086 पर मजरूबा गौरंती पत्नि नत्थूराम उम्र 30 साल की शरीर की आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया था जिसके शरीर पर चोट नं. 1 – उसने लैफ्ट पैराईटल एरिया पर दर्द जाहिर किया था। चोट नं. 2– उसने गर्दन के सीधी साईड में दर्द जाहिर किया था। चोट नं. 3– उसने राईट प्लंबर में दर्द जाहिर किया था। उपरोक्त सभी चोटें दिखाई नहीं दे रही थी चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 07 है।

92. उसी दिन पुलिस प्रतिवेदन पर गवाह द्वारा मजरूबा जगनी पत्नि पून्याराम उम्र 65 साल के शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल मुआयना किया गया था जिसके शरीर पर चोट नं. 1 – फटा हुआ लैफ्ट इंडेक्स फिंगर एक सेमी गुणा एक सेमी था। हथियार भोंटा था गर्दन पर उल्टे साईड में काले तिल का निशान था। जिस चोट का एक्स–रे ऑफ लैफट हैंड कर ओपिनियन रिजर्व रखा गया था एवं बाद एक्स–रे की रिपोर्ट में कोई अस्थि भंग नही था, चोट की प्रकति साधारण थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 09 है। उसी दिन पुलिस प्रतिवेदन पर उसके द्वारा नत्थू राम पुत्र पून्याराम उम्र 30 साल जाति मीना निवासी सालबाडी का मेडिकल मुआयना किया गया था जिसके शरीर पर चोट नं. 1– राईट पैराईटल एरिया में दर्द जाहिर किया था। जो कि दिखाई नहीं दे रहा था। चोट नं. 2– नीलगू चोट सीधे अगूठे पर एक सेमी गुणा एक सेमी, सीधे रिंग फिंगर पर एक सेमी गुणा एक सेमी, राईट लिटिल फिंगर एक सेमी गुणा एक सेमी मजरूब का पहचान चिन्ह सीधे फोर आर्म पर काले तिल का निशान था। चोट नं. 2 का एक्स–रे एडवाईज कर ओपिनियन रिजर्व रखी गई। बाद एक्स–रे रिपोर्ट चोट नं. 2 की साधारण प्रकृति व भोटे हथियार से कारित

थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 04 है। एक्स–रे रिपोर्ट कमश प्रदर्श पी 18 एवं 19 है जिन फर्दो पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी उसकी राय है।

93. इस प्रकार यह गवाह दिनांक 16.09.2022 को आहतगण गौरंती, जगनी व नत्थूराम के शरीर पर आई चोटों का परीक्षण कर उनके शरीर पर साधारण चोटें होने की साक्ष्य देता है, इस गवाह से की गई जिरह को देखें तो यह गवाह स्वीकार करता है कि गौरंती, जगनी व नत्थू के शरीर पर आई चोटें गिरने पड़ने से आ सकती हैं इन तीनों की चोटें स्वकारित हो सकती हैं और चोटें पहुंच वाले भाग पर है। जगनी के शरीर पर आई चोटें भारी वस्तुओं के बीच दबने से आ सकती हैं, परंतु उक्त स्वीकारोक्ति से गवाह की साक्ष्य का खंडन नहीं होता है। केवल चिकित्सा अधिकारी के द्वारा की गई स्वीकारोक्ति से यह नहीं माना जा सकता कि आहतगण के शरीर पर आई चोटें स्वकारित हों या गिरने–पड़ने से आई हों। क्योंकि अधिवक्ता अभियुक्तगण ने आहतगण की जिरह में इस बाबत कोई प्रश्न नहीं किया है कि आहतगण के शरीर पर आई चोटें गिरने–पड़ने से आई हों या स्वकारित हों।

94. इस प्रकार उपरोक्त चिकित्सा अधिकारीगण की साक्ष्य से सुसंगत समय पर आहतगण पून्याराम, नत्थूराम, गौरंती व जगनी के शरीर पर उपहतियां कारित होने का तथ्य प्रमाणित होता है। जिसमें आहत पून्याराम के शरीर पर आई चोटें बाबत राय रिजर्व रखी गई है व अन्य आहतगण के शरीर पर साधारण उपहतियां कारित हुई हैं।

95. साक्ष्य सफाई में पेश गवाह अभियुक्त भगवानसहाय डी.डब्ल्यू 1 ने अपने सशपथ बयानों में दिनांक 02.09.2022 को करीब दो–ढाई बजे नत्थू, पून्याराम, जगनी व गौरंती द्वारा उनके साथ झगड़ा करना बताया है। ऐसे में साक्ष्य सफाई में पेश गवाह की साक्ष्य से भी सुसंगत पर दोनों पक्षों में झगड़ा होने का बिंदु प्रमाणित होता है। इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया कि उसके द्वारा अपनी निजी प्रतिरक्षा में की गई कोशिश से आहतगण के चोटें आई हों।

96. अभियोजन की ओर से पेश अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 19 भगत सिंह व गवाह पी.डब्ल्यू 20 सुरेशचंद पुत्र भगवान सिंह ने लगभग समान रूप से मुलजिम पन्नालाल को दिनांक 05.10.22 जरिये फर्द प्रदर्श पी 20 गिरफ्तार करने व दिनांक 06.10.2022 को मुलजिम पन्नालाल की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की

ईत्तिला प्रदर्श पी 20 के आधार पर अभियुक्त के घर छप्पर से घटना में प्रयुक्त एक पुराना इस्तेमाली डंडा जरिये फर्द जब्ती प्रदर्श पी 21 जब्त करने और मुलजिम पन्ना की निशादेही से घटनास्थल तस्दीक कर नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 22 व बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 23 बनाने की साक्ष्य देते हैं। उक्त गवाहन से की गई जिरह से यह तथ्य खंडित नहीं हुआ है कि पुलिस ने अभियुक्त पन्नालाल के कब्जे से कोई लाठी बरामद नहीं की हो।

97. गवाह पी.डब्ल्यू 23 सुरेशचंद पुत्र रामस्वरूप ने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 14.11.22 को एसएचओ साहब ने उसके समक्ष मुलजिम भगवानसहाय की निशादेही से बरामदगीस्थल का नक्शा मौका कैंप कंचनवास में बनवाया था जो प्रदर्श पी 27 है। दिनांक 14.11.22 को समय 9.10 एएम पर एसएचओ साहब ने उसके व कानि. राकेश कुमार के सामने गिरफ्तारशुदा मुलजिम भगवानसहाय की निशादेही से तस्दीक घटनास्थल नक्शा मौका बनाया गया जो प्रदर्श पी 28 है एवं उसी दिन मुलजिम भगवानसहाय ने 27 एविडेंस की इत्तिला दी और पुलिस जाब्ता के साथ आगे आगे चलकर अपने घर के कमरे में से एक कोने में मारपीट घटना में काम में ली गई एक लाठी लाकर आईओ साहब को पेश की जिसको मौके पर जब्त कर फर्द जब्ती बनाई गई। जो प्रदर्श पी 29 है। जिन पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम भगवानसहाय के हस्ताक्षर हैं।

98. इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू 25 राकेश कुमार ने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 13.11.2022 को मुकदमा नंबर 390/22 में आईओ महावीर प्रसाद एसआई एसएचओ ने मुलजिम भगवानसहाय उर्फ कल्लू पुत्र पन्नालाल को उसके समक्ष गिरफ्तार किया गया था जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 26 है। दिनांक 14.11.2022 को फर्द बरामदगी एक पुरानी इस्तेमाली लाठी को मुलजिम भगवानसहाय की निशादेही से कमरे के कोने में से निकालकर पेश की जिसकी आईओ ने फर्द जप्ती बनाई थी जो प्रदर्श पी 29 है। उसी दिन फर्द बरामदगी स्थल का नक्शा मौका आईओ ने उसके समक्ष बनाया था जो प्रदर्श पी 27 है। उसी दिन आईओ ने मेरे सामने मुलजिम की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 28 है। जिन सभी पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। गवाह पी.डब्ल्यू 22 ओमदत्त दिनांक 13.11.2022 को मुलजिम भगवानसहाय उर्फ कल्लू को गिरफ्तार करने की औपचारिक साक्ष्य देता है।

99. इस प्रकार उपरोक्त गवाहान अभियुक्त भगवानसहाय उर्फ कल्लू को गिरफ्तार करने उसकी निशानदेही से घटनास्थल तस्दीक करने, अभियुक्त की सूचना पर उसके घर से लाठी बरामद करने और बरामदगीस्थल का नक्शा मौका बनाने की साक्ष्य देते हैं। उक्त गवाहान से की गई जिरह को देखें तो गवाह सुरेश पी. डब्ल्यू 23 जिरह में स्वीकार करता है कि लाठी में कितनी गांठें थी उसे ध्यान नहीं है। भगवानसहाय को वह थाने से लेकर नहीं गए थे, भगवानसहाय उन्हें घर पर मिला था, जिस समय लाठी जब्त की थी उस समय कोई स्वतंत्र गवाह नही था। इसी प्रकार गवाह राकेश पी.डब्ल्यू 25 ने स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि जब वे मुलजिम को लेकर गए थे, घर पर अन्य लोग मौजूद थे। बरामदशुदा लाठी पर खून लगा हुआ देखा या नहीं उसे याद नहीं है। गवाह ने नक्शा मौका देखकर बताया कि नक्शे में परिवादी पून्याराम का मकान आसपास नहीं है। यह बात सही है कि नक्शा मौका में परिवादी चलकर आया है और आरोपी के मकान के सामने झगड़ा हुआ है, परंतु उक्त स्वीकारोक्ति से यह तथ्य खंडित नहीं होता है कि अभियुक्त के कब्जे से कोई लाठी बरामद नहीं हुई हो।

100. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण ने निवेदन किया है कि बरादमगीस्थल अभियुक्तगण के अनन्य रूप से कब्जे में नहीं था इसलिए उक्त बरामदगी से अभियुक्तगण को अपराध में नहीं जोड़ा जा सकता इस संबंध में उन्होंने न्यायिक दृष्टांत 2025 Cr.L.R. (SC) 1379 Govind Vs. State of Haryana पेश किया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि *"Evidence Act, 1872-Sec. 27-Recovery of pistol from a dwelling house -Many family members were living- No independent witness was called to witness the recovery- No complete link evidence- Recovery not reliable."* यह न्यायालय उक्त निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांतों से पूर्ण रूप से सहमत है परंतु उक्त न्यायिक निर्णय के तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा नहीं होने से अभियुक्तगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

101. गवाह पी.डब्ल्यू 21 झम्मन घटना का प्रथम अनुसंधानकर्ता है, जो न्यायालय में परीक्षित होने पर अपने सशपथ बयानों में प्रकरण की तफ्तीश प्राप्त होने पर दौराने अनुसंधान गवाह सोनू कुमार, नत्थूकुमार, गौरंती व जगनीदेवी के बयान लेखबद्ध करने, घटनास्थल का नक्शा मौका बनाने,

मजरूबान का मेडिकल करवाने की तहरीर जारी करने आदि की साक्ष्य देता है।

102. गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि यह कहना सही है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 का ए से बी भाग ''सोनू कुमार ने मेरे पिता.....चोट आई है'', सही लिखाया है। यह बात सही है कि सोनू कुमार के बयानो में सोनू कुमार द्वारा झगड़ा होने बाबत् कोई पुराना, पैसे का लेना देना या पुरानी रंजिश होना नहीं बताया है। यह बात सही है कि उसके द्वारा लिये गए बयानों में सोनू कुमार द्वारा मुलजिम भगवानसहाय के घर के सामने रास्ते में आकर झगड़ा करना बताया है। यह बात सही है कि उसके बयान लिये जाने के वक्त तक मृतक पून्याराम जिन्दा था जो एसएमएस हॉस्पीटल में भर्ती था। यह बात सही है कि गवाह सोनू कुमार द्वारा उसे बयानों में यह बात भी बताई थी कि मेरे पिता व भाई के साथ सभी ने लाठी फर्सी से मारपीट की थी। यह कहना गलत है कि उसने आहतगण की चोटों को नहीं देखा हो, परंतु इस गवाह से की गई जिरह में यह तथ्य खंडित नहीं होता है कि मौका पर कोई घटना नहीं हुई हो या आहतगण नत्थू, गौरंती जगनी व पून्याराम को चोट नहीं पहुंची हो।

103. गवाह पी.डब्ल्यू 24 राजवीर सिंह प्रकरण का द्वितीय अनुसंधानकर्ता है जिसने अपने बयानों में मृतक पून्याराम की लाश का पंचनामा बनाने, लाश को उसके परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सुपुर्द करने, गवाह हरिओम, हितेशकुमार व छोटेलाल के बयान लेखबद्ध करने और अभियुक्त पन्नालाल को गिरफ्तार करने और उसकी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला पर डंडा बरामद करने की साक्ष्य दी है। इस गवाह ने जिन गवाहान के बयान लेखबद्ध किए हैं उनमें से गवाह हितेश व छोटेलाल पक्षद्रोही करार दिए गए हैं, वे घटना की ताईद नहीं करते हैं। गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि झगड़ा पन्नालाल के मकान के सामने रास्ते में हुआ था। गवाह ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 22 देखकर बताया कि इस नक्से में आस पास परिवादी का मकान नहीं दर्शाया गया है। गवाह ने आगे स्वीकार किया है कि झगड़ा छोटे बच्चों की बातों को लेकर हुआ था। यह कहना गलत है कि परिवादी पक्ष ने मुलजिम पक्ष के घर के सामने आकर झगड़ा किया हो बल्कि मुलजिम के घर के सामने से आम रास्ता से जाते हुए मजरूबान की मारपीट की थी। उसके द्वारा अंकित किए गए बयानों में गवाहान ने रास्ते से गुजरते हुए मजरूबान के साथ मारपीट होना नहीं बताया था। यह कहना सही है कि अडोसी पडौसियो को नोटिस नहीं दिया क्योकि उस दिन

अडौसी पड़ौसी मौजूद नहीं थे। अड़ौसी पड़ौसी मौजूद नहीं थे इस कारण नोटिस नही दिया जा सका और पुलिस के गवाहों के सामने कार्यवाही शुरू की गई। उसने बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाते समय अड़ौसी पड़ौसी मौजूद नहीं होने से उनसे पूछताछ नहीं की मुलजिम के बताये अनुसार व वहां उपस्थित बच्चों के बताये अनुसार नक्शा मौका तैयार किया था। अडौसी पड़ौसी मौके पर नहीं मिले जिसका नोट डायरी में लगाया था या नहीं यह उसे इस समय याद नहीं है। यह कहना गलत है कि बरामदशुदा डंडे पर खून के निशान लगे हो। जिस स्थल से मुलजिम ने घटना में प्रयुक्त डंडा पेश किया था उस स्थान के अडौसी पड़ौसी के घरों का अंकन नक्शा मौका में है।

104. इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू 27 महावीर प्रसाद ने अपने आंशिक अनुसंधान के दौरान गवाहान कांता देवी, रामदयाल, सुबेसिंह, हरप्रसाद के बयान लेखबद्ध किए और मुलजिम भगवानसहाय उर्फ कल्लू को गिरफ्तार करने, उसकी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तिला पर उसके घर के कमरे से लाठी बरामद करने की साक्ष्य दी है।

105. इस गवाह से की गई जिरह को देखें तो गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि यह कहना सही है कि उसके द्वारा बयान 161 सीआरपीसी श्रीमती कान्ता ने अपने बयानों में यह बात बताई थी कि स्कूल के बच्चे बस में से उतरकर अपने घर जा रहे थे। कल्लू के बच्चों ने कोई रबड़ का टूक उठाकर गौरंती की तरफ फेंक दिया। इसको लेकर गौरंती बच्चों के पीछे पीछे उनके घर गई तो बच्चों की बात को लेकर कल्लू व गौरंती में आपस में कहासुनी हो गई। यह भी सही है कि गवाह सुबे सिंह, हरप्रसाद व रामदयाल ने भी अपने बयानों में यह बात बताई थी कि बच्चों को लेकर आपस में कहासुनी हो गई थी। यह सही है कि घटनास्थल के पास मुस्तगीस पून्याराम का मकान नहीं है इसलिये हमने घटना स्थल के नक्शा मौका में नहीं दर्शाया है। यह कहना भी सही है कि मुस्तगीस पून्याराम, नत्थू, गौरंती व जगनी अपने घर से चलकर मुलजिम के घर पर आए और यहां आकर इन्होंने झगड़ा किया। यह बात सही है कि बरामदशुदा लाठी पर कोई खून वगैरह के निशान नहीं थे। जिस जगह घटना घटी उस जगह से मेरे व पूर्व आईओ द्वारा कोई खून आलुदा मिट्टी वगैरह जब्त नहीं की। उसके अनुसंधान में यह बात आई थी कि झगड़ा बच्चों की बात को लेकर हुआ था।

106. इस प्रकार उक्त अनुसंधान अधिकारीगण की साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जो अनुसंधान कार्रवाई को दूषित करता हो। हालांकि गवाह झम्मन सिंह पी.डब्ल्यू 21 स्वीकार करता है कि पहले का कोई लेनदेन का विवाद या कोई रंजिश परिवादी ने नहीं बताया था तथा झगड़ा भगवानसहाय के घर के सामने रास्ते में हुआ था। इसी प्रकार गवाह राजवीर पी.डब्ल्यू 24 जिरह में स्वीकार करता है कि झगड़ा रास्ते में पन्नालाल के घर के सामने हुआ था। गवाह यह भी स्वीकार करता है कि झगड़ा छोटे बच्चों की बातों को लेकर हुआ था तथा मुलजिम पक्ष ने परिवादी पक्ष के घर के सामने आकर मारपीट नहीं की। गवाह पीडब्ल्यू 27 महावीर प्रसाद की साक्ष्य से भी स्पष्ट होता है कि गवाह कांता के बयानों में यह बात आई थी कि स्कूल के बच्चे बस से उतर कर अपने घर जा रहे थे, कल्लू के बच्चे ने कोई रबड़ का टूक गौरंती पर फेंक दिया था, जिसको लेकर गौरंती बच्चे के पीछे–पीछे उनके घर आई तो बच्चे की बात को लेकर कल्लू व गौरंती में आपस में कहासुनी हो गई। यह सही है कि गवाह सुबह सिंह, हरप्रसाद व रामदयाल ने भी अपने बयानों में यह बात बताई थी कि बच्चों को लेकर आपसी कहासुनी हो गई। यह कहना भी सही है कि घटनास्थल के पास मुस्तगीस पून्याराम का मकान नहीं है। इसलिए घटनास्थल के नक्शा मौका में उसे नहीं दर्शाया हैं यह कहना भी सही है कि मुस्तगीस पून्याराम, नत्थू, गौरंती व जगनी अपने घर से चलकर मुलजिम के घर आए थे, जहां आकर उन्होंने झगड़ा किया।

107. इस प्रकार अनुसंधान अधिकारीगण की जिरह से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी पक्ष चलकर मुलजिमान के घर के सामने आया था और वहां झगड़ा हुआ था। जिसमें आहतगण के चोटें आई थी एवं झगड़ा रबड़ फेंकने की बात को लेकर हुआ था। परिवादी द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुलजिम भगवानसहाय ने गौरंती को रोककर उसके साथ मारपीट और गाली–गलौज की थी जिससे वह बेअदब हो गई थी। इस वजह से झगड़ा हुआ था, परंतु अनुसंधान अधिकारीगण की साक्ष्य से यह तथ्य खंडित हो जाता है कि मुलजिमान ने गौरंती को रोककर उसके साथ गाली–गलौज एवं मारपीट की हो और वह बेअदब हुई हो इसलिए झगड़ा हुआ हो। बल्कि अनुसंधान अधिकारीगण की साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि आहतगण नत्थू, जगनी व पून्याराम गौरंती के

साथ गौरंती पर रबड़ फेंकने की बात को लेकर झगड़ा करने मुलजिमान के घर गए थे, जहां उनका आपस में झगड़ा हुआ था।

108. इस प्रकार उपरोक्त समस्त गवाहान की साक्ष्य को समग्र रूप से देखने पर बच्चों की बात को लेकर दिनांक 02.9.2022 को दोपहर करीब 2.30–3.00 बजे अभियुक्तगण पन्नालाल व भगवानसहाय उर्फ कल्लू ने आहतगण गौरंती, नत्थूराम, जगनी देवी एवं पून्याराम को रोककर उनका स्वेच्छया सदोष अवरोध कारित करने एवं उनके साथ लाठी से मारपीट कर आहतगण गौरंती, नत्थूराम, जगनी देवी के साधारण उपहतियां कारित होने एवं पून्याराम के सिर पर चोट आने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है।

109. द्वितीय विचारणीय बिंदु में न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करना है कि ***''क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी के पिता पून्याराम की मृत्यु कारित करने के आशय से उसके सिर पर धारदार हथियार से वार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी हत्या कारित हुई''?***

110. दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि अभियुक्तगण द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई। अभियुक्तगण परिवादी पक्ष से मारपीट करने कहीं चलकर नहीं गए। बल्कि, आहतगण नत्थू, पून्याराम, जगनी व गौरंती हाथों में टांचिया, लाठी व डंडे लेकर उनके घर झगड़ा करने आए थे और आते ही उन्होंने अभियुक्तगण के दरवाजे पर मारी। जैसे ही वे जागकर बाहर आए तो नत्थूराम ने टांचिया की पन्नालाल के मारी थी, जिससे उसके बाएं हाथ की दो अंगुलियां टूट गई। घटना अभियुक्तगण के घर पर घटित हुई थी। जिसकी शुरुआत परिवादी पक्ष द्वारा की गई थी। इस घटना का मुकदमा पन्नालाल ने दर्ज कराया था, जिसकी प्रथम सूचना संख्या प्रदर्श डी 1 है। जिसमें बाद अनुसंधान पुलिस ने नत्थू, जगनी, गौरंती के खिलाफ अपराध धारा 323, 341, 325 /34 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष हत्या का मोटिव एवं आशय साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन की साक्ष्य से यह तथ्य स्थापित नहीं है कि वारदात में कोई धारदार हथियार प्रयुक्त किया गया हो। चिकित्सा अधिकारीगण की साक्ष्य से यह तथ्य भी स्थापित नहीं है कि पून्याराम के शरीर पर आई चोटें मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हों। गवाहान बढ़ा–चढ़ाकर कथन करते हैं। मृतक पून्याराम की

मृत्यु ऑपरेशन असफल होने की वजह से हुई थी। जिससे अभियुक्तगण को घटना में दोषी नहीं माना जा सकता।

111. उनके उक्त तर्कों के संदर्भ में पत्रावली पर आई साक्ष्य को समग्र रूप से देखें तो प्रथम विचारणीय बिंदु में अभियोजन की ओर से पेश गवाहान की साक्ष्य से यह तथ्य पूर्ण रूप से प्रमाणित होता है कि दिनांक 02.9.2022 को दोपहर करीब 2.30–3.00 बजे अभियुक्तगण पन्नालाल व भगवानसहाय उर्फ कल्लू ने आहतगण गौरंती, नत्थूराम, जगनी देवी एवं पून्याराम को रोककर उनका स्वेच्छया सदोष अवरोध कारित करने एवं उनके साथ लाठी से मारपीट कर आहतगण गौरंती, नत्थूराम, जगनी देवी के साधारण उपहतियां कारित करने एवं आहत पून्याराम के सिर पर आई चोटों के लिए उसे खेरली अस्पताल से अलवर रैफर किया गया एवं अलवर से जयपुर रैफर किया गया।

112. अभियोजन कहानी के अनुसार इस घटना में आई चोटों की वजह से दिनांक 20.09.2022 को आहत पून्याराम की उसके घर पर मृत्यु हो गई थी। गवाह पी.डब्ल्यू 1 सोनू कुमार, पी.डब्ल्यू 2 नत्थू, पी.डब्ल्यू 3 गौरंती ने अपने सशपथ बयानों में बताया है कि दिनांक 02.09.2022 को दोपहर ढाई–तीन बजे अभियुक्तगण पन्नालाल व भगवानसहाय ने अन्य आहतगण के साथ –साथ पून्याराम के साथ मारपीट की थी जिससे पून्याराम के सिर व छाती पर चोट आई थी। जिसे ईलाज के लिए खेड़ली से अलवर रैफर कर दिया था। अलवर से जयपुर रैफर कर दिया। दिनांक 14.09.22 को जयपुर से डिस्चार्ज किया गया तथा दिनांक 20.09.22 को घर पर पून्याराम की मृत्यु हो गई। गवाह पी. डब्ल्यू 4 जगनी ने भी अपने बयानों में बताया है कि उसके पति को ईलाज के लिए खेड़ली से अलवर व अलवर से जयपुर भेज दिया था। बोलने की स्थिति में नहीं था। उसका पति 16 दिन एसएमएम अस्पताल जयपुर में भर्ती रहा। इसके बाद डॉक्टर ने घर भेज दिया और चार दिन बाद पून्याराम की मृत्यु हो गई। इस प्रकार उक्त गवाहान मारपीट की घटना में आई चोटों की वजह से दिनांक 20.09.2022 को पून्याराम की मृत्यु हो जाना बताते हैं। हालांकि, गवाह पी.डब्ल्यू 4 जगनी इस बाबत अलग कथन करती है कि आहत 16 दिन अस्पताल में भर्ती रहा था, जबकि अन्य गवाह दिनांक 03.09.2022 से 14.09. 2022 तक भर्ती रहना बताते हैं, परंतु इससे गवाहान की साक्ष्य अविश्वसनीय

नहीं होती है, ना ही इस साक्ष्य से कोई अलग से निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

113. गवाह पी.डब्ल्यू 13 डॉ. अंकित जेटली ने अपने सशपथ बयानों में बताया है कि वह दिनांक 02.09.2022 को समय शाम 6 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरली चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात था। तभी पुलिस प्रतिवेदन खेड़ली पर उसने पुन्याराम पुत्र मूल्याराम उम्र 70 वर्ष निवासी सालवाड़ी के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल किया। चोट नं. 1 कटा भरा घाव 3 गुणा 2 सेमी का उपरी मसल तक सिर के फ्रंटल पैराइटल हिस्से पर था। जिसका ओपिनियन रिजर्व कर एक्स– रे एडवाईज किया गया। चोट नं. 2 दर्द व टेंडरनेस छाती पर थी जिसका ओपिनियन रिजर्व कर एक्स–रे एडवाईज किया गया। चोट सं. 3 शरीर में दर्द कोई बाहरी चोट नहीं। इन चोटों की अवधि 6 घंटों के भीतर की है।

114. इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से दिनांक 02.09.2022 की दोपहर में हुई मारपीट की घटना में पून्याराम के सिर पर व छाती पर चोटें आने का तथ्य प्रमाणित होता है। हालांकि उक्त गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि मजरूब की चोट आंख के उपर सामने व पैराईटल हिस्से पर थी, ये चोट ठोकर खाकर गिरने पड़ने व ठोस धरातल पर गिरने पड़ने से आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। परंतु, किसी भी चश्मदीद गवाह से यह तथ्य स्थापित नहीं कराया गया है कि मुलजिम मौके पर ठोकर खाकर गिरा हो, ना ही गवाह डी. डब्ल्यू 1 भगवानसहाय ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि वक्त घटना आहत पून्याराम ठोकर खाकर जमीन पर गिरा हो। ऐसे में चिकित्सा अधिकारी की जिरह में की गई स्वीकरोक्ति से यह नही माना जा सकता कि पून्याराम मौके पर नीचे गिर गया हो, जिससे उसके चोटें आई हो।

115. पून्याराम की मृत्यु के पश्चात् पोस्टमार्टम करने वाले गवाहान पी.डब्ल्यू 12 डॉ. हीरेंद्र कुमार, पी.डब्ल्यू 17 डॉ. विकास अग्रवाल व पी.डब्ल्यू 18 डॉ. लखनलाल की साक्ष्य को देखें तो तीनों गवाहान ने लगभग समान रूप से साक्ष्य देते हुए बताया है कि उन्होंने दिनांक 20.09.2022 को थानाधिकारी खेरली की तहरीर पर गठित मेडिकल बोर्ड का सदस्य होते हुए पुन्याराम पुत्र मूलाराम उम्र 70 साल निवासी कंचनबास (मृतक) का पोस्टमॉर्टम किया था। उक्त

गवाहान के अनुसार पोस्टमार्टम के समय उसका शरीर कमजोर व लीन था व गर्दन पर कोई फंदे का निशान नहीं था। दोनों आँखों की पुतलियां फैली हुई थी एवं फिक्स थी। पूरे शरीर पर पोस्टमॉर्टम अकडन आयी हुई थी। फेंफड़ों की झिल्लियां कंजस्टर्ड थी सांस नली एवं ट्रैकिया कंजस्टैड थी एवं ट्रैकिया में होल उपस्थित था। दोनों फेंफडे हैल्दी एवं कंजस्टेड थे। ह्रदय एवं ह्रदय की दीवारें हैल्दी एवं कंजस्टेड थी। पेट की दीवारें एवं पेट की झिल्लियां हैल्दी एवं कंजस्टेड थीं, मुंह एवं खाने की नली हैल्दी एवं कंजस्टेड थी। पेट, छोटी आंत बड़ी आंत खाली थी। लीवर, तिल्ली, किडनी एवं पेशाब की थैली हैल्दी एवं कंजस्टेड थी।

116. मृतक पून्याराम के सिर के बांये तरफ ऑपरेशन के बाद के टांके लगे हुए थे। जो कि सिर के फ्रंटल रीजन से लेकर ऑक्सीपिटल भाग तक थें जो कि सीधे कान के उपर से सीधे टेंपोरल भाग गुजरे हुए थे। टांकों की लम्बाई लगभग 30 सेमी थी। ऑपरेशन के बाद के टांके दायें पैराईटल भाग में स्थित थे। जो कि लगभग 12 सेमी लंबाई के थे। ऑपरेशन के बाद के टांकों के निशान राईट टेंपोरल भाग में स्थित थे जो कि लगभग 10 सेमी लंबे थे। सिर को खोलने पर काले रंग का थक्का सिर के फ्रंटो पैराईटल भाग में स्थित था। ब्लड का ब्रेन के राईट पैराईटल लोब में गहरा कलैक्शन था, जो कि सबड्यूरल हिमोटोमा था। ब्रेन का टिश्यू सूजा हुआ था। स्कल के दांयी तरफ क्रिनियोटोमी की गई थी जिसमें ब्लड भरा हुआ था। बहुत सारे हवा के फोकाई ब्रेन टिश्यू में थे। सिर के राईट पैराईटल बोन में फ्रेक्चर था। जिसमें एस डी एच था। ट्रिटमेंट नोटस एस एम एस अस्पताल जयपुर के हिसाब से राईट फ्रंटल पेराईटल हिमोटोमा के लिए ऑपरेशन किया गया था। जिसमें डिप्रेसिव क्रेनोटोमी के साथ सक्सन एवं इवेक्यूलेशन ऑफ एस डी एच एवं ई डी एच किया गया। इसके साथ ड्यूरा प्लास्टी पैरीकेनियल क्रंच किया गया। सांस नली में टैकियॉस्टोमी में होल उपस्थित था। खाने की नली लगी हुई थी। फोलिज कैथेटर लगा हुआ था। ब्रेन टिश्यू जो राईट फ्रंटोपैराईटल रीजन के नीचे था। उसमें सूजन थी एवं फील्ड जो कि काले रंग के खून से भरा था। खून में बहुत सारे एयर बबल थे।

117. बोर्ड की राय के अनुसार बाद पूरी बॉडी के परीक्षण एवं ट्रीटमेंट नोटस व पूरे मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार पून्याराम की मृत्यु का कारण पोस्ट

ऑपरेटिव हैड इंजरी कॉम्पलिकेशन के कारण मौत हुई थी।

118. पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 में मेडिकल बोर्ड ने अंकित किया है कि *"After careful examination of whole body treatment board members of all doctors are agreed that cause of death of diseased person is due to complications due to head injury following injuries that are founded over head of diseased person Death occurred within 24 hours"*

119. गवाह पी.डब्ल्यू 12 डॉ. हीरेन्द्र कुमार जिरह में स्वीकार किया है कि सर्जरी के दौरान एवं बाद में जो कॉम्पलिकेशनस आए उनसे मृतक की मृत्यु होना संभावित है, लेकिन मृतक की मृत्यु हेड इंजरी के बाद जो कॉम्पिलकेशन हुए, उससे हुई थी। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू 17 डॉ. विकास अग्रवाल ने जिरह में स्वीकारा है कि यह कहना सही है कि मृतक पून्याराम की मृत्यु ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद उसके मस्तिष्क में हुए कॉम्पलीकेशन के कारण हुई थी। प्रदर्श पी. 14 में डॉ. अंकित जेटली द्वारा जो मृतक पून्याराम के चोट प्रतिवेदन पर चोट संख्या 1 सिर के बाईं तरफ बताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार खून का थक्का सिर में दायीं तरफ उपस्थित था। मृतक पून्याराम के सिर में सर्जरी सिर के दोनों तरफ की गई थी। आज मैं बता सकता हूं कि मृतक पून्याराम की मृत्यु का कारण ऑपरेशन के समय या ऑपरेशन के बाद के कॉम्पलीकेशन की वजह से हुई थी।

120. गवाह पी. डब्ल्यू 18 डॉ. लखनलाल ने जिरह में स्वीकार किया है कि यह कहना गलत है कि क्रिनिओटोमी किसी आदमी के शरीर पर पुरानी चोट हो उसके लिए की जाती हो, बल्कि सिर में खून के थक्के को निकालने के लिए की जाती है। यह कहना सही है कि मृतक पून्याराम की मृत्यु ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद उसके मस्तिष्क में हुए कॉम्पलीकेशन के कारण हुई थी। प्रदर्श पी 14 में डॉ. अंकित जेटली द्वारा मृतक पून्याराम की चोट प्रतिवेदन पर चोट संख्या 1 सिर में बायीं तरफ बताई गई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार खून का थक्का सिर के दायीं तरफ उपस्थित था। मृतक पून्याराम के सिर में सर्जरी दोनों तरफ की गई थी। पोस्टमार्टम के समय मृतक पून्याराम के मेजर चोट सिर में थी। मृतक के सिर में दायीं तरफ टांके लगे हुए थे।

121. इस प्रकार उक्त गवाहान की साक्ष्य से चोट लगने के बाद आहत पून्याराम का ऑपरेशन होने और ऑपरेशन के कॉम्पलिकेशन होने की वजह से

उसकी मृत्यु हो जाने की पुष्टि होती है। अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक पून्याराम के एसएमएस मेडिकल अस्पताल जयपुर की एडमिशन–डिस्चार्ज की प्रति प्रदर्श पी 34 साक्ष्य में प्रदर्शित कराई गई है, जिसमें मृतक पून्याराम दिनांक 03.09.2022 को एसएमएस मेडिकल अस्पताल जयपुर में एमरजेंसी वार्ड से भर्ती हुआ है। दिनांक 05.09.2022 को उसका ऑपरेशन किया गया था तथा उसे दिनांक 14.09.2022 को वहां से डिस्चार्ज किया गया है। इस एडमिशन–डिस्चार्ज दस्तावेज प्रदर्श पी 34 के अनुसार पून्याराम राईड फ्रंटल बोन पर फ्रैक्चर चोट की वजह से भर्ती हुआ था, जो हमले की वजह से आई थी। जहां दिनांक 05.09.2022 को मृतक की सर्जरी की गई है। दिनांक 14.09.2022 को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था।

122. पंचनामा के गवाह पी.डब्ल्यू 5 यादराम, पी.डब्ल्यू 6 नेतराम, पीडब्ल्यू 7 छोटेलाल व पीडब्ल्यू 8 मुरारी ने लगभग समान रूप से साक्ष्य देते हुए मृतक पून्याराम के पंचायतनामा प्रदर्श पी 5 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। पंचायतनामा प्रदर्श पी 5 में भी पंचों ने मृतक की मृत्यु का कारण लड़ाई झगड़े में सिर में आई चोट के कारण होना बताया है।

123. उक्त सभी गवाहान चश्मदीद गवाहान एवं चिकित्सा अधिकारीगण की साक्ष्य को समग्र रूप से देखने पर यह स्पष्ट है कि मृतक पून्याराम के दिनांक 02.09.2022 को लड़ाई झगड़े के दौरान सिर में चोट आई थी। जिसे ईलाज के लिए खेरली से अलवर एवं अलवर से जयपुर रैफर किया गया था। दिनांक 03.09.2022 को जयपुर एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुआ था, दिनांक 05.09.2022 को उसका सिर की चोट बाबत ऑपरेशन कराया गया। दिनांक 14.09.2022 को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया व दिनांक 20.09.2022 को उसकी अपने घर पर मृत्यु कारित हो गई। ऐसे में यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है कि मृतक पून्याराम की मृत्यु मारपीट के कारण सिर में आई चोट की वजह से हुई थी।

124. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मृतक पून्याराम की मृत्यु स्वाभाविक न होकर उसकी मृत्यु सिर में आई चोट की वजह से अस्वाभाविक परिस्थितियों में हुई थी जो सदोष मानव वध की श्रेणी में आती है। आहत पून्याराम की उक्त मृत्यु हत्या की श्रेणी में आती है या नहीं इसके लिए अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित बिंदुओं को संदेह से परे प्रमाणित करना है :–

i. क्या आहत पून्याराम की मृत्यु उक्त मारपीट की घटना में आई चोटों की वजह से हुई थी?

ii. क्या उक्त चोटें ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से की गई थी जिसमें अभियुक्तगण जानते थे कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है या उक्त चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पून्याराम की मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी या हमला इतना आसन्नसंकट था कि पूरी अधिसंभावना है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है ?

iii. क्या अभियुक्तगण भगवानसहाय उर्फ कल्लू व पन्नालाल द्वारा कारित की गई उक्त चोटें मृतक पून्याराम की मृत्यु कारित करने के आशय से कारित की गई थीं?

125. घटना के परिवादी पी.डब्ल्यू 1 सोनू कुमार एवं आहतगण पी.डब्ल्यू 2 नत्थूराम, पी.डब्ल्यू 3 श्रीमती गौरंती, पी.डब्ल्यू 4 श्रीमती जगनीदेवी व चश्मदीद गवाह पी.डब्ल्यू 11 हरिओम तथा चिकित्सा अधिकारी पी.डब्ल्यू 13 डॉ. अंकित जेटली की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक पून्याराम के दिनांक 02.09.2022 को हुए झगड़े में सिर में व छाती पर लाठी की चोटें आई थीं। जिसे ईलाज के लिए खेरली अस्पताल ले जाया गया था जहां से उसे अलवर अस्पताल के लिए रैफर किया गया था जहां से उसे पुनः जयपुर एसएमएस अस्पताल रैफर किया गया। दिनांक 03.09.2022 को उसे जयपुर अस्पताल में भर्ती किया गया और दिनांक 05.09.2022 को सिर की चोट बाबत् उसका ऑपरेशन किया गया। दिनांक 14.09.2022 को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया व दिनांक 20.09.2022 को उसकी अपने घर पर मृत्यु कारित हो गई।

126. पून्याराम की मृत्यु के पश्चात् पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड में शामिल गवाहान पी.डब्ल्यू 12 डॉ. हीरेंद्र कुमार, पी.डब्ल्यू 17 डॉ. विकास अग्रवाल व पी.डब्ल्यू 18 डॉ. लखनलाल ने न्यायालय में बोर्ड की राय अनुसार मृतक पून्याराम की मृत्यु का कारण पोस्ट ऑपरेटिव हैड इंजरी कॉम्पलीकेशन के कारण मौत होना बताया है।

127. पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 में मेडिकल बोर्ड ने अंकित किया है कि *"After careful examination of whole body treatment board members of*

all doctors are agreed that cause of death of diseased person is due to complications due to head injury following injuries that are founded over head of diseased person Death occurred within 24 hours"

128. चिकित्सकीय बोर्ड में शामिल किसी भी गवाह ने यह साक्ष्य नहीं दी है कि पून्याराम के शरीर पर आई चोटें मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। गवाह पी.डब्ल्यू 12 डॉ. हीरेन्द्र कुमार जिरह में स्वीकार किया है कि सर्जरी के दौरान एवं बाद में जो कॉम्पलिकेशनस आए उनसे मृतक की मृत्यु होना संभावित है, लेकिन मृतक की मृत्यु हेड इंजरी के बाद जो कॉम्पिलकेशन हुए, उससे हुई थी। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू 17 डॉ. विकास अग्रवाल ने जिरह में स्वीकारा है कि यह कहना सही है कि मृतक पून्याराम की मृत्यु ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद उसके मस्तिष्क में हुए कॉम्पलीकेशन के कारण हुई थी। प्रदर्श पी. 14 में डॉ. अंकित जेटली द्वारा जो मृतक पून्याराम के चोट प्रतिवेदन पर चोट संख्या 1 सिर के बाईं तरफ बताई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार खून का थक्का सिर में दायीं तरफ उपस्थित था। मृतक पून्याराम के सिर में सर्जरी सिर के दोनों तरफ की गई थी। आज मैं बता सकता हूं कि मृतक पून्याराम की मृत्यु का कारण ऑपरेशन के समय या ऑपरेशन के बाद के कॉम्पलीकेशन की वजह से हुई थी।

129. गवाह पी. डब्ल्यू 18 डॉ. लखनलाल ने जिरह में स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि मृतक पून्याराम की मृत्यु ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद उसके मस्तिष्क में हुए कॉम्पलीकेशन के कारण हुई थी। प्रदर्श पी 14 में डॉ. अंकित जेटली द्वारा मृतक पून्याराम की चोट प्रतिवेदन पर चोट संख्या 1 सिर में बायीं तरफ बताई गई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार खून का थक्का सिर के दायीं तरफ उपस्थित था। मृतक पून्याराम के सिर में सर्जरी दोनों तरफ की गई थी। पोस्टमार्टम के समय मृतक पून्याराम के मेजर चोट सिर में थी। मृतक के सिर में दायीं तरफ टांके लगे हुए थे।

130. इस प्रकार उक्त गवाहान यह स्वीकार करते हैं कि मृतक पून्याराम की मृत्यु पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्पलीकेशन की वजह से कारित हुई थी। परंतु गवाह यह साक्ष्य भी नहीं देते कि मृतक के शरीर पर आई चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त हो।

131. चिकित्सा अधिकारीगण की साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि मृतक पून्याराम के सिर में एक चोट बायीं तरफ आई थी, लेकिन पोस्टमार्टम के समय सिर के दायें व बायें दोनों तरफ टांके लगे हुए थे। खून का थक्का दायीं तरफ था, जबकि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श 14 जो घटना के तुरंत बाद डॉ. अंकित जेटली द्वारा बनाया गया था उसमें पून्याराम के सिर में बाईं तरफ चोट थी। इससे स्पष्ट है कि ऑपरेशन के दौरान उत्पन्न कॉम्पलिकेशन की वजह से मृतक पून्याराम की मृत्यु हुई थी।

132. उक्त सभी गवाहान की साक्ष्य को समग्र रूप से देखने पर यह स्पष्ट है कि मृतक पून्याराम के दिनांक 02.09.2022 को लड़ाई झगड़े के दौरान सिर में चोट आई थी। जिस बाबत दिनांक 05.09.2022 को उसका ऑपरेशन कराया गया। दिनांक 14.09.2022 को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया व दिनांक 20.09.2022 को उसकी अपने घर पर मृत्यु कारित हो गई। ऐसे में स्पष्ट है कि मृतक पून्याराम की मृत्यु मारपीट के कारण सिर में आई चोट की वजह से हुई थी, परंतु चिकित्सा अधिकारीगण की साक्ष्य से यह तथ्य पुष्ट नहीं हुआ है कि उक्त चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हों, बल्कि चिकित्सा अधिकारीगण के अनुसार मृतक की मृत्यु पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्पलिकेशन के कारण हुई थी। हालांकि, ऑपरेशन का चोट है ऐसे में चोट व ऑपरेशन कॉम्पलिकेशनस को अलग अलग नहीं किया जा सकता बल्कि वे दोनों एक ही संव्यवहार के भाग है। ऐसे में चोट के कारण ही मृत्यु होना सामने आता है।

133. शेष बिंदुओं बाबत पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन करें तो परिवादी द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण भगवानसहाय व पन्नालाल द्वारा उसके पिता के साथ जान से मारने की नीयत से लाठी व फर्सी से मारपीट करना बताया है, परंतु परिवादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में भगवानसहाय द्वारा उसके पिता के साथ लाठी से मारपीट करना बताया है। इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू 2 नत्थूराम, पी.डब्ल्यू 3 श्रीमती गौरंती, पी.डब्ल्यू 4 श्रीमती जगनी देवी व पी.डब्ल्यू 11 हरिओम सभी अभियुक्तगण द्वारा लाठी से मारपीट करना बताते हैं, किसी भी गवाह ने फर्सी से मारपीट करना नहीं बताया है। गवाह सोनू पी.डब्ल्यू 1 जिरह में स्वीकार करता है कि लाठी से चोट आई थी धारदार हथियार से चोट नहीं आई। मैंने मृतक पून्याराम के शरीर पर चोटें

देखीं थीं, एक चोट सिर में थी, एक छाती में थी, जो धारदार हथियार की नहीं थी, बल्कि लाठी की थी। गवाह पी.डब्ल्यू 2 नत्थूराम ने जिरह में स्वीकार किया है कि ''मैंने पुलिस को मेरे पिताजी के सिर पर लाठी की चोट मारना बताया था फर्सी की चोट मारना नहीं बताया था। पुलिस बयान प्रदर्श डी 1 का ए से बी भाग ''मेरे पिताजी व मां के साथ मारपीट की'' में फरसी शब्द को पुलिस को नहीं बताया। प्रदर्श डी 1 के सी से डी भाग ''मेरे पिता.....चोट मारी'' में धारदार हथियार शब्द मैंने पुलिस को नहीं बताया। गवाह गौरंती पी.डब्ल्यू 3 ने जिरह में स्वीकार किया है कि ''मैंने मेरे देवी सोनू को मेरे ससुर पून्याराम के भगवानसहाय द्वारा धारदार हथियार से जान से माने की नीयत से चोट मारना नहीं बताया बल्कि लाठी से बताया था। लाठी से मारने की बात सही है। लाठी से मारने की बात सही है, फरसी से मारने वाली बात गलत है। मेरे देवर द्वारा एफआईआर फरसी व धारदार हथियार से मेरे ससुर भगवानसहाय के मारना झूठा बताया गया है। गवाह पी.डब्ल्यू 4 श्रीमती जगनी ने जिरह में स्वीकारा है कि सोनू ने प्रथम सूचना रिपार्ट में भगवानसहाय ने फरसी से मारना गलत लिखाया है, लाठी से मारा था। पुलिस बयान प्रदर्श डी 4 में ए से बी भाग में फरसी शब्द गलत लिखा है व सी से डी भाग में धारदार हथियार से चोट मारना गलत लिखा है।

134. इस प्रकार परिवादी व आहतगण की साक्ष्य से स्पष्ट है कि मुलजिमान ने घटना में धारदार या घातक हथियार प्रयुक्त नहीं किया था, बल्कि लाठी से मारपीट की गई थी। चिकित्सा अधिकारी पी.डब्ल्यू 13 डॉ. अंकित जेटली की साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतक पून्याराम के शरीर में कुल 3 चोटें पहली चोट सिर में फ्रंटल पैराइटल हिस्से पर व दूसरी दर्द व टेंडरनेस छाती पर थी। तीसरी शरीर में दर्द की शिकायत कोई बाहरी चोट नहीं। किसी भी चिकित्सा अधिकारी ने आहत पून्याराम के शरीर पर आई किसी भी चोट को प्राणघातक या गंभीर प्रकृति की नहीं बताया है। मृतक पून्याराम के चोट किस हथियार से आई इस बाबत चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंकित जेटली पी.डब्ल्यू 13 ने साक्ष्य नहीं दी है। मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सा अधिकारीगण केवल चोट नंबर 1 जो मृतक के फ्रंटल पैराईटल भाग में कारित हुई थी उसकी सर्जरी होने और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्पलीकेशन से मृत्यु होना बताते हैं। चिकित्सा अधिकारीगण मृतक पून्याराम ने शरीर के मर्म अंगों पर बार–बार चोटें कारित करने की साक्ष्य भी

नहीं देते हैं। मृतक का पोस्टमार्टम करने वाले गवाहान पी.डब्ल्यू 12 डॉ. हीरेंद्र कुमार व पी.डब्ल्यू 17 डॉ. विकास अग्रवाल व पी.डब्ल्यू 18 डॉ. लखनलाल ने जिरह में स्वीकार किया है कि सर्जरी के दौरान एवं बाद में जो कॉम्पलीकेशनस आए थे, उनसे मृतक की मृत्यु होना संभावित है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 में मेडिकल बोर्ड ने लिखा है कि *"After careful examination of whole body treatment board members of all doctors are agreed that cause of death of diseased person is due to complications due to head injury following injuries that are founded over head of diseased person Death occurred within 24 hours"*

135. इस प्रकार चिकित्सा अधिकारीगण की राय से यह तथ्य पुष्ट नहीं है कि मृतक पून्याराम के शरीर पर आई चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो।

136. जहां तक अभियुक्तगण का मृत्यु कारित करने का आशय होने का बिंदु है तो इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण का क्या आशय था, इस संबंध में कोई राय सीधे तौर पर कायम नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का आशय कोई अन्य व्यक्ति नहीं जान सकता। ऐसे अभियुक्त के आशय के बारे में राय उसके मनोभाव–मनोदशा की जानकारी, उसके क्रिया–कलाप, अपराध की प्रकृति, अपराध में प्रयुक्त किए गए हथियार व शरीर के जिस स्थान पर प्रहार किया गया उसके दृष्टिगत रखते हुए किया जा सकता है।

137. इस संबंध में सर्वप्रथम घटनास्थल का अवलोकन करें तो प्रदर्श पी 3 घटनास्थल का नक्शा मौका है, जिसमें घटनास्थल अभियुक्त पन्नालाल मीना के घर के सामने बताया गया है। जिसके आसपास परिवादी पक्ष का मकान नहीं दर्शाया गया है।

138. अभियोजन कहानी के अनुसार जब गौरंती खेत से घर आ रही थी तब अभियुक्तगण ने उसे अपने घर के सामने रास्ते पर रोक लिया था एवं उसके साथ मारपीट की और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मृतक पून्याराम व अन्य आहतगण जगनी व नत्थूराम मौके पर पहुंचे थे। जहां उनके साथ मारपीट हुई थी। ऐसे में अभियोजन कहानी के अनुसार घटना की शुरुआत गौरंती के साथ हुई थी एवं घटना स्थल अभियुक्तगण के घर के सामने आम रास्ता था

तथा मृतक पून्याराम, आहता गौरंती के साथ मारपीट की आवाज सुनकर मौके पर अन्य आहतगण के साथ गया था। ऐसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 से सीधे तौर पर अभियुक्तगण का आशय पून्याराम को मारने का दर्शित नहीं होता है।

139. अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 27 महावीर प्रसाद ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि घटनास्थल के पास मुस्तगीस पून्याराम का मकान नहीं है इसलिए उन्होंने घटनास्थल के नक्शा मौका में नहीं दर्शाया है। यह कहना भी सही है कि मुस्तगीस पून्याराम, नत्थू, गौरंती व जगनी अपने घर से चलकर मुलजिम के घर पर आए और यहां आकर उन्होंने झगड़ा किया। गवाह यह भी स्वीकार करता है कि झगड़ा छोटे बच्चों की बातों को लेकर हुआ था तथा मुलजिम पक्ष ने परिवादी पक्ष के घर के सामने आकर मारपीट नहीं की। गवाह पीडब्ल्यू 27 महावीर प्रसाद की जिरह से भी स्पष्ट होता है कि गवाह कांता के बयानों में यह बात आई थी कि स्कूल के बच्चे बस से उतर कर अपने घर जा रहे थे, कल्लू के बच्चे ने कोई रबड़ का टूक गौरंती पर फेंक दिया था, जिसको लेकर गौरंती बच्चे के पीछे–पीछे उनके घर आई तो बच्चे की बात को लेकर कल्लू व गौरंती में आपस में कहासुनी हो गई। यह सही है कि गवाह सुबे सिंह, हरप्रसाद व रामदयाल ने भी अपने बयानों में यह बात बताई थी कि बच्चों को लेकर आपसी कहासुनी हो गई। गवाह कांता पी. डब्ल्यू 10 ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि दिनांक 02.09.2022 को 2–3 बजे की बात है वह घर पर थी। बच्चों की बस आई तो उसमें से किसी बच्चे ने रबड़ कर टूक फेंककर मारा जो गौरंती के लगा। फिर गौरंती भगवानसहाय के घर गई और दोनों में झगड़ा हो गया। फिर गौरंती वापस अपने घर आई और वहां से अपने पति, सास–ससुर को बुलाकर ले गई। इसी प्रकार गवाह पी. डब्ल्यू 9 हितेश ने मुख्य परीक्षा में बताया है कि उस दिन उसने लड़ाई की सुनी थी। बच्चों में रबड़ की गेंद फेंकने का लड़ाई झगड़ा हो गया। हालांकि, ये दोनों गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। परंतु, ये गवाह सुसंगत समय पर रबड़ा का टूक फेंकने की बात को लेकर झगड़ा होना बताते हैं। गवाह पी.डब्ल्यू 24 अनुसंधान अधिकारी राजवीर ने जिरह में स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि झगड़ा पन्नालाल के मकान के सामने रास्ते में हुआ था।

140. इस प्रकार अनुसंधान अधिकारीगण की जिरह एवं उपरोक्त गवाहान की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि झगड़ा मुलजिमान के घर के सामने हुआ था। परिवादी पक्ष चलकर मुलजिमान के घर के सामने गया था और वहां झगड़ा हुआ था। जिसमें आहतगण व मृतक पून्याराम के चोटें आई थी। झगड़े का कोई उद्देश्य नहीं था बल्कि झगड़ा बच्चों की बात को लेकर हुआ था।

141. साक्ष्य सफाई में पेश किए गए दस्तावेज प्रदर्श डी 1 तहरीरी रिपोर्ट पन्नालाल, प्रदर्श डी 2 एफआईआर संख्या 391 / 22, प्रदर्श डी 3 आरोप पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस घटना का क्रॉस केस दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने बाद अनुसंधान इस घटना के परिवादी सोनू के भाई नत्थू, भाभी गौरंती व मां जगनी के विरुद्ध अपराध धारा 323, 325 / 34 व धारा 341 भा.द. सं. में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिसमें आहत पन्नालाल जो इस प्रकरण का मुलजिम है, उसकी बाएं हाथ की दो अंगुलियों में अस्थिभंग होना बताया गया है। जिससे इसी झगड़े में अभियुक्त पन्नालाल के अस्थिभंग की चोट आना दर्शित होता है।

142. इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 24 राजवीर, पी.डब्ल्यू 27 महावीर प्रसाद से की गई जिरह, गवाह पी.डब्ल्यू 10 कांता व पी.डब्ल्यू 9 हितेश की साक्ष्य से स्पष्ट है कि परिवादी पक्ष मुलजिमान के घर झगड़ा करने गए थे। मुलजिमान पक्ष अभियुक्तगण के घर पर झगड़ा करने नहीं आए थे। डी.डब्ल्यू 1 भगवानसहाय द्वारा प्रदर्शित कराए गए दस्तावेज से स्पष्ट है कि आहतगण नत्थूराम, गौरंती व जगनी ने मुलजिम पन्नालाल से मारपीट की थी जिससे अभियुक्त पन्नालाल के अंगुली में अस्थि भंग की चोट आई थी। आहतगण नत्थूराम, गौरंती व जगनी के साथ पून्याराम भी झगड़ा करने गया था। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा पून्याराम की हत्या कारित करने के आशय से घटना कारित करना संदिग्ध हो जाता है।

143. घटना के परिवादी एवं चश्मदीद गवाहान की साक्ष्य से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने घटना में लाठी प्रयुक्त की थी। इस घटना में प्रयुक्त किया गये हथियार के रूप में पुलिस ने दो लाठियां जब्त की हैं। मृतक के शरीर पर दो घाव थे। जिसमें से एक चोट सिर में और दूसरी चोट छाती में थी। तीसरी चोट दर्द की शिकायत बताई गई है। सिर में आई चोट का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद आहत को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था,

डिस्चार्ज करने के 6 दिन बाद घटना के 18 दिन बाद दिनांक 20.09.2022 को आहत की मृत्यु हुई है।

144. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मृतक पून्याराम के शरीर पर आई चोट इतनी घातक चोट नहीं थी कि उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती, न ही कोई घातक हथियार प्रयुक्त किया गया एवं न ही शरीर के मर्म अंगों पर बार बार चोटें कारित की गईं। अभियुक्तगण द्वारा कोई भी बर्बर्तापूर्ण तरीके से वारदात नहीं की गई, ना ही अभियुक्तगण ने घटना का अनुचित लाभ उठाया था।

145. जहां तक हत्या के मोटिव का बिंदु है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में यह अंकित नहीं किया गया है कि यह झगड़ा किस वजह से कारित किया गया था। न्यायालय में परीक्षित होने पर परिवादी पी.डब्ल्यू 1 सोनू कुमार, पी. डब्ल्यू 2 नत्थूराम, पी.डब्ल्यू 3 गौरंती व पी.डब्ल्यू 4 जगनी अपनी मुख्य परीक्षा में यह नहीं बताते हैं कि झगड़े का क्या मोटिव था। जिरह में पूछे जाने पर गवाह पी.डब्ल्यू 2 नत्थूराम व पी.डब्ल्यू 3 गौरंती ने स्वीकारा है कि उनके पैसे का लेन–देन का विवाद था, परंतु प्रथम अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 21 झम्मन लाल ने जिरह में स्वीकारा है कि सोनू कुमार ने बयानों में झगड़ा होने बाबत कोई पुराना पैसे का लेनदेन या पुरानी रंजिश होना नहीं बताया। ऐसे में अभियोजन की ओर से हत्या का मोटिव स्पष्ट नहीं किया गया है। अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यू 27 महावीर प्रसाद ने जिरह में स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि उसके द्वारा बयान 161 सीआरपीसी श्रीमती कांता ने अपने बयानों में यह बात बताई है कि स्कूल के बच्चे बस में से उतरकर अपने घर जा रहे थे। कल्लू के बच्चों ने कोई रबड़ा का टूक उठाकर गौरंती की तरफ फेंक दिया। इसको लेकर गौरंती बच्चों के पीछे पीछे उनके घर गई तो बच्चों की बात को लेकर कल्लू व गौरंती में आपस में कहासुनी हो गई। यह भी सही है कि गवाह सुबे सिंह, हरिप्रसाद व रामदयाल ने अपने बयानों में यह बात बताई थी कि बच्चों को लेकर आपस में कहासुनी हो गई थी। यह कहना सही है कि छोटेलाल पुत्र रामसहाय के बयानों में बच्चों की बात को लेकर झगड़ा होना बताया गया था। यह कहना सही है कि हरिओम पुत्र जगदीश ने भी अपने बयानों में बताया था कि दोनों पक्षों में बच्चों को लेकर लड़ाई–झगड़ा हुआ था। गवाह आगे यह भी स्वीकार करता है कि यह कहना सही है कि मुस्तगीस

पून्याराम, गौरंती, नत्थू व जगनी अपने घर से चलकर मुलजिम के घर आए और यहां आकर उन्होंने झगड़ा किया। इसके अलावा गवाह कान्ता पी.डब्ल्यू 10 ने मुख्य परीक्षा में बताया है कि 02.09.2022 की बात है करीबन 2–3 बजे की बात है। वह घर पर थी। उस दिन बच्चों की बस आई थी तो उनमें से किसी बच्चे ने रबर का टूक फेंक कर मारा जो गौरंती के लगा। फिर गौरंती देवी भगवान सहाय के घर गई। फिर दोनों में झगड़ा हो गया। फिर गौरंती वापिस अपने घर वापिस अपने घर आई, वहां से अपने पति, सास और ससुर को बुलाकर ले गई।

146. इस प्रकार अभियोजन की ओर से घटना का कोई मोटिव भी प्रमाणित नहीं कराया गया है। बल्कि, उपरोक्त गवाहान की साक्ष्य से स्पष्ट है कि गौरंती, नत्थू, जगनी व पून्याराम झगड़ा करने मुलजिमान के घर पर गए थे। जहां घर के बाहर झगड़ा हुआ था। झगड़े का कोई विशिष्ट कारण नहीं था, बल्कि बच्चों की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। जिसमें अभियुक्तगण द्वारा पून्याराम के साथ मारपीट की गई जिसमें पून्याराम के सिर व छाती पर लाठी की चोट आई। सिर में आई चोट बाबत एसएमएस अस्पताल जयपुर में पून्याराम का चिकित्सक द्वारा ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन में उत्पन्न कॉम्पलीकेशनस की वजह से मृतक की मृत्यु कारित हो गई।

147. उपरोक्त समस्त विवेचनोपरांत न्यायालय के विनम्र मत में अभियुक्तगण का आशय पून्याराम की मृत्यु कारित करने का दर्शित नहीं होता, ना ही अभियुक्तगण द्वारा घातक आयुध प्रयुक्त किया गया है, चिकित्सा अधिकारीगण ने अपनी राय में मृतक के सिर पर आई चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त होना नहीं बताया है, बल्कि ऑपरेशन के बाद उत्पन्न कॉम्पलिकेशन से मृत्यु होना बताया है ऐसे में दर्शित है कि आहत के शरीर पर आई चोट, अचानक झगड़े में आवेश की तीव्रता (heat of passion) में कारित हमले की वजह से आई थी।

148. इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से मृतक पून्याराम की हत्या का मोटिव न्यायालय में प्रमाणित नहीं होता है बल्कि, अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि बच्चों की बात को लेकर आहतगण अभियुक्तगण के घर झगड़ा करने गए थे जहां अचानक से झगड़ा हुआ था जिसमें अभियुक्तगण द्वारा अचानक आवेश में आकर पून्याराम के सिर व छाती पर

लाठी की चोट मारी गई थी और सिर में आई एक चोट की वजह से आहत पून्याराम की सर्जरी की गई और पोस्ट ऑपरेटिव हेड इंजरी कॉम्पलीकेशन की वजह से घटना के 18 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई।

149. भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 300 के अपवाद 4 में उल्लेखित किया गया है कि *''आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह मानव वध अचानक झगड़ाजनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण और अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो। ''*

150. न्यायालय के विनम्र मत में जहां अभियुक्तगण का आशय मृत्यु कारित करने का न हो, अभियोजन की ओर से हत्या का मोटिव प्रमाणित नहीं कराया गया हो वहां भावनात्मक आवेश में आने की वजह से किए गए प्रहार में आहत की मृत्यु हो जाती है तो वह हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। बल्कि, उक्त मृत्यु सदोष मानव वध की श्रेणी में आएगी।

151. साक्ष्य सफाई में प्रस्तुत गवाह डी.डब्ल्यू 1 भगवानसहाय ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण का सुसंगत समय पर उनके घर पर आकर झगड़ा करने और झगड़े में पन्नालाल की दो अंगुलियां तोड़ देने की साक्ष्य दी है, परंतु यह गवाह इस बाबत कोई साक्ष्य नहीं देता कि उनके द्वारा अपनी निजी प्रतिरक्षा में के तहत हमला किया गया हो और उसमें पून्याराम की मृत्यु कारित हुई हो। ना ही इस बाबत उन्होंने बहस में कोई तर्क दिया है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि पून्याराम की मृत्यु निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में हुई हो।

152. उपरोक्त समस्त विवेचनोपरांत अभियोजन की ओर से पेश समस्त साक्ष्य से अभियुक्तगण भगवानसहाय व पन्नालाल द्वारा हत्या कारित करने के आशय से हमला कारित करना या ऐसा हमला करना जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में हत्या कारित के लिए पर्याप्त हो, संदेह से परे प्रमाणित नहीं है, परंतु अभियुक्तगण द्वारा किए गए अचानक हमले से आई चोटों और ऑपरेशन की कॉम्पलीकेशन की वजह से पून्याराम की मृत्यु होना पुष्ट होता है जो हत्या नहीं होकर, सदोष मानव वध की श्रेणी में आता है। परंतु अभियुक्तगण के हमले से आई चोटों की वजह से पून्याराम की मृत्यु होना प्रमाणित है, जो सदोष मानव वध की पुष्टि करता है। अतः उपरोक्त विवेचनोपरांत अभियोजन पक्ष उक्त बिंदु को आंशिक रूप से अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है।

153. उपरोक्त समस्त विवेचनोपरांत अभियोजन पक्ष बिंदु संख्या 1 को पूर्ण रूप से युक्तियुक्त रूप से संदेह से परे व बिंदु संख्या 2 को आंशिक रूप से अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है।

154. अभियुक्तगण पन्नालाल व भगवानसहाय के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 भाग 2 का आरोप विरचित नहीं किया गया है, परंतु अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता 1860 का आरोप विरचित किया गया है। विधि इस संबंध में स्पष्ट है कि जहां किसी आरोप की कई विशिष्टियां हैं उनमें से केवल कुछ के संयोग से पूरा छोटा अपराध बनता है और ऐसा संयोग साबित हो जाता है, किंतु शेष विशिष्टियां साबित नहीं होती तब अभियुक्त को छोटे अपराध में दोषसिद्ध किया जा सकता है, यद्यपि उस पर उसका आरोप नहीं था। इसके लिए अलग से आरोप विरचित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

155. अतः उपरोक्त समस्त विवेचनोपरांत अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण पन्नालाल व भगवानसहाय उर्फ कल्लू के विरुद्ध आरोपित अपराध धारा 341, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता 1860 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है, परंतु अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता 1860 का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है, परंतु अभियोजन पक्ष धारा 302 भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध धारा 304 भारतीय दंड संहिता 1860 के द्वितीय भाग का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण भगवानसहाय उर्फ कल्लू एवं पन्नालाल को आरोपित अपराध धारा 341, 323, 304 भाग द्वितीय सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता 1860 में दोषसिद्ध घोषित किया जाना एवं अपराध धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता 1860 में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

—::आदेश::—

156. अतः अभियुक्तगण भगवान सहाय उर्फ कल्लू उम्र 32 साल (वर्तमान आयु 35 साल) पुत्र पन्ना लाल मीना, निवासी, कंचनवास सालवाड़ी, पुलिस थाना खेड़ली, जिला अलवर राज. (हाल बंदी जिला कारागार अलवर) 2. पन्ना लाल उम्र 65 साल, (वर्तमान आयु 68 साल) पुत्र मूल्याराम, निवासी, कंचनवास

सालवाड़ी, पुलिस थाना खेड़ली, जिला अलवर, राज. को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 304 का भाग द्वितीय सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आरोपित अपराध धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता 1860 में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

(उदय सिंह अलोरिया)
अपर सेशन न्यायाधीश, कठूमर,
जिला अलवर, (राज.)

157. दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है, अभियुक्तगण पूर्व में किसी प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं रहे हैं। अभियुक्त भगवान सहाय गिरफ्तारी की दिनांक 12.11.2019 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। अभियुक्त पन्नालाल वर्तमान में 68 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है। जो अत्यंत वृद्ध एवं बीमार है। वह इस प्रकरण में डेढ़ वर्ष तक न्यायिक अभिरक्षा में भी रहा है। अतः अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए उन्हें कम से कम सजा से दण्डित किया जावे।

158. इसके विपरीत अपर लोक अभियोजक ने विरोध करते हुये तर्क दिया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध परिवादी के वृद्ध पिता के सिर में लाठी मारकर उसकी मृत्यु कारित करने का गंभीर आरोप है। इसलिए अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की नरमी अपनाया जाना उचित नहीं है, बल्कि उसे कठोर से कठोर दंड से दण्डित किया जावे।

159. सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धी की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसे में यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध होना प्रमाणित है। अभियुक्त पन्नालाल इस प्रकरण में दिनांक 06.10.2022 से 26.02.2024 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। अभियुक्त भगवानसहाय उर्फ कल्लू गिरफ्तारी की दिनांक 14.11.2022 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में है। परंतु अभियुक्तगण के विरूद्ध पून्याराम का सदोष मानव वध करने का अपराध प्रमाणित हुआ है। जिससे एक व्यक्ति को

जीवन की क्षति कारित हुई है। ऐसे अपराधों में यदि नरमी का रुख अपनाया जाएगा तो समाज में लोगों के बीच न्याय की अवधारणा के प्रति गलत संदेश जाएगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को समुचित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:<u>दण्डादेश</u>:—

160. फलतः अभियुक्तगण भगवान सहाय उर्फ कल्लू उम्र 32 साल (वर्तमान आयु 35 साल) पुत्र पन्ना लाल मीना, निवासी, कंचनवास सालवाड़ी, पुलिस थाना खेड़ली, जिला अलवर राज. (हाल बंदी जिला कारागार अलवर) 2. पन्ना लाल उम्र 65 साल, (वर्तमान आयु 68 साल) पुत्र मूल्याराम, निवासी, कंचनवास सालवाड़ी, पुलिस थाना खेड़ली, जिला अलवर, राज. को आरोपित अपराधों में निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता हैः—

I. प्रत्येक अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 304 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित कर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 के भाग द्वितीय सपठित धारा 34 के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्त को 20,000 / — 20,000 / — रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदंड अभियुक्त तीन माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

II. प्रत्येक अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 341 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित कर एक माह का साधारण कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्त को 500 / — 500 / — रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदंड 10 दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

III. प्रत्येक अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 323 सपठित धारा 34 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित कर 1 वर्ष का साधारण कारावास तथा प्रत्येक अभियुक्त को 1000 / — 1000 / — रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदंड 20 दिन का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा।

IV. अभियुक्तगण की सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

V. अभियुक्तगण को निर्णय की प्रति अविलंब निःशुल्क प्रदान की जावे।

VI. सजा वारण्ट नियमानुसार बनाया जावे।

VII. अभियुक्तगण द्वारा हस्तगत प्रकरण में पूर्व में भुगती गई पुलिस अभिरक्षा व न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को धारा 428 द.प्र.सं. के तहत मूल सजा में समायोजित किया जावे।

161. प्रकरण में जब्तशुदा दो लाठियां बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार नष्ट कर दिए जावें। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के अधीन रहे।

162. जुर्माना राशि जमा होने पर 40,000/– रूपये मृतक पून्याराम के आश्रितों को बतौर क्षतिपूर्ति दिलाए जावें। पीड़ित के आश्रितों को दिलाई गई उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि पर्याप्त दर्शित नहीं है अतः मृतक पून्याराम के आश्रितों को धारा 357 ए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 एवं पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 के तहत क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा की जाती है। निर्णय/दंडादेश की एक प्रति सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर को भिजवाई जावे। इस बाबत तहरीरी मृतक के आश्रितों को जारी हो।

(उदय सिंह अलोरिया)
अपर सेशन न्यायाधीश, कठूमर,
जिला अलवर, (राज.)

163. निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को हस्ताक्षरित व मुद्रांकित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उदय सिंह अलोरिया)
अपर सेशन न्यायाधीश, कठूमर,
जिला अलवर, (राज.)

–::प्रमाण पत्र::–

निर्णय में किये गए सभी संशोधन को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

(वरिष्ठ निजी सहायक)

नोटः– यह प्रतिलिपि अधिवक्ता / पक्षकार की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकता है।